खण्ड–11, अंक–3
बुधवार, 30 आषाढ़, शक संवत् 1926
(21 जुलाई, 2004 ई0)

उत्तरांचल विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(प्रथम विधान सभा)
(प्रथम सत्र, 2004)

(खण्ड 11 में 7 अंक हैं)

उत्तरांचल विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तरांचल (भारत)
2004

मूल्य--

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थिति	क
बद्रीनाथ मार्ग के लामबगड स्थान में दैवीय आपदा से अवरुद्ध मार्ग के सम्बन्ध में नियम 311 की सूचना	1
प्रश्नोत्तर	1–5
प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	5–6
प्रश्नोत्तर (क्रमागत)	6–27
हल्द्वानी के फारेस्ट हास्पिटल ट्रस्ट के सन्दर्भ में कार्यस्थगन की सूचना विषयक कार्यवाही के अंश को विलोप न करने के सम्बन्ध में पुनर्विचार का अनुरोध	27–32
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	32
बांगवाला पहाड के धँसने से सहस्त्रधारा के समीपवर्ती गांव बांडावाली को उत्पन्न खतरे के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	32–33
हरिद्वार शहर से 3 किमी0 की दूरी पर सलेज फार्म के नाम से स्थित देशी एवं विदेशी मदिरा की दुकानों को हटाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	33
जनपद ऊधमसिंह नगर के तुमडिया बांध परिसर में निवास कर रहे कृषकों को वन विभाग द्वारा उत्पीड़ित किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	33–34
कुमाऊँ मण्डल में एल0टी0 व्यायाम के पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	34
नैनीताल के कालाढूंगी के रा0इ0 कॉलेज में कृषि विषय आरम्भ किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	34
जनपद रुद्रप्रयाग में सेवारत राज्य कर्मचारियों को सीमान्त विशेष भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	35
जनपद ऊधमसिंह नगर के विद्यालयों में प्राथमिक स्तर से स्नातक स्तर तक बांग्ला भाषा अध्ययन के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थित की गई)	35

विषय	पृष्ठ संख्या

जनपद ऊधमसिंह नगर के नेशनल हाईवे 74 से बरेली नगर–रार्कैनिया मोटर मार्ग की मरम्मत / पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थित की गई) 35

जनपद ऊधमसिंह नगर के गदरपुर के प्राथमिक विद्यालय खेमपुर, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जगदीशपुर इत्यादि विद्यालयों के उच्चीकरण के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थित की गई) 36

जनपद ऊधमसिंह नगर के चितरंजनपुर पूर्व माध्यमिक विद्यालय को उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थित की गई) 36

जनपद ऊधमसिंह नगर में बुक्सौरा धीमरी ब्लॉक मार्ग की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थित की गई) 36

श्री गाराबर सिंह एवं श्रीमती आशा देवी द्वारा विशेषाधिकार हनन की सूचना 36–38

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं 38–58

कार्य स्थगन की कतिपय सूचनाओं को ग्राह्यता पर सुने जाने का अनुरोध 58–59

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा (जारी) 59–98

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं 98

नत्थियाँ 99–104

उपस्थिति

1—श्री अजय भट्ट
2—श्री अनिल नौटियाल
3—डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी
4—श्रीमती अमृता रावत
5—श्री अरविन्द पाण्डे
6—श्रीमती आशा देवी
7—श्रीमती इन्दिरा हृदयेश
8—श्री उम्मेद सिंह मांजिला
9—श्री काशी सिंह ऐरी
10—श्री किशोर उपाध्याय
11—श्री कैलाश शर्मा
12—श्री कौल दास
13—श्री गगन सिंह
14—श्री गणेश प्रसाद गोदियाल
15—श्री गोपाल सिंह राणा
16—श्री गोबिन्द लाल
17—श्री गोबिन्द सिंह कुंजवाल
18—श्री चन्द्रशेखर
19—श्री जोत सिंह
20—श्री तसलीम अहमद
21—श्री तिलक राज बेहड़
22—श्री तेजपाल सिंह रावत
23—श्री दिनेश अग्रवाल
24—श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी
25—श्री नव प्रभात
26—श्री नारायण पाल
27—श्री नारायण राम आर्य
28—श्री नारायण सिंह जंतवाल
29—काजी निजामुद्दीन
30—श्री प्रकाश पंत
31—कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"
32—डा0 प्रताप बिष्ट
33—श्री प्रदीप टम्टा
34—श्री प्रीतम सिंह
35—श्री प्रीतम सिंह पंवार
36—श्री प्रेमानन्द महाजन
37—श्री फूल सिंह बिष्ट
38—श्री बलवीर सिंह नेगी
39—श्री बिजयपाल सिंह सजवाण
40—श्री बिशन सिंह चुफाल
41—श्री भगत सिंह कोश्यारी
42—श्री मदन कौशिक
43—श्री मंत्री प्रसाद नैथानी
44—श्री महेन्द्र भट्ट
45—श्री महेन्द्र सिंह माहरा (मद्दू भाई)
46—श्री मातबर सिंह
47—श्री माल चन्द्र
48—चौ0 यशवीर सिंह
49—श्री रणजीत सिंह
50—श्री रस्सैल वैलेन्टाइन गार्डनर
51—श्री राम प्रसाद टम्टा
52—श्रीमती विजय बड़थ्वाल
53—श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी
54—श्री शूरवीर सिंह
55—श्री सहजाद
56—श्री साधू राम
57—श्री सुन्दर लाल मन्द्रवाल
58—श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी
59—श्री सुरेश चन्द
60—श्री हरबंस कपूर
61—श्री हरभजन सिंह चीमा
62—श्री हरीदास
63—श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल
64—श्री हीरा सिंह बिष्ट
65—श्री हेमेश खर्कवाल
66—श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत

बुधवार, दिनांक 21 जुलाई, 2004 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, देहरादून में पूर्वाह्न 11 बजे

अध्यक्ष श्री यशपाल आर्य की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

बद्रीनाथ मार्ग के लामबगड़ स्थान में दैवीय आपदा से अवरुद्ध मार्ग के सम्बन्ध में नियम 311 की सूचना

श्री महेन्द्र भट्ट–

मान्यवर, मेरी नियम, 311 के अन्तर्गत सूचना है। लामबगड़ में पांच तारीख को हुई घटना के कारण बद्रीनाथ मार्ग अवरुद्ध है जिससे यात्रियों की संख्या में भी कमी आई है। वहाँ पर राहत कार्य ठीक ढंग से नहीं किये जा रहे हैं। इसलिए मैंने नियम 311 की सूचना दी है।

श्री अध्यक्ष–

यह विषय महत्वपूर्ण है। मैं इसे नियम 56 में सुन लूँगा।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसे नियम 56 में लेंगे तो हमारे नियम 56 के अन्य विषय भी कटने नहीं चाहिए।

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ लि0, मातली, उत्तरकाशी में लगे उत्प्रवाह शुद्धिकरण यंत्र की उपयोगिता

*1–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या दुग्ध विकास मंत्री मिज्ञ हैं कि दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, मातली, उत्तरकाशी में उत्प्रवाह शुद्धिकरण यंत्र (ई0टी0पी0) को क्रय एवं स्थापित करने पर बीस लाख रुपये से अधिक की धनराशि व्यय की गई ?

उक्त संयंत्र प्रयोग में लाये जाने के क्या कारण हैं ?

क्या यह सत्य है कि उक्त संयंत्र को प्रयोग में न लाये जाने के कारण पर्यावरणीय नुकसान हो रहा है ?

यदि हाँ, तो इसके लिए कौन उत्तरदायी है ?

क्या सरकार उनके विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्यमंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)–

जी हाँ।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित नियमानुसार प्रदूषण नियंत्रण के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक उस कारखाने में, जिसमें उत्प्रवाह इस प्रकार का हो कि वह पर्यावरण को हानि पहुँचा सकता हो, में उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र लगाना अनिवार्य है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि ई0टी0पी0 संयंत्र में कुल कितनी धनराशि व्यय की गई और कब इसे खरीदा गया था ?

परिवहन मंत्री (श्री हीरा सिंह बिष्ट)–

मान्यवर, ई0टी0पी0 संयंत्र रु0 24 लाख 66 हजार में खरीदा गया है। वर्ष 91–92 में पांच हजार लीटर दूध की दैनिक क्षमता के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से स्वीकृति प्राप्त हुई थी।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, वर्ष 91–92 में इसके लिए स्वीकृति मिली थी, इसे कब से लगाया गया है ?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, इसके अनुमोदन में विलम्ब हुआ है। 5 अगस्त तक यह अपना काम पूरा कर लेगा। इस संयंत्र के लगने से किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। यह 5 हजार लीटर की क्षमता वाला संयंत्र है। वर्तमान में इसमें सिर्फ 350 लीटर पानी व्यय हो रहा है। कहीं भी सड़क पर नहीं जा रहा है, उसे अंदर ही सुखा दिया जा रहा है।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, मैंने पूछा था कि इसको प्रयोग में लाये जाने का क्या कारण है ? उत्तर आया है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित नियमानुसार प्रदूषण नियंत्रण के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक उस कारखाने में, जिसमें उत्प्रवाह इस प्रकार का हो कि वह पर्यावरण को हानि पहुँचा सकता हो, में उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र लगाना अनिवार्य है। मान्यवर, पर्यावरण की इतनी हानि इस उद्योग से हो रही है और इतने लम्बे समय तक प्रयोग में न लाने से पर्यावरण को बड़ी क्षति पहुँची है। माननीय मंत्री जी को जानकारी होगी कि जो यह संयंत्र है, इसको प्रयोग में न लाये जाने के कारण इससे निकलने वाले अशुद्ध जल से ग्राउण्ड जल भी अशुद्ध हो रहा है ? इससे बी0ओ0डी0 की मात्रा सरफेस

वाटर में बढ़ जाती है। इससे मछलियों आदि की मृत्यु हो जाती है और यदि मनुष्य इसे ग्रहण करता है तो अनेक बीमारियों की आशंका हो जाती है। अनेक बीमारियाँ इससे होंगी। तो इस बीच जो इतने लम्बे समय तक इस संयंत्र के बिना यह उद्योग वहाँ पर स्थापित किया गया, इससे जो नुकसान हुआ, उसके लिए कौन जिम्मेदार है और इस पर क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, माननीय सदस्य को मैंने पहले भी बताया चूंकि यह संयंत्र 5 हजार लीटर की कैपेसिटी का है और उत्तरकाशी में इतना दूध उपलब्ध नहीं है, वहां पर सिर्फ 650 लीटर दूध ही उपलब्ध है। इसमें जितना दूध होगा उतना ही उसी प्रतिशत में पानी भी लगता है और अभी 350 लीटर पानी ही वहां से निकल रहा है और वह अन्तिम भाग तक पहुंचकर सोकपीट में चला जाता है, वहां पर ऐसी प्रदूषण की कोई समस्या नहीं है। इस संयंत्र का कैम्पस काफी बड़ा है, इससे जनता को कोई परेशानी नहीं है, कृषि क्षेत्र को भी कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है। जनता को कोई हानि भी नहीं हुई है। इसके लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नियम निर्धारित किये गये हैं, इसलिए यह संयंत्र वहां पर लगाया गया है।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इतने लम्बे समय तक जो इससे नुकसान हुआ है, उसके लिए कौन जिम्मेदार हैं ?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, यदि माननीय सदस्य पर्टीकुलर नुकसान का ब्यौरा दे दें तो मैं इसकी जांच करवा लूंगा।

श्री प्रकाश पंत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा और उन्होंने सुस्पष्ट जानकारी के माध्यम से कहा बी0ओ0डी0 जो इसके उत्प्रभाव से उत्सर्जित हो रहा है, उससे सरफेस वाटर प्रभावित हो रहा है। तो जो यह संयंत्र ई0टी0पी0 का लगाया गया है यह प्रदूषण नियंत्रण के लिए लगाया गया है। इससे जो सरफेस वाटर प्रदूषित हो रहा है या भूमिगत जल को इससे नुकसान हो रहा है, तो इससे उत्सर्जित होने वाले पानी को कैसे बचाया जा सकता है। इसमें उत्सर्जित होने वाले तत्वों से, कहीं इस पानी को नुकसान तो नहीं हो रहा ?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, इससे किसी प्रकार से भी जल के प्रदूषित होने की सम्भावना दूर–दूर तक नहीं है।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, जैसा कि माननीय सदस्य के द्वारा कहा गया कि ई0टी0पी0 से पूर्व जो जल प्रवाह होता है, उसमें बी0ओ0डी0 होता है, वह उल्टा हो गया है, इसमें पहले ऑक्सीजन

की मात्रा ज्यादा होती है, और बाद में कम हो जाती है, इसे बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन से पूरा किया जाता है, इसकी अपनी एक प्रक्रिया होती है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो संयंत्र लगाया गया है, उद्योग भी चल रहा है, तो क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि जो इससे जल प्रवाह हो रहा है, उसका बी0ओ0डी0 और सी0ओ0डी0 चैक कराया गया है, वह नॉर्म के अनुसार ही है या उससे अधिक या कम ?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, जो इस संयंत्र की क्षमता है, उससे कम मात्र 350 लीटर पानी का प्रयोग यहां पर हो रहा है, तो इसमें इस तरह का कोई खतरा ही नहीं है। पानी को अंतिम छोर तक जाना है, वह वहां तक जा रहा है और इससे कोई खतरे की स्थिति वहां पर नहीं है, जितना पानी है उस संयंत्र में, वह वहां से उस छोर तक जा रहा है।

श्री काशी सिंह ऐरी–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा और उसका उत्तर भी माननीय मंत्री जी द्वारा दिया गया, लेकिन अनुपूरक प्रश्न भी कुछ होते हैं, लेकिन जो मूलभूत बात है, तो आपने स्वयं स्वीकार किया है कि उस संयत्र की कैपेसिटी 5 हजार लीटर है। मान्यवर, अभी सिर्फ 650 लीटर में काम हो रहा है और आपने 20 लाख रुपया खर्च करके 5000 लीटर क्षमता वाला संयंत्र लगाया है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इसकी क्या आवश्यकता थी ? क्योंकि आज की तारीख में काम सिर्फ 650 लीटर में हो रहा है। दूसरा, मैं यह भी जानना चाहता हूं कि यह संयंत्र किन–किन प्लान्टों पर लगे हैं ? क्या प्रदेश के अन्य जिलों में भी इस तरह के संयंत्र लगाये गये हैं ?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, माननीय सदस्य के पहले प्रश्न के संदर्भ में कहना चाहता हूं कि सरकार द्वारा भूतकाल के संदर्भ में वर्तमान और भविष्य को ध्यान में रखकर योजनायें बनायी जाती हैं। हम समझते हैं कि हमारा दुग्ध उत्पादन बढ़ेगा। दूसरे प्रश्न के उत्तर में कहना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में अभी हमारे पास सूचना उपलब्ध नहीं है। इसे मंगाकर उपलब्ध करा दिया जायेगा।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बी0ओ0डी0 और सी0ओ0डी0 की स्थिति क्या है ? माननीय मंत्री जी ने इसका स्पष्ट उत्तर नहीं दिया है। दूसरा, प्रश्न है कि क्या आपने वहां पर जल की कोई जांच करायी है ? यदि हां तो उसका विवरण क्या है, यदि नहीं तो क्या सरकार ने जल की जांच कराने के लिए कोई कमेटी बनायी है ? मान्यवर, 1991 से ई0टी0पी0 खरीदा है, आज इसे 13 साल हो गये हैं। इस प्रकार वित्तीय हस्तपुस्तिका के अनुसार जो वित्तीय हानि हुई है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है ? क्या उसके खिलाफ सरकार कोई कार्यवाही करेगी या कर दी गयी है ?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इसकी जांच की थी और उस जांच में ऐसी कोई बात नहीं आयी थी कि जनता के हितों के विरुद्ध कोई कार्य हो रहा है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, जो जांच हुई है, उसकी रिपोर्ट सदन में आ जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त मान्यवर, मैंने वित्तीय हानि के सम्बन्ध में पूछा था। 1991 से यह संयंत्र बन्द पड़ा है। 20 लाख से अधिक की धनराशि खर्च हुई है, क्या उसके लिए कोई जिम्मेदार है, क्या सरकार ने इसके लिए रिस्पॉन्सबिलिटी फिक्स की है ? इसके अतिरिक्त बी0ओ0डी0 और सी0ओ0डी0 के बारे में पूरा सदन जानना चाहता है।

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य की भावनाओं का सम्मान करता हूं। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि 2000 में इस संयंत्र का कार्य शुरू हुआ और 2003 में इसे पूरा कर लिया गया। इसके अतिरिक्त जांच के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि जांच कराकर रिपोर्ट उपलब्ध करा दी जायेगी।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, ई0टी0पी0 संयंत्र लगाने से पहले जांच करायी गयी थी, ऐसा अभी माननीय मंत्री जी ने कहा। मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि पानी गन्दा हो जाने के बाद, जब उसमें से ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और कार्बन डाई ऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, तब क्या कोई जांच करायी गयी ?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न में पूछा था कि क्या पानी की जांच करायी गयी थी ? मैंने उत्तर दिया कि उस समय जांच करायी गयी थी।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, बी0ओ0डी0 और सी0ओ0डी0 जांच के बारे में माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट उत्तर नहीं दिया है, इसलिए इसे स्थगित कर दिया जाय।

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, सभी जांच पूरी कराकर रिपोर्ट उपलब्ध करा दी जायेगी।

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है, आज की कार्यसूची में उल्लिखित तारांकित प्रश्न संख्या–2 आठवें सोमवार के लिए स्थानान्तरित कर दिया गया है। मान्यवर, 7वें सोमवार तक मेरे प्रश्न लगे हुए हैं। मान्यवर, प्रश्नकाल विपक्ष का होता है और पूरे 1 घंटे और 20 मिनट के लिए आज सिर्फ 2 प्रश्न हैं। जिन पर 20–25 मिनट में चर्चा पूरी हो जायेगी। इस प्रकार पूरा प्रश्नकाल नहीं चलेगा।

श्री अध्यक्ष–

मैं शासन से अपेक्षा करूंगा कि अगर कोई प्रश्न स्थगित किया जा रहा है तो उसकी सूचना हमारे सचिवालय को तुरन्त उपलब्ध करायी जाय।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैं निवेदन करूंगा कि मेरा प्रश्न 8 दिन के बाद आ जाय।

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

प्रश्नोत्तर क्रमागत

*श्री मदन कौशिक–

(आठवें सोमवार के तारांकित 02 में स्थानान्तरित)

उत्तरांचल में गुर्जर जाति को विमुक्त जाति का दर्जा दिये जाने पर विचार

* 3–कुंवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन''–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में गुर्जर जाति को विमुक्त जाति का दर्जा दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश द्वारा जारी शासनादेश संख्या–3276/26–3–92–3(42)/90, दिनांक 21 नवम्बर, 1992 के अनुसार गुर्जर जाति विमुक्त जाति में सम्मिलित नहीं है। वर्तमान में उत्तरांचल में पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश द्वारा जारी विमुक्त जाति की सूची मान्य है।

कुंवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन''–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सन् 1962 में पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश में इस संबंध में एक जी0ओ0 इफतकार हुसैन, सचिव द्वारा जारी किया गया था, उस जी0ओ0 के अनुसार उत्तर प्रदेश के चार जनपदों सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और मुरादाबाद में निवास करने वाली गुर्जर जाति के लोगों को विमुक्त जाति की श्रेणी में माना जाता था। परन्तु 1992 में मनुवादी सरकार द्वारा पिछड़े वर्ग का शोषण कर उसे हटा दिया गया। मान्यवर, आज उत्तरांचल में सैक्यूलर सरकार है तो क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वह पुनः गुर्जर जाति को विमुक्त जाति का दर्जा प्रदान करे ? यह कोई जरूरी भी नहीं है कि जैसा पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश में हो रहा है या पूर्व में जो निर्णय लिये जा चुके हैं, हम उन्हें ही अपना रोल मॉडल मानें और अपनी तरफ से कोई भी निर्णय न लें। मान्यवर, उत्तरांचल की भौगोलिक, आर्थिक तथा राजनीतिक स्थिति उत्तर प्रदेश से भिन्न है। अतः मेरा अनुरोध है कि हम यहां की भौगोलिक एवं आर्थिक स्थिति को मद्देनजर रखते हुए गुर्जर जाति को पुनः विमुक्त जाति में सम्मिलित करें।

उद्यान मंत्री (श्री गोबिन्द सिंह कुंजवाल)–

मान्यवर, उत्तरांचल के परिपेक्ष्य में गुर्जर जाति को विमुक्त जाति में सम्मिलित करने हेतु अभी हमारी सरकार के विचाराधीन है।

कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, मेरा अभिप्राय यही था कि यह बात सरकार के विचाराधीन हो जाय।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, जो हमारे सदस्य की भावना है, उसके अनुसार तत्कालीन उत्तर प्रदेश में, जिसमें पूर्व में हम लोग भी सम्मिलित थे, इस जाति को विमुक्त जाति का दर्जा हासिल था। उसके बाद राज्य का पुनर्गठन हुआ। मान्यवर, जैसा कि माननीय मंत्री जी का कहना है कि अब उत्तर प्रदेश में विमुक्त जाति नहीं है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, पिछड़ा वर्ग है तथा अन्य जातियां है, वही यहां पर भी लागू होगा ? माननीय मंत्री जी का यही आशय है कि जो वहां पर प्रक्रिया है जातियों के सम्बन्ध में, वही लागू यहां भी होगी। मान्यवर, उत्तरांचल एक अलग राज्य बन गया है। पूर्व में उत्तर प्रदेश में भी यह जाति विमुक्त जाति की श्रेणी में थी, मान्यवर, अब कानूनी एवं तकनीकी बातों को लेकर उनके साथ अन्याय न हो और उन्हें विमुक्त जाति का दर्जा दे दिया जाय। मैं समझता हूं ऐसा करने मे सरकार को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इस सम्बन्ध में सरकार अपना स्पष्टीकरण दे।

श्री गोबिन्द सिंह कुंजवाल–

मान्यवर, मैं स्पष्ट कर दूं कि विमुक्त जाति एक ही बार निर्धारित होती है, जो उत्तर प्रदेश में हुई है।

कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, विमुक्त शब्द का अर्थ मैं यहां पर स्पष्ट करना चाहता हूं। जब भारत में ब्रिटिश शासन काल था तो उस समय जो जातियां क्राइम करके अपना पेट पालती थीं, इन जातियों को जरायम पेशा कौम कहा जाता था। मान्यवर इन जातियों की कुल संख्या उस समय 19 थी। भारत की स्वाधीनता के पश्चात् इन जातियों को इससे बाहर निकाला गया, तभी से इन जातियों को विमुक्त जाति कहा गया। मेरा सरकार से अनुरोध है कि सरकार इस पर पुनः विचार करे।

चौधरी यशवीर सिंह–

मान्यवर, 1992 के शासनादेश का यहां पर जो उल्लेख हुआ है, इसकी एक प्रति पटल पर रखी जानी चाहिए। गुर्जर जाति को विमुक्त जाति में सम्मिलित किया जाना चाहिए। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है तो मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि हमें उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, क्या हुआ है, इस पर नहीं जाना चाहिए, उत्तरांचल को अब अपना अलग कानून बनाना चाहिए। यदि हम अब भी उत्तर प्रदेश पर बेरुख रहे तो यह प्रदेश के लिए शुभ संकेत नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

मान्यवर, दिनांक 12–05–1961 तथा दिनांक 21–11–1992 के शासनादेशों के आधार पर जो सूची जारी की गयी थी, उसमें ये जातियां सम्मिलित नहीं थीं। माननीय सदस्य की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इसको दिखा लिया जायेगा और सम्भव होगा तो इस पर विचार किया जायेगा।

अतारांकित प्रश्न

30 सितम्बर, 03 तक पशुपालन विभाग द्वारा क्रय की गयी दवाएं एवं वित्तीय वर्ष से पूर्व दवाओं के क्रय किये जाने का प्राविधान

1–श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–

क्या पशुपालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि 30, सितम्बर, 2003 तक पशुपालन विभाग द्वारा कुल कितनी धनराशि की दवाओं की खरीद के आदेश विभिन्न कम्पनियों को दिये गये ?

क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि वित्त वर्ष का बजट पारित होने से पूर्व दवाओं के क्रय किये जाने का प्राविधान है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

1 अप्रैल, 2003 से 30 सितम्बर, 2003 तक पशुपालन विभाग द्वारा रु0 123340.00 की वैक्सीन क्रय के आदेश विभिन्न कम्पनियों को दिये गये।

दवाओं का क्रय चालू योजनाओं के सापेक्ष किया जाता है, जिसके लिए वित्त वर्ष का बजट पारित होने से पूर्व, पूर्व पारित लेखानुदान में प्राविधान था।

राज्य में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने की योजना का प्रारूप

2–श्री मदन कौशिक–

क्या पशुपालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कोई योजना बनाई गयी है, यदि हां, तो योजना का प्रारूप क्या है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

राज्य में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने हेतु योजनाएं निम्नवत् चलाई जा रही हैं :–

1–सघन मिनी डेरी परियोजना के माध्यम से इच्छुक दुग्ध उत्पादकों को उन्नतशील नस्ल के दुधारू पशु उपलब्ध कराये गये हैं तथा योजना का आगामी 05 वर्षों हेतु विस्तार किया जा रहा है।

2–भारत सरकार के सहयोग से अत्यन्त महत्वाकांक्षी समन्वित डेरी विकास परियोजना का क्रियान्वयन प्रारम्भ किया जा चुका है। योजना के प्रथम चरण में जनपद देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर एवं नैनीताल हेतु 5 वर्षों के लिए 19.11 करोड़ रुपये

का परिव्यय अनुमोदित किया जा चुका है, जिसके समक्ष वर्ष 2003—04 तक रु0 959.59 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गयी, जिसके सापेक्ष मार्च, 2004 तक रु0 764.02 लाख व्यय किये जा चुके हैं।

जनपद उत्तरकाशी, टिहरी, अल्मोड़ा, बागेश्वर एवं पिथौरागढ़ को इस योजना के अन्तर्गत लिये जाने हेतु द्वितीय चरण का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के विकास हेतु योजनाओं का विवरण

3—श्री मदन कौशिक—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के विकास के लिए क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं ?

क्या इन योजनाओं का लाभ इस वर्ग को मिल रहा है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के विकास के लिए निम्नलिखित योजनाएं चलाई जा रही हैं :—

क—अनुसूचित जाति कल्याण की योजनाएं :

1. दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना
2. स्वच्छकार विमुक्ति योजना
3. अस्वच्छ पेशा छात्रवृत्ति योजना
4. बुक बैंक योजना
5. मेरिट उच्चीकृत योजना
6. शुल्क क्षतिपूर्ति योजना
7. कक्षा 10 व 12 परीक्षा पूर्व कोचिंग योजना
8. आई0टी0आई0 छात्रवृत्ति योजना
9. डा0 अम्बेडकर छात्रवृत्ति योजना
10. विभागीय संस्थाओं को अनुदान
11. विविध प्रशिक्षण योजनाएं
12. पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना
13. स्वतः रोजगार योजना
14. दुकान निर्माण योजना
15. अनु0 जाति अत्याचार उत्पीड़न सहायता योजना
16. शादी/बीमारी पर अनुदान योजना
17. अंश पूँजी योजना
18. आई0टी0आई0 का निर्माण/संचालन योजना
19. छात्रावासों का निर्माण/संचालन
20. आश्रम पद्धति विद्यालयों का निर्माण/संचालन
21. राज्य सेवा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण योजना
22. मेडिकल/अभियंत्रण परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण योजना
23. औद्योगिक आस्थान का संचालन

ख–अनुसूचित जनजाति कल्याण की योजनाएं :

1. दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना
2. पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना
3. बुक बैंक योजना
4. मेरिट उच्चीकृत योजना
5. आई0टी0आई0 छात्रवृत्ति योजना
6. विभागीय संस्थाओं को अनुदान
7. स्वतः रोजगार योजना
8. अनु0 जनजाति अत्याचार उत्पीडन सहायता
9. अंश पूँजी योजना
10. आई0टी0आई0 का निर्माण/संचालन
11. छात्रावासों का निर्माण/संचालन
12. आश्रम पद्धति विद्यालयों का निर्माण/संचालन
13. आदिम जनजाति विकास की योजना
14. जनजाति उप योजना
15. जनजाति क्षेत्रों में खड़ंजा/गली निर्माण
16. संविधान की धारा 275(1) के अन्तर्गत जनजाति क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्यक्रम
17. राज्य सेवा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण योजना

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी में माह मार्च, 2004 तक वृद्धावस्था पेंशनरों की संख्या एवं लम्बित आवेदन–पत्रों की स्थिति

4–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में माह मार्च, 2004 तक कितने वृद्धों को वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही थी तथा कुल कितने आवेदन–पत्र क्रमशः प्रतीक्षा सूची में थे ?

क्या सरकार सभी प्रतीक्षारत आवेदन–पत्रों को स्वीकार करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जनपद उत्तरकाशी में माह मार्च, 2004 तक कुल 4303 पात्र वृद्धजनों को वृद्धावस्था पेंशन दी गई तथा कोई भी आवेदन–पत्र प्रतीक्षा सूची में नहीं थे।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष, 2003–04 एवं 2004–05 के लिए जनपद पौड़ी के यमकेश्वर, द्वारीखाल व दुगड्डा में स्वीकृत हाईड्रम योजना

5–श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी के विकास खण्ड यमकेश्वर, द्वारीखाल व दुगड्डा में कितनी हाईड्रम योजनायें वर्ष, 2003–04 तथा 2004–05 के लिए स्वीकृत की गई हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

वर्ष, 2003–04 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी के विकास खण्ड यमकेश्वर एवं दुगड्डा में एक–एक योजना स्वीकृत की गई तथा द्वारीखाल में कोई योजना स्वीकृत नहीं की गई। वर्ष, 2004–05 में अभी तक इन विकास खण्डों में कोई हाईड्रम योजनायें प्रस्तावित नहीं हैं।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के वि0खं0 यमकेश्वर में स्थापित पशु चिकित्सालय/ पशु प्रसार केन्द्रों की संख्या, स्थान तथा चिकित्सकों की नियुक्ति

6–श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या पशुपालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड यमकेश्वर में कितने पशु चिकित्सालय, पशु प्रसार केन्द्र हैं तथा वे किन–किन स्थानों पर हैं ?

क्या पशु चिकित्सालय यमकेश्वर में पशु चिकित्सक नियुक्त हैं ?

यदि हाँ, तो माह जनवरी, 2004 से माह अप्रैल, 2004 तक चिकित्सक के अनुपस्थित रहने के क्या कारण थे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड यमकेश्वर के अन्तर्गत 4 पशु चिकित्सालय मोहनचट्टी, थलनदी, अमोला एवं यमकेश्वर नामक स्थान पर स्थित हैं, इस विकास खण्ड के अन्तर्गत 5 पशु सेवा केन्द्र सार, आमरौंण, धारकोट, गंगाभोगपुर एवं बीला में स्थित हैं।

जी हाँ।

डा0 मीना वर्मा, पशु चिकित्साधिकारी, यमकेश्वर पौड़ी को विभाग द्वारा अग्रिम आदेशों तक हिमालयन इन्स्टीट्यूट फार इनवायरमेन्ट, इकोलौजी एण्ड डेवलपमेन्ट, रानीचौरी, टिहरी गढ़वाल में सम्बद्ध किये जाने के फलस्वरूप उक्त अवधि में डा0 पी0के0 गुप्ता, पशु चिकित्साधिकारी, दुगड्डा द्वारा पशु चिकित्सालय, यमकेश्वर का कार्य देखा गया।

जनपद उत्तरकाशी के पट्टी भण्डारस्यूं तथा दशगी, हातड़ दशगी के गांवों को पिछड़ा क्षेत्र घोषित किए जाने विषयक

7–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड डुण्डा की पट्टी भण्डारस्यूं तथा विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ की पट्टी दशगी, हातड़ दशगी के गांवों को पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया गया है ? क्या विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के न्याय पंचायत धारकोट के खदाड़ा, टिपरी मडोली, बताड़ी तथा उड़खोला पिछड़े क्षेत्र में सम्मिलित किए गये हैं जबकि धारकोट ज्येष्टवाड़ी, कँथोगी, जोखणी और चिलोट न्याय पंचायत में धारकोट के ये गांव पिछड़ा क्षेत्र लाभ से वंचित हैं ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार वंचित गांवों को पिछड़ा क्षेत्र में सम्मिलित करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी नहीं, समाज कल्याण विभाग द्वारा किसी क्षेत्र को पिछड़ा क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्तानुसार।

समाज कल्याण विभाग द्वारा किसी क्षेत्र विशेष को पिछड़ा क्षेत्र घोषित नहीं किया जाता है।

नलकूप खण्ड देहरादून को वर्ष, 2003–04 में अनुरक्षण मद में आवंटित धनराशि एवं कार्यों का विवरण

8–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि नलकूप खण्ड देहरादून को वर्ष, 2003–04 में कुल कितनी धनराशि अनुरक्षण मद में प्राप्त हुई है और इस धनराशि का व्यय किन–किन नलकूपों में किन–किन कार्यों पर किया गया ?

क्या उक्त खण्ड के अन्तर्गत पड़ने वाले सभी नलकूप सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

नलकूप खण्ड, देहरादून को वर्ष, 2003–04 में अनुरक्षण मद में रु0 130.00 लाख की धनराशि आवंटित की गयी। इस धनराशि में से रु0 56,26,818.00 जनपद देहरादून तथा पौड़ी में चलित क्रमशः 75 तथा 18 नलकूपों के सामान्य अनुरक्षण पर तथा रु0 75,99,046.00 जनपद देहरादून के 23 व पौड़ी के 8 राजकीय नलकूपों की पक्की गूलों की विशेष मरम्मत पर व्यय किया गया (नलकूपवार व्यय सूची संलग्न है)। इस प्रकार कुल व्यय रु0 132.25 लाख है।

विभाग से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर उपरोक्त नलकूप सुचारू रूप से चल रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता है।

(सूची देखिए नत्थी "क" आगे पृष्ठ सं0 99 पर)

वर्ष 2003–04 में लघु सिंचाई विभाग उत्तरकाशी को अनुरक्षण मद में आवंटित राशि एवं योजनाओं पर व्यय का विवरण

9–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष, 2003–04 में लघु सिंचाई विभाग उत्तरकाशी को अनुरक्षण मद में कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई है ?

उक्त धनराशि को विकास खण्डवार किन–किन योजनाओं पर व्यय किया गया ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जनपद उत्तरकाशी को संदर्भित अनुरक्षण मद में वर्ष, 2003–04 में रु0 11.00 लाख की धनराशि प्राप्त हुई।

विकास खण्डवार योजनाओं का व्यय विवरण संलग्न है।

(संलग्नक देखिए नत्थी "ख" आगे पृष्ठ सं0 104 पर)

उत्तरकाशी के पशु पालन विभाग द्वारा भेड़ विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत भेड़ पालकों को उन्नत नस्ल के मेंढ़े दिए जाने का विकास खण्डवार विवरण

10–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या पशुपालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष, 2003–04 में जनपद उत्तरकाशी के पशुपालन विभाग को भेड़ विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत भेड़ पालकों को उन्नत नस्ल के मेंढ़े दिये जाने के अन्तर्गत सरकार द्वारा कितनी धनराशि प्राप्त हुई तथा जनपद के विकास खण्डवार किन–किन पशुपालकों को उक्त योजना के अन्तर्गत उन्नत नस्ल के मेंढ़े वितरित किये गये ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड भारत सरकार से रु0 1.25 लाख की धनराशि उत्तरांचल भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड, देहरादून को जनपद उत्तरकाशी हेतु प्राप्त हुई। उक्त योजना के अन्तर्गत किसी भी पशुपालक को उन्नत नस्ल के मेंढ़े वितरित नहीं किये जा सके।

धनराशि वित्तीय वर्ष के अंत में प्राप्त होने तथा लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2004 के अन्तर्गत आदर्श चुनावी आचार संहिता के प्रभावी होने के कारण पशुपालकों के चयन की कार्यवाही समय से सम्पन्न नहीं हो पायी। ग्रीष्म कालीन चुगान हेतु पशुपालकों के बुग्यालों में भ्रमणशील रहने के कारण मेंढ़ा वितरण की कार्यवाही सम्पन्न नहीं हो पायी।

जनपद उत्तरकाशी के वनचौरा मार्ग पर बल्क कूलर की स्थापना

11—श्री प्रीतम सिंह पंवार—

क्या दुग्ध विकास मंत्री के संज्ञान में है कि जनपद उत्तरकाशी के वनचौरा मार्ग पर बल्क कूलर की स्थापना हेतु वर्ष, 2002—03 में रू0 7.20 लाख की धनराशि विभाग को प्राप्त हुई ?

यदि हाँ, तो वनचौरा मार्ग में कब और कहाँ बल्क कूलर की स्थापना की गयी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हाँ।

वनचौरा मार्ग हेतु स्वीकृत बल्क कूलर ज्येष्ठवाड़ी दुग्ध समिति में लगाया जाना प्रस्तावित है परन्तु बल्क कूलर को अभी समिति में स्थापित नहीं किया गया है।

दुग्ध संघ में दुग्ध अवशीतन हेतु प्रयोग में लाये जाने वाले अमोनिया कम्प्रेशरों के खराब हो जाने तथा वनचौरा मार्ग पर दुग्ध उपार्जन अत्यधिक कम हो जाने के कारण संस्था के आर्थिक हित को दृष्टिगत रखते हुए बल्क कूलर को दुग्ध अवशीतन हेतु दुग्ध संघ में स्थानान्तरित किया गया है।

अल्मोड़ा के वि0खं0 चौखुटिया में रामगंगा दांयी नहर में बकरमुण्डेश्वर स्थान से सिंचाई पम्प की योजना

12—श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी—

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विकास खण्ड चौखुटिया (जनपद अल्मोड़ा) में रामगंगा दांयी नहर में बकरमुण्डेश्वर नामक स्थान से सिंचाई पम्प लगाकर ग्राम सभा डांग व छानी तक लगभग 200 एकड़ जमीन में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

यदि हाँ, तो सरकार द्वारा उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी नहीं।

प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जिला स्तर पर सर्वे कराया गया है, योजना की अनुमानित लागत रू0 50.00 लाख, सी0सी0ए0 70 हेक्टेयर तथा लाभान्वित कृषक परिवार 150 हैं। किन्तु जिला योजना में पर्याप्त परिव्यय न होने के कारण इस योजना पर विचार नहीं हो पाया है।

उपरोक्तानुसार।

जिला हरिद्वार के अन्तर्गत ग्राम भोगपुर, श्यामपुर एक्कड़ आदि गांवों की भूमि कटाव की रोकथाम

13–श्री तसलीम अहमद–

क्या सिंचाई मंत्री मिज्ञ हैं कि जिला हरिद्वार के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र लालढांग के ग्राम भोगपुर, रामपुर, रायघटी, रणजीतपुर, काँगड़ी, रसूलपुर मिट्ठी बेरी, चमरिया, श्यामपुर एक्कड़ आदि स्थानों को नदी एवं गंगा के तेज बहाव के कारण कृषि योग्य भूमि का कटाव हो रहा है तथा साथ ही जन–धन की भी क्षति हो रही है ?

यदि हाँ, तो सरकार उक्त ग्रामों में भूमि कटाव की रोक–थाम के लिए क्या कारगर कदम उठाने जा रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हाँ, ग्राम भोगपुर, रामपुर, रायघटी, रणजीतपुर, श्यामपुर एवं एक्कड़ की कृषि योग्य भूमि का कटाव हो रहा है। शेष ग्राम अप्रभावित हैं।

गंगा नदी के दायें तट पर ग्राम भोगपुर से बालावाली तक 20.50 किमी0 लम्बे तटबन्ध का निर्माण प्रस्तावित है जिससे ग्राम भोगपुर, रामपुर, रायघटी, रणजीतपुर क्षेत्र लाभान्वित होंगे। श्यामपुर एवं एक्कड़ ग्रामों हेतु भूमि कटाव की कोई योजना वर्तमान में वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण नहीं बनाई गई है।

उपरोक्तानुसार।

जिला ऊधमसिंह नगर में खरीफ की बुआई/रोपाई से पूर्व नहरों की सफाई

14–श्री प्रेमानन्द महाजन–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिला ऊधमसिंह नगर में खरीफ की बुआई/रोपाई प्रक्रिया प्रारम्भ होने से पूर्व नहरों की सफाई के कार्य करा लिये जायेंगे ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जनपद ऊधमसिंह नगर में प्रायः नहरें कच्ची होती हैं जिनमें प्रत्येक वर्ष में एक बार सफाई आदि की आवश्यकता होती है। नहर सफाई माह अक्टूबर, नवम्बर व दिसम्बर में की जाती है, जो कि सफाई का उपयुक्त समय होता है। वर्ष, 2004 में नहरों की सफाई कार्यक्रम की बुकलेट तैयार कर माननीय विधायकों एवं जन प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराई जायेगी तथा माह अक्टूबर, नवम्बर व दिसम्बर में सफाई की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता है।

जिला चमोली के जोशीमठ में सिंचाई विभाग की भूमि को महाविद्यालय जोशीमठ के नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही

15–डा0 अनुसुया प्रसाद मैखुरी–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद चमोली के अन्तर्गत जोशीमठ में सिंचाई विभाग की भूमि महाविद्यालय जोशीमठ के नाम हस्तान्तरित की जा रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हाँ।

शासनादेश सं0 552/मी0आई0पी0/नौ–1–सि0/2002, दिनांक 27–12–2002 के अनुसार 7 भवन, भूमि सहित (526.03 वर्गमीटर/2 नाली 10 मुट्ठी) महाविद्यालय को उपयोगार्थ हस्तान्तरित की जा चुकी है। उक्त परिसर की शेष भूमि को महाविद्यालय को सौंपे जाने की कार्यवाही परीक्षणाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता है।

टिहरी बांध परियोजना पर व्यय एवं प्रगति कार्य

16–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि 31–03–2004 तक टिहरी बांध परियोजना पर कुल कितना व्यय हो चुका है ?

इसमें से बांध निर्माण पर कुल कितनी धनराशि तथा विस्थापन कार्य पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गयी ?

बांध परियोजना का कितना प्रतिशत कार्य हो चुका है तथा यह बांध कब तक बनकर पूर्ण हो जायेगा ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

टिहरी बांध परियोजना पर 31–03–2004 तक लगभग रु0 6004.00 करोड़ धनराशि व्यय हो चुकी है।

उक्त व्यय की गयी धनराशि में से लगभग रु0 5064.00 करोड़ बांध निर्माण पर तथा लगभग रु0 940.00 करोड़ विस्थापन कार्य पर व्यय की गयी है।

बांध निर्माण का लगभग 90.68 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। पावर हाउस की प्रथम एवं द्वितीय यूनिट से माह दिसम्बर, 2004 तक 500 मेगावाट विद्युत ऊर्जा का उत्पादन प्रस्तावित है तथा तृतीय एवं चतुर्थ यूनिट से उत्पादन कार्य आगामी वर्ष में आरम्भ किया जाना लक्षित है।

जनपद पौड़ी की पुरानी राजकीय नहरों की मरम्मत

17—श्रीमती विजय बड़थ्वाल—

क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि जनपद पौड़ी गढ़वाल की सभी राजकीय नहरें जो पिछले पांच से 10 वर्ष पूर्व बनी थीं, पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हैं ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा उक्त नहरों की मरम्मत/पुनर्गठन करने हेतु कोई योजना बनाई गई है ?

क्या यह सत्य है कि नाबार्ड के माध्यम से उक्त नहरों की मरम्मत कराई जा रही है ?

यदि हाँ, तो किन—किन नहरों की ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जनपद पौड़ी गढ़वाल में पिछले 10 वर्षों में कुल 33 नहरों का निर्माण किया गया था, जिनमें से 10 पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हैं।

जनपद पौड़ी गढ़वाल की क्षतिग्रस्त 10 नहरों की मरम्मत हेतु विभाग द्वारा रु0 23.00 लाख का प्राक्कलन तैयार किया गया है।

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

वित्तीय संसाधनों के अभाव के कारण।

जनपद पिथौरागढ़ के पिपलतड़ गांव में सिंचाई हेतु नहर का निर्माण

18—श्री विशन सिंह चुफाल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के पिपलतड़ गांव में सिंचाई हेतु नहर का निर्माण करायेंगे ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

सर्वेक्षण उपरान्त ही निर्णय लेना संभव होगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

19—श्री प्रीतम सिंह पंवार—

(द्वितीय मंगलवार के अता0 69 में स्था0)

उत्तरांचल में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आवासीय विद्यालयों का विवरण

20—श्रीमती विजय बड़थ्वाल—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आवासीय विद्यालय कितने और कहाँ—कहाँ हैं ?

क्या जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में भी अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय खोला जाएगा ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

उत्तरांचल में अनुसूचित जाति के 05 तथा अनुसूचित जनजाति के 15 आवासीय विद्यालय निम्न स्थानों पर अवस्थित हैं :—

क—अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय

1. रुद्रपुर (ऊधमसिंह नगर)
2. अधोईवाला (देहरादून)
3. सैंकोट (चमोली)
4. श्रीनगर (पौड़ी गढ़वाल)
5. जैंती (अल्मोड़ा)

ख—अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय

1. खटीमा—बालक (ऊधमसिंह नगर)
2. खटीमा—बालिका (ऊधमसिंह नगर)
3. बिढ़ौरा (ऊधमसिंह नगर)
4. गदरपुर (ऊधमसिंह नगर)
5. गूलरभोज (ऊधमसिंह नगर)
6. लालढांग—बालक (हरिद्वार)
7. लालढांग—बालिका (हरिद्वार)
8. ल्यूनी (देहरादून)
9. हरिपुर (देहरादून)
10. लाखामण्डल (देहरादून)
11. लांगापोखरी (देहरादून)
12. बलुवाकोट (पिथौरागढ़)
13. मुन्स्यारी (पिथौरागढ़)
14. गोठी (पिथौरागढ़)
15. जोशीमठ (चमोली)

जनपद पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर क्षेत्र में अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय खोले जाने हेतु शासन को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्तानुसार।

टिहरी गढ़वाल के बूढ़ाकेदार क्षेत्र में क्षतिग्रस्त बासर, मड़कोट, डौखर आदि नहरों के पुनरोद्धार/सुधारीकरण की कार्य योजना

21—श्री बलवीर सिंह नेगी—

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के बूढ़ाकेदार क्षेत्र में क्षतिग्रस्त बासर, मड़कोट, दुरागी तथा डौखर नहर के पुनरोद्धार/सुधारीकरण के लिए कोई कार्य योजना बना रही है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार योजना का प्रारूप सदन के पटल पर रखेगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हाँ।

बासर, मड़कोट, दुरागी तथा डौखर नहर की पुनरोद्धार/सुधारीकरण योजना एक नहर समूह के रूप में नाबार्ड ऋण योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित की गई है। योजना वित्त पोषण हेतु नाबार्ड को संदर्भित है जिस पर नाबार्ड के निर्णय के बाद ही प्रारूप स्पष्ट होगा।

10 अगस्त, 2002 को बादल फटने से बूढ़ाकेदार में क्षतिग्रस्त नहरों की संख्या एवं काश्तकारों को सिंचाई सुविधा

22—श्री बलवीर सिंह नेगी—

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि 10 अगस्त, 2002 को बादल फटने से बूढ़ाकेदार क्षेत्र (जनपद टिहरी गढ़वाल) में कुल कितनी नहरें क्षतिग्रस्त हुई हैं ?

विगत दो वर्षों में सरकार ने सिंचाई हेतु कितनी क्षतिग्रस्त नहरों पर काश्तकारों के खेतों पर पानी देने का प्रयास किया ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

दिनांक 10—08—2002 को बादल फटने से भिलंगना विकास खण्ड (बूढ़ाकेदार क्षेत्र) में 52 नहरें क्षतिग्रस्त होने के कारण बन्द हो गयी थीं।

बूढ़ाकेदार क्षेत्र की 52 नहरों में से 28 नहरें बन्द हैं, शेष नहरों को विभागीय धन से पिछले 2 वर्ष के अन्दर चला दिया गया था। बन्द नहरों के सुदृढ़ीकरण की योजनाएं बनाकर धन की मांग हेतु नाबार्ड को भेज दी गयी है, जिस पर नाबार्ड से ऋण स्वीकृत होने के उपरान्त कार्य कराया जाना सम्भव होगा।

उत्तरकाशी में सिंचाई विभाग की बन्द नहरों को चलाये जाने की योजना

23—श्री प्रीतम सिंह पंवार—

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में सिंचाई विभाग की कुल कितनी नहरें वर्तमान में पूर्ण रूप से बन्द हैं ?

क्या इन नहरों को सुचारू रूप से चलाया जायेगा ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

कुल 28 नहरें पूर्ण रूप से बन्द हैं।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर कार्यवाही की जानी निर्भर होगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनजाति आई0टी0आई0 खटीमा, जिला ऊधमसिंह नगर में कम्प्यूटर, फिटर तथा एलाइड अनुदेशक आदि पदों का सृजन तथा नियुक्तियाँ

24–श्री गोपाल सिंह राणा–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनजाति आई0टी0आई0 खटीमा, ऊधमसिंह नगर में कम्प्यूटर अनुदेशक, फिटर II यूनिट के लिये फिटर अनुदेशक तथा एलाइड अनुदेशक, कार्यशाला गणना एवं विज्ञान अनुदेशक, भाषा अनुदेशक, सामाजिक अध्ययन अनुदेशक के पद सृजित हैं ?

यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त ट्रेड के पदों का सृजन कर रही है ? यदि हाँ, तो उक्त पदों पर नियुक्तियाँ कब तक हो जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी नहीं।

जनजाति आई0टी0आई0 खटीमा, ऊधमसिंह नगर में अनुदेशक फिटर (द्वितीय यूनिट), अनुदेशक एलाइड तथा अनुदेशक सामाजिक अध्ययन के पद सृजित किए जाने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनका परीक्षण किया जा रहा है।

राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय खटीमा के जर्जर भवन/छात्रावास का पुनर्निर्माण

25–श्री गोपाल सिंह राणा–

क्या समाज कल्याण मंत्री भिज्ञ हैं कि राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय खटीमा, ऊधमसिंह नगर का भवन एवं छात्रावास जर्जर अवस्था में हैं, जिससे कभी भी विद्यालय एवं छात्रावास में कोई दुर्घटना हो सकती है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, खटीमा के भवन एवं छात्रावास के निर्माण हेतु कोई योजना बना रही है ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हाँ, राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, खटीमा के भवन तथा छात्रावास के मरम्मत तथा पुनर्निर्माण की आवश्यकता है। मरम्मत के लिए धनराशि उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जा रही है, तथा नए सिरे से विद्यालय का मुख्य भवन तथा छात्रावास के निर्माण का प्रस्ताव चालू योजनान्तर्गत भारत सरकार को स्वीकृतार्थ भेजा गया है।

प्रदेश में पशुपालन, मत्स्य एवं दुग्ध सैक्टरों हेतु मास्टर प्लान

26–श्री नारायण पाल–

क्या पशुपालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में पशुपालन, मत्स्य एवं दुग्ध सैक्टरों के लिए कोई मास्टर प्लान बनाया गया है ?

यदि हां, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वार्षिक योजनान्तर्गत इन सैक्टरों के लिए परिव्यय की व्यवस्था राज्य को प्राप्त होने वाले सम्भावित वित्तीय संसाधनों के सापेक्ष प्रतिवर्ष की जाती है।

ऊधमसिंह नगर में गूलरभोज स्थित दीर्घाकार बहुउद्देशीय सहकारी समिति लि0 में कथित घोटाला प्रकरण

27–श्री प्रेमानन्द महाजन–

क्या सहकारिता मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिला ऊधमसिंह नगर में गूलरभोज स्थित दीर्घाकार बहुउद्देशीय सहकारी समिति लि0 में वर्ष 2003–2004 में कितनी धनराशि का घोटाला हुआ था ?

इस घोटाले के दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कोई कार्यवाही की गयी है ?

यदि हां, तो क्या ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी नहीं।

जिला ऊधमसिंह नगर में गूलरभोज स्थित दीर्घाकार बहुउद्देशीय सहकारी समिति लि0 में वर्ष 2003–2004 में घोटाले से सम्बन्धित कोई भी प्रकरण प्रकाश में नहीं आया।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनजाति आई0टी0आई0 खटीमा, जिला ऊधमसिंह नगर में डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, कटिंग, टेलरिंग एवं फैशन डिजाइनिंग ट्रेडों को बढ़ाये जाने की मांग

28—श्री गोपाल सिंह राणा—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनजाति आई0टी0आई0, खटीमा, जिला ऊधमसिंह नगर में डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, कटिंग, टेलरिंग/फैशन डिजाइनिंग ट्रेडों को बढ़ाये जाने की योजना है ? यदि हां, तो उक्त ट्रेड (डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, कटिंग, टेलरिंग/फैशन डिजाइनिंग) कब तक प्रारम्भ कर दिये जायेंगे ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जनजाति आई0 टी0 आई0 खटीमा, ऊधमसिंहनगर में डीजल मैकेनिक एवं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड बढ़ाये जाने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनका परीक्षण किया जा रहा है।

जनपद ऊधमसिंह नगर के राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय खटीमा एवं बिड़ौरा के उच्चीकरण की मांग

29—श्री गोपाल सिंह राणा—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंह नगर के राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय खटीमा एवं बिड़ौरा के उच्चीकरण की कोई योजना है ? यदि हां, तो उक्त विद्यालयों का उच्चीकरण कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, खटीमा के उच्चीकरण के सुझाव प्राप्त हुए हैं। जिस पर निदेशक, समाज कल्याण से प्रस्ताव मांगा गया है।

जनपद ऊधमसिंह नगर में प्राथमिक, माध्यमिक विद्यालयों में अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को वितरित छात्रवृत्ति की राशि एवं लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या

30—श्री प्रेमानन्द महाजन—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंह नगर में प्राथमिक, माध्यमिक विद्यालयों में अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को मिलने वाली छात्रवृत्ति की कोई धनराशि गत वर्ष वितरित की गयी ?

यदि हां, तो इससे जनपद के कितने विद्यार्थी लाभान्वित हुए ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जनपद ऊधमसिंह नगर में गत वर्ष प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों में अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को रु0 129.80 लाख की छात्रवृत्ति वितरित की गयी।

जनपद के 28,737 विद्यार्थी लाभान्वित हुए।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला हरिद्वार के लालढांग में ग्राम गेन्डीखाता, रसूलपुर आदि जनजाति परिवारों के विकास हेतु सुविधाएं

31–श्री तसलीम अहमद–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिला हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र लालढांग में ग्राम गेन्डीखाता, रसूलपुर, मिट्ठी बेरी, चमरिया, इन्डियान वाला आदि जनजाति के परिवारों के विकास के लिए विभाग द्वारा क्या–क्या सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र लालढांग में ग्राम गेन्डीखाता, रसूलपुर मिट्ठी बेरी, चमरिया, इन्डियान वाला आदि जनजाति के परिवारों के विकास के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा निम्न सुविधायें प्रदान की जा रही हैं :–

01. दशमोत्तर छात्रवृत्ति
02. पूर्वदशम छात्रवृत्ति
03. बुक बैंक
04. मेरिट उच्चीकृत
05. आई0 टी0 आई0 छात्रवृत्ति
06. विभागीय संस्थाओं को अनुदान
07. स्वतः रोजगार
08. अनु0जनजाति अत्याचार उत्पीड़न सहायता
09. अंश पूंजी
10. आई0टी0आई0 का निर्माण/संचालन
11. छात्रावासों का निर्माण/संचालन
12. आश्रम पद्धति विद्यालयों का निर्माण/संचालन

13. आदिम जनजाति विकास की योजना

14. जनजाति उप योजना

15. जनजाति क्षेत्रों में खड़ंजा/गली निर्माण

16. संविधान की धारा 275(1) के अन्तर्गत जनजाति क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्यक्रम

17. राज्य सेवा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद ऊधमसिंह नगर के सितारगंज ब्लॉक में कैलाश बेगुल तथा नंधौर नदियों से हो रहे भूमि कटाव की रोकथाम

32–श्री नारायण पाल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंह नगर के सितारगंज ब्लॉक में कौमन नदी, कैलाश नदी, कटना नदी, बेगुल नदी तथा नंधौर नदियों द्वारा लगातार कृषि भूमि का कटाव हो रहा है ?

यदि हां, तो सरकार उक्त नदियों पर बाढ़ नियंत्रण के लिए क्या–क्या प्रयास कर रही है तथा इस हेतु बजट में कितनी धनराशि का प्राविधान किया गया है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

प्राप्त सूचनाओं के आधार पर सितारगंज ब्लॉक में कैलाश नदी, बेगुल नदी तथा नंधौर नदियों में कटाव की समस्या है।

नंधौर नदी ही सितारगंज क्षेत्र में प्रवेश करते ही कैलाश नदी व देवहा नदी के रूप में दो भागों में बंट जाती है और कैलाश नदी की बाढ़ सुरक्षा का कार्य सम्पन्न किया जा चुका है। बेगुल नदी की बाढ़ सुरक्षा की योजना भारत सरकार से वित्त पोषण हेतु अंगीकृत की गयी है। योजना की लागत 531.40 लाख है। वर्ष 2004–05 में इस योजना पर रु0 125.00 लाख का व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

दून वैली ऑफिसर्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लि0, देहरादून में हुई अनियमितताएं

33–श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि दून वैली ऑफिसर्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लि0, बसन्त विहार, देहरादून में विगत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट्स में वित्तीय अनियमितताओं तथा भूखण्डों के आवंटन में हेराफेरी तथा 'ग्रीन बेल्ट' हेतु विनिर्दिष्ट भूमि का आवासीय भू–खण्डों में आवंटन संबंधी गम्भीर ऑडिट आपत्तियां हैं ?

यदि हां, तो क्या इन ऑडिट आपत्तियों का अनुपालन करा दिया गया है ?

यदि नहीं, तो क्यों तथा इसके लिए कौन अधिकारी दोषी हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हां।

जी नहीं।

प्रकरण से संबंधित बिन्दु सहकारी समिति अधिनियम की धारा 68 की कार्यवाही के अन्तर्गत जांचाधीन है।

तत्कालीन सचिव के विरुद्ध सहकारी समिति अधिनियम की धारा 68 की कार्यवाही जारी है।

उत्तरकाशी में लघु सिंचाई विभाग द्वारा हौज–गूलों के निर्माण में प्रयुक्त सीमेन्ट का मूल्य ठेकेदारों/टोलीनायकों से वसूलने का प्रकरण

34–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में लघु सिंचाई विभाग द्वारा हौज गूलों के निर्माण में प्रयुक्त सीमेन्ट मार्का सी0सी0आई0 तथा ए0सी0सी0 का मूल्य प्रति बैग किस दर से (वर्ष 2003–04) ठेकेदारों/टोलीनायकों के भुगतान में से काटा गया है ?

क्या ये दरें उत्तरकाशी, जोशीयाड़ा, डुण्डा, चिन्यालीसैंड़ व बड़कोट में तत्समय की दरों से अधिक थीं ? यदि हां, तो कितनी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

लघु सिंचाई विभाग द्वारा हौज गूलों हेतु सीमेन्ट विभाग द्वारा सप्लाई किया जाता है। अतः सीमेन्ट का मूल्य टोलीनायकों/ठेकेदारों के भुगतान से काटने का प्रश्न नहीं उठता है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गढ़वाल के एकेश्वर ब्लॉक के ग्राम उखलेख में पूर्वी नयार के किनारे प्रस्तावित मत्स्य हैचरी का निर्माण

35–श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

क्या मत्स्य पालन मंत्री अवगत हैं कि जनपद गढ़वाल के एकेश्वर ब्लॉक के अन्तर्गत ग्राम उखलेख में पूर्वी नयार के किनारे मत्स्य हैचरी प्रस्तावित है ?

यदि हां, तो उसकी प्रगति क्या है तथा कब तक हैचरी बन कर तैयार हो जायेगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हां।

इस हेतु रु0 252.27 लाख का आगणन विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसकी स्वीकृति की कार्यवाही की जा रही है। हैचरी का निर्माण जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति, पौड़ी गढ़वाल द्वारा वार्षिक जिला योजनाओं के अन्तर्गत वर्षानुवर्ष परिव्यय संस्तुत करने पर निर्भर होगा।

लघु सिंचाई विभाग, उत्तरकाशी द्वारा चिन्यालीसौड, प्रखण्ड योजनाओं के निर्माण हेतु चिन्यालीसौड़ में ही सीमेन्ट गोदाम की स्थापना

36—श्री प्रीतम सिंह पंवार—

क्या लघु सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि लघु सिंचाई विभाग उत्तरकाशी द्वारा डुण्डा, चिन्यालीसौड प्रखण्ड की योजनाओं के निर्माण के लिए सीमेन्ट उत्तरकाशी स्थित गोदाम से दिया जाता है ?

यदि हां, तो क्या सरकार चिन्यालीसौड प्रखण्ड की योजनाओं के निर्माण के लिए सीमेन्ट का गोदाम चिन्यालीसौड़ में बनवायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां। किन्तु विशेष परिस्थितियों में कार्य की आवश्यकतानुसार समय-समय पर चिन्यालीसौड़ में भी किराये पर गोदाम सीमेन्ट स्टोर किये जाने हेतु लिये जाते हैं।

परीक्षण के निष्कर्ष पर निर्णय निर्भर रहेगा।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद उत्तरकाशी के वि0 ख0 भटवाड़ी में बार्सू स्थित फार्म हाउस में उत्पादित जड़ी बूटियों का विवरण एवं कार्यरत कर्मचारियों की संख्या

37—श्री प्रीतम सिंह पंवार—

क्या सहकारिता मंत्री अवगत हैं कि सहकारिता विभाग उत्तरकाशी द्वारा विकास खण्ड भटवाडी के बार्सू स्थित फार्म हाउस में किन-2 जड़ी-बूटियों का उत्पादन किया जा रहा है ?

उक्त फार्म में कुल कितने कर्मचारी कार्यरत/नियुक्त हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां।

विकास खण्ड भटवाड़ी के अन्तर्गत बार्सू फार्म में विभिन्न भेषज प्रजातियां तथा बच, आर्चा, भूतकेसी, वज्रदन्ती, कुटकी, बनककडी, डिजिटेलिस लेनाटा, डिजिटेलिस परिपूरिया, पायरेथम, शतावर मेन्था पिपरेटा, मीठा, मैदा, महा मैदा, गोपक्य, सालमपन्जा, सालम मिश्री, चिरायता, जीवक, बनप्सा, भृंगराज, बनचमेली, थान्या, ममीरी, रतनजोत, मजिष्ठा, समेवा, डायस्कोरिया, कूट, ब्राह्मी, काकोली तथा अतीस की पौध का उत्पादन किया जा रहा है।

उक्त फार्म में 4 कर्मचारी कार्यरत हैं।

टिहरी बांध की झील के कारण स्यॉसू व छाम में पैदल पुलों के डूबने से उत्पन्न स्थिति के लिए वैकल्पिक व्यवस्था

38—श्री प्रीतम सिंह पंवार—

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि टिहरी बांध निर्माण से निर्मित जलाशय (झील) के कारण स्यॉसू व छाम के पैदल झूला पुल डूब जायेंगे ?

यदि हां, तो ब्लॉक चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी की पट्टी दिचली व गमरी के गांवों के लोगों, जिनके शिक्षा संस्थान, स्वास्थ्य केन्द्र व्यापारिक प्रतिष्ठान आदि सुविधाओं के केन्द्र छाम व चिन्यालीसौड़ हैं, के लिए सरकार द्वारा क्या वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां।

टिहरी बांध के कट—ऑफ क्षेत्र (झील के पार) में आवागमन हेतु भिलंगना नदी पर पीपलडाली एवं भागीरथी नदी पर स्यॉसू नामक स्थान पर हल्का वाहन झूला पुल का निर्माण किया जा रहा है। कट—ऑफ क्षेत्र में 4 इण्टरमीडियट कॉलेज, 4 महाविद्यालय एवं 4 स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण टिहरी बांध के पुनर्वास मद से किया जा रहा है। सूचनानुसार आर0 एल0 815 मी0 पर स्थित चिन्यालीसौड़ भारी वाहन पुल के आगामी 2—3 वर्षों में डूबने की कोई सम्भावना नहीं है। छाम स्थित वर्तमान राजकीय इण्टर कॉलेज एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को डूब क्षेत्र से बाहर निर्मित किये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता है।

हल्द्वानी के फारेस्ट हास्पिटल ट्रस्ट के सन्दर्भ में कार्य स्थगन की सूचना विषयक कार्यवाही के अंश को विलोप न करने के सम्बन्ध में पुनर्विचार का अनुरोध

श्री प्रकाश पंत—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। मैं विनम्रतापूर्वक एक आग्रह करना चाहता हूं तथा अपने आग्रह से पूर्व यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि मेरा तात्पर्य पीठ पर आक्षेप करना या पीठ की व्यवस्थाओं पर आक्षेप करना नहीं है। मान्यवर, चूंकि आप हमारे संरक्षक हैं और हमारी विधान सभा में पुरानी जो संसदीय परम्पराएं हैं, उनका पालन होना चाहिए, यहां पर नई परम्पराएं न पड़नी पायें, इसलिए मेरा यह आग्रह है कि श्रीमन्, नियम 56 के अन्तर्गत एक सूचना लगी थी, जो कार्य स्थगन की सूचना थी और जिसे कार्यवाही का अंश न बनाने का निर्देश हुआ था। इस सम्बन्ध में, मैं आग्रह करना चाहता हूं कि इसका विलोप न किया जाय। मान्यवर, चूंकि इसके पीछे हमारे पास स्पष्ट कारण भी हैं। पीठ का निर्णय हो जाने के पश्चात् व्यवस्था का प्रश्न उठाने का औचित्य नहीं होता है। मान्यवर, यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश की है। श्रीमन्, इसमें 1990—95 के बीच में जो पीठ से निर्देश हुए, वह निर्देश खण्ड 409, अंक—4, पृष्ठ 99 में हैं। इसमें दिनांक 24 फरवरी, 1994 को श्री अध्यक्ष द्वारा औचित्य के प्रश्नों को अस्वीकार कर देने तथा यह कहने पर

कि माननीय सदस्य, अध्यक्ष के विनिश्चिय के खिलाफ किसी को बोलने की इजाजत नहीं है तो फिर इसे आप क्यों उठा रहे हैं ? तो उन्होंने आग्रह किया था कि "मान्यवर, आपने जो व्यवस्था दी है, उसे हम शिरोधार्य करते हैं। पुराने दृष्टांत हैं, निर्णय हैं कि माननीय अध्यक्ष के निर्णय के बाद उसे उठाया तो नहीं जा सकता लेकिन उस पर पुनर्विचार करने की प्रार्थना की जा सकती है। इसलिए मैं भी इस पर पुनर्विचार करने की प्रार्थना कर रहा हूं। मान्यवर, पुराने संस्करण में लिखा है कि अध्यक्ष के निर्णय के बाद कोई व्यवस्था नहीं होगी लेकिन पुनर्विचार की प्रार्थना की जा सकती है।" फिर श्री अध्यक्ष ने कहा कि "अगर कोई इस तरह के उदाहरण हैं तो यह कोई निश्चित नहीं है। अगर नयी परम्परायें डाली जा सकती हैं, तो तोड़ी भी जा सकती हैं। यदि कोई नयी परम्परा पड़ गयी होती और कानून बन गया या नियम बन गया तो मैं उसे मानता।"

मान्यवर, इसके आधार पर मैं आपकी व्यवस्था को चुनौती नहीं दे रहा हूं, मैं केवल आग्रह कर रहा हूं कि कोई नई परम्परा नहीं पड़े। मैं कल के विषय में संक्षेप में अपनी बात रखूंगा कि यह कार्य स्थगन सूचना जो नियम 56 में थी, उसके निदेश संख्या-15 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष द्वारा जारी हैं। मान्यवर, नियम 56 के अन्तर्गत श्री अध्यक्ष 10 सूचना चयनित करेंगे जो नियम 58, 59 की शर्तों को पूरा करेंगी और उनको चयनित करने के आधार के लिए नियम 58, 59 में व्यवस्था दी गयी है। मान्यवर, इसमें यह है कि यदि अध्यक्ष का समाधान हो जाय कि इससे न्यायाधिकरण, संविहित प्राधिकारी, आयोग या जांच न्यायालय द्वारा उस विषय के विचार किये जाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका नहीं है, तो अध्यक्ष स्वविवेक से ऐसे विषय को सदन में उठाने की अनुमति दे सकेंगे जो जांच प्रक्रिया या व्याप्ति या प्रक्रम से संबंधित हो। श्रीमन्, यह नियम कह रहा है कि माननीय अध्यक्ष जी को विशेषाधिकार प्राप्त है। मान्यवर, यदि सदन में चर्चा हो रही होती तो समझ में आता, लेकिन यहां पर ग्राह्यता पर बोला जा रहा था। मान्यवर, उसका उत्तर नहीं आया, पर उसके बाद जो हुआ, वह चिन्ता का विषय बना। मान्यवर, वाक स्वतंत्रता एक प्राथमिक अधिकार है। जबकि न्यायाधीन का नियम स्वयं लगाया गया प्रतिबन्ध है। इसलिए जहां आवश्यक हो, न्यायाधीन के नियम की अपेक्षा वाक स्वातंत्र्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायाधीन नियम विशेषाधिकार के मामलों पर लागू नहीं होता। मान्यवर, यहां पर हस्तक्षेप हुआ है जो कि निश्चित रूप से चिन्ता का विषय बनता है। मान्यवर, न्यायाधीन नियम के संबंध में समय-समय पर डिबेट हुआ है। संसदीय पद्धति एवं प्रक्रिया के पृष्ठ 1083 के पैरा 5 के अनुसार जहां तक किसी ऐसे विषय का संबंध है जो न्यायाधीन है और जिसका सभा में किसी भाषण या वाद-विवाद अथवा किसी वक्तव्य में उल्लेख किया गया है, अध्यक्ष को केवल इस आधार पर किन्हीं भी शब्दों अथवा वाक्यांशों को कार्यवाही वृत्तान्त से निकालने का आदेश देने का अधिकार नहीं है कि वे किसी ऐसे मामले से संबंधित हैं जो न्यायिक निर्णय के लिए किसी विधि न्यायालय में लम्बित हैं। पीठासीन अधिकारी द्वारा किसी सदस्य को यह कहे जाने के बावजूद कि सदस्य ऐसे मामले का उल्लेख न करें जो न्यायाधीन हैं, सदस्य द्वारा ऐसे न्यायाधीन मामले का उल्लेख जारी रखने पर पीठासीन अधिकारी सदस्य से तत्काल अपने भाषण को समाप्त करने के लिए कह सकता है। अध्यक्ष यह टिप्पणी भी कर सकता

है कि सदस्य को ऐसे मामले का उल्लेख नहीं करना चाहिए था जो न्यायाधीन है। इसके पश्चात् दोनों ही वक्तव्य कार्यवाही वृत्तान्त में रहेंगे, परन्तु अध्यक्ष ऐसे शब्दों को कार्यवाही वृत्तान्त से निकालने का आदेश नहीं दे सकता है और उसे देना भी नहीं चाहिए।" मान्यवर, कार्यवाही के शब्दों को निकालने की व्यवस्था है, पूरा का पूरा भाग निकालने की व्यवस्था कहीं नहीं है।

मान्यवर, लोक सभा वाद–विवाद सन् 1967 के 3508 के 17 वें भाग में है कि "आमतौर पर कार्यवाही वृत्तान्त से निकाले गए शब्दों के बारे में कोई समीक्षा नहीं की जाती और निकाले गए शब्दों को पुनः शामिल करने या निकाले गए शब्दों के बारे में सभा में प्रश्न उठाने के सदस्यों के अनुरोध सामान्यतः अस्वीकार किए गए हैं। विरले मामलों में ही अध्यक्ष पुनर्विचार के पश्चात् पिछले दिन के कार्यवाही वृत्तान्त से निकाले गए कुछ शब्दों को पुनः शामिल करने के लिए सहमत हुए हैं।" मान्यवर, पागे समिति का प्रतिवेदन, 1968 जो कि पीठासीन अधिकारियों की समिति होती है, मैं इसकी विस्तृत रिपोर्ट को पढ़ना नहीं चाहता, उसमें यह है कि "वाक स्वतंत्रता एक प्राथमिक अधिकार है। जबकि न्यायाधीन का नियम स्वयं लगाया गया प्रतिबन्ध है। इसलिए जहाँ आवश्यक हो, न्यायाधीन के नियम की अपेक्षा वाक स्वातंत्र्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।" यह पागे समिति के पीठासीन अधिकारियों की समिति ने यह प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। यह न्यायाधीन प्रक्रिया के तहत चलने वाली प्रक्रिया से भिन्न है। मान्यवर, जो यह हल्द्वानी में प्रकरण चल रहा है, यह प्रकरण उच्च न्यायालय के अधीन है।

मान्यवर, यह माननीय न्यायालय के अधीन है लेकिन यह प्रकरण उससे बिल्कुल भिन्न है और इसको पूरी कार्यवाही से विलोप किया जाना निश्चित रूप से संसदीय परम्पराओं के खिलाफ है। यह ठीक है आज आप लोग सत्ता पक्ष में बैठे हैं, कल हम वहाँ पर हों, यह अलग बात है लेकिन कोई ऐसी परम्परा नहीं डाली जानी चाहिए जो कि बाद में दृष्टान्त बन जाए। आपकी पीठ से कोई ऐसा अहित नहीं होना चाहिए जिससे कि विपक्ष का गला घोंट दिया जाए। मान्यवर, इस पर पुनर्विचार किया जाए और कल की कार्यवाही जिसको विलोप कर दिया गया है, उस पर विचार करें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

परिवहन मंत्री (श्री हीरा सिंह बिष्ट)–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो कहा वह ठीक है लेकिन जिस विषय पर परम्परा का अनुचित लाभ उठाया जाता है, उसकी अनुमति सदन में नहीं दी जा सकती है। मान्यवर, इस मामले में माननीय सदस्य स्वयं पक्षकार है।

(व्यवधान)

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, नोटिस में क्या है, क्या माननीय सदस्य ने पढ़ा है ?

(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश)–

मान्यवर, हमारे सदस्य को भी बोलने का अधिकार है।

(व्यवधान)

*श्री भगत सिंह कोश्यारी–

आप बोलिये, खूब बोलिये।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, अभी माननीय सदस्य जी ने जो उदाहरण अपने हित में दिया और वो पूर्व स्पीकर भी रहे हैं। अच्छी बात है कि वे अध्ययन करते हैं और अध्ययन करना भी चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि जैसे एक वकील अपने ही हित के प्वाइण्ट देकर बहस करता है, वही हमारे माननीय सदस्य जी कर रहे हैं। जैसा कि अभी माननीय सदस्य ने वाक स्वतंत्रता की बात कही है तो अगर जिसने कौल एवं शकधर जी की किताब पढ़ी हो, उसमें यह साफ लिखा है कि "ए मैटर इज नॉट सबज्युडिस अनटिल द लीगल प्रोसेडिंग स्टार्ट.......

(व्यवधान)

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, हमारे यहाँ की भाषा हिन्दी में है।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, माननीय सदस्य को अंग्रेजी नहीं आती है।

(व्यवधान)

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी गलत बोल रही हैं कि माननीय सदस्य को हिन्दी नहीं आती। अंग्रेजी आती है या नहीं आती है लेकिन इनको यहाँ पर हिन्दी में बोलना चाहिए।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, देश की सभी विधान सभाओं में जहाँ कोई चीज पुस्तक में अंग्रेजी में लिखी हो तो यह नियम है कि अंग्रेजी में बोल सकते हैं।

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप हिन्दी में उत्तर दे दें।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, जैसाकि माननीय सदस्य ने कहा कि इस पर पुनर्विचार करें और जो उदाहरण प्रस्तुत किया कि वाक स्वतंत्रता या कॉज नं0 19 में तो मान्यवर, इसमें बिल्कुल साफ लिखा है कि "ए मैटर इज नॉट सब ज्यूडिस अनटिल द लीगल प्रोसीडिंग्स एक्चुवली स्टार्ट, बट द मूमेंट ए कम्पलेन्ट इज फाइल्ड ऑर पिटीशन इज लान्ड इन्वाल्विंग ज्यूरिसडिक्शन ऑफ एनी ऑफ द कोर्ट इन इण्डिया द कोर्ट इज सीज्ड ऑफ द मैटर अप टू दैट एक्सटेंट द ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ द हाउस टू डिस्कस द मैटर इज बार्ड।" यानि उस विषय पर बहस करने पर भी रोक है। स्पीकर के लिए भी इसमें लिखा है कि "आलदो इट में बी द यूनानीमस डिजायर ऑफ द हाउस टू डिस्कस ए मैटर विच इज सब ज्यूडिस द स्पीकर इज बाउण्ड टू फॉरबिड इट।" यानि स्पीकर उसे मना करने के लिए बाउण्ड है। मान्यवर, हम एक जमाने से कौल एवं शकधर जी की बात करते आये हैं। उसके उदाहरण देते आये हैं। यदि हाउस ने तय कर दिया है तो उसके लिए भी लिखा है कि "डिस्कशन हैज टू बी रिस्ट्रेक्टेड टू द पार्ट विच इज नॉट सब ज्यूडिस।" मान्यवर, यह कार्य स्थगन प्रस्ताव के रूप में भी नहीं उठाया जा सकता है। वाक स्वातंत्र्य यानि फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच पर बाउण्ड है। यह आपके संज्ञान में था और आपके साथी जो कोर्ट में गये और शायद आज उसकी हियरिंग भी है। आपके बोलने पर रोक नहीं लगाई जा सकती, लेकिन जहाँ स्पीकर पर बाइण्डिंग है। इसलिए माननीय अध्यक्ष द्वारा दिया गया निर्णय सदन की मर्यादा के अनुकूल है।

श्री प्रकाश पंत–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि विषय माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। इसलिए इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। शायद यही कहा है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, सदन का निर्णय भी हो जाये तब भी स्पीकर बाउण्ड हैं।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के पास 27 वर्ष का अनुभव है। मेरे पास इतना लम्बा अनुभव तो नहीं है। लेकिन मान्यवर, मैं शब्दों पर गौर करने के लिए कह रहा हूँ। आपने कहा कि चर्चा नहीं की जा सकती, लेकिन श्रीमन्, मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूँ कि नियम 56 के अन्तर्गत सदन का कार्य स्थगित करा करके चर्चा कराने की मांग माननीय सदस्य कर रहे हैं और उसे क्यों कर रहे हैं, इसलिए ग्राह्यता पर बोल रहे थे। चर्चा पीठ ने स्वीकार नहीं की, यदि पीठ ने चर्चा स्वीकार कर ली होती तो इनकी बात सही थी।

श्री अध्यक्ष–

सबको सुन लिया है मैंने। माननीय पंत जी आपने बहुत से दृष्टांत दिये हैं, विभिन्न पुस्तकों का आपने जिक्र किया है। मैं इसका परीक्षण करा लूंगा और अपना निर्णय दूंगा।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, एक निवेदन है, आज कई माननीय सदस्यों ने नियम 301 की सूचनाएं भी लगायी होंगी।

(व्यवधान)

कुंवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन''–

मान्यवर, 301 की सूचना का प्राविधान आज की कार्यसूची में है ही नहीं।

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 301 के अन्तर्गत श्रीमती आशा देवी, श्री महेन्द्र भट्ट, श्री मदन कौशिक, श्री अनिल नौटियाल, श्री प्रकाश पंत, श्रीमती विजय बड़थ्वाल, श्री बिशन सिंह चुफाल, श्री प्रीतम सिंह पंवार, श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल, कुंवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन'', श्री नारायण सिंह जंतवाल, श्री हरबंस कपूर, श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी तथा श्री काशी सिंह ऐरी की कुल 14 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से श्री नारायण सिंह जंतवाल, श्री हरबंस कपूर, श्री मदन कौशिक, श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी, श्री काशी सिंह ऐरी, श्री प्रीतम सिंह पंवार तथा श्रीमती आशा देवी की सूचना को नियम 301 के अन्तर्गत स्वीकार कर रहा हूँ। पहली सूचना श्री नारायण सिंह जंतवाल जी की है।

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री नारायण सिंह जंतवाल का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे।)

बांगवाला पहाड़ के धँसने से सहस्त्रधारा के समीपवर्ती गांव बांडावाली को उत्पन्न खतरे के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, बीते दिनों हुई मूसलाधार बरसात के दौरान बादल फटने की घटना से बांडावाली गांव में संकट उत्पन्न हो गया है। इस गांव से लगे पहाड़ का एक टुकड़ा बीती 14 जुलाई की सुबह टूटकर नीचे गिरने लगा है। करीब दो किमी0 की दूरी पर स्थित पहाड़ से टूटकर बड़े–बड़े पत्थर गांव की तरफ गिरने लगे हैं। यह घटना लगभग 20 मिनट तक निरन्तर चलती रही। संयोगवश यह बड़े–बड़े पत्थर किसी मकान को प्रभावित नहीं कर सके। परन्तु निरन्तर पत्थर गिरने से गांव वालों पर खतरा 24 घण्टे

मंडरा रहा है। जिला प्रशासन बेखबर है तथा गांव वालों की तथा उनकी सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु कोई कार्यवाही अभी तक नहीं की गयी और न ही गांव वालों को कोई अन्य सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराया गया है जहां पर वह अपना डेरा डाल सकें।

मान्यवर, यह घटना तात्कालिक है, अविलम्बनीय है तथा अति लोक महत्व की है। अतः नियम 301 के अन्तर्गत इस घटना का ध्यान सदन के माध्यम से मैं सरकार की ओर दिलाना चाहता हूँ कि सरकार आवश्यक निर्देश जारी करे, जिससे कि गांव वालों तथा उनके जान–माल की सुरक्षा हो सके।

हरिद्वार शहर से 3 किमी0 की दूरी पर सलेज फार्म के नाम से स्थित देशी एवं विदेशी मदिरा की दुकानों को हटाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, आबकारी विभाग, उत्तरांचल द्वारा हरिद्वार शहर से 3 किमी0 की दूरी पर सलेज फार्म के नाम से देशी एवं विदेशी मदिरा की दुकानें व्यवस्थित की गयी हैं। क्योंकि नगर पालिका बाईलाज के अनुसार नगर पालिका सीमा से 3 किमी0 की दूरी तक मद्य निषेध क्षेत्र घोषित किया गया है लेकिन सीमा से मात्र 0.8 किमी0 (800 मीटर) की दूरी पर जगजीतपुर ग्राम में शिवडेल और डी0ए0वी0 पब्लिक स्कूल के मध्य आबकारी विभाग द्वारा देशी व विदेशी शराब की पुरानी दुकानें चलायी जा रही हैं। वहां पर छोटे–छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं और शराब की दुकानों पर आये दिन होने वाले हंगामे के कारण उनके मन मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अतः इन दुकानों को तुरन्त ही हटाया जाना चाहिए।

विषय तात्कालिक अविलम्बनीय एवं लोक महत्व का है। इस विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करता हूँ।

जनपद ऊधमसिंह नगर के तुमड़िया बांध परिसर में निवास कर रहे कृषकों को वन विभाग द्वारा उत्पीड़ित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–

मान्यवर, तुमड़िया बांध, जनपद ऊधमसिंह नगर परिसर में 1970 से लोग बसे हुए हैं तथा खेती व पशुपालन द्वारा अपनी गुजर बसर करते हैं। माह फरवरी, 2004 से वहां निवास करने वाले कृषकों का उत्पीडन वन विभाग द्वारा निरन्तर किया जा रहा है। पहले कृषकों की फसलें नष्ट कर दी, अब बांध परिसर में निवास करने वाले कृषकों की भूमि पर वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण करने के प्रयास किये जा रहे हैं। वन विभाग के अधिकारी छोटे–छोटे कृषकों की झोपड़ियों में आग लगाकर उन्हें तोड़ने हेतु स्थानीय अराजक तत्वों का सहयोग ले रहे हैं। ताकि वहां वर्षों से काबिज किसान भाग जायें। तुमड़िया

बांध परिसर में 1970 से बसे लोगों का कहना है कि वे बांध की खाली भूमि पर बसे हैं न कि वन विभाग की भूमि पर बसे हैं। वहां निवास करने वाले कृषकों व मजदूरों की मांग है कि बांध की भूमि तथा वन विभाग की भूमि का सर्वेक्षण करवाकर सीमांकन करवा दिया जाय, यदि कोई भी व्यक्ति वन विभाग की भूमि में बसा होगा तो वह उसे खाली कर देगा। चूंकि तुमड़िया बांध परिसर में सैकड़ों की संख्या में लोग विगत 30–35 वर्षों से बसे हुए हैं, उन्हें उजाड़ने व बार–बार वन विभाग द्वारा परेशान करने से जनता में भारी रोष व्याप्त है। अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूँ।

कुमाऊँ मण्डल में एल0टी0 व्यायाम के पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री काशी सिंह ऐरी–

माननीय अध्यक्ष जी, विगत दिनों एल0टी0 व्यायाम के पदों पर नियुक्ति का फैसला सरकार द्वारा लिया गया था जिसके अन्तर्गत एक वर्ष पूर्व गढ़वाल मण्डल में एल0टी0 व्यायाम के पदों पर नियुक्तियां कर दी गईं। परन्तु अभी तक कुमाऊँ मण्डल में एल0टी0 व्यायाम पदों पर एक भी नियुक्ति नहीं हुई है। यही नहीं सरकार द्वारा 2600 विशिष्ट बी0टी0सी0 पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई थी परन्तु आज तक उक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं हो पाई।

उक्त दोनों प्रकरणों पर सरकार द्वारा नियुक्ति की कार्यवाही न किये जाने से उत्तरांचल के एल0टी0 व्यायाम प्रशिक्षित एवं बी0एड0 प्रशिक्षित बेरोजगारों में भारी रोष व्याप्त है। अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूँ। मान्यवर, जन्तवाल जी सदन में आ गये हैं। उनकी भी सूचना है।

नैनीताल के कालाढूंगी के रा0इ0 कॉलेज में कृषि विषय आरम्भ किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नारायण सिंह जन्तवाल–

मान्यवर, राजकीय इण्टरमीडिएट कॉलेज, कालाढूंगी के चारों ओर कृषि भूमि होने के कारण वहां कृषि भूमि ही प्रमुख व्यवसाय है तथा कॉलेज में अधिकांश अध्ययनरत छात्र कृषकों के बच्चे हैं जो स्वयं भी कृषि कार्य में सहायता प्रदान करते हैं। लम्बे समय से क्षेत्रवासी इण्टरमीडिएट कॉलेज में कृषि भू विषय खोलने तथा प्रारम्भ करने की मांग करते रहे हैं जिससे उनके व्यवसाय कृषि को लाभ मिल सके। मांग पूरी न होने से क्षेत्र की ग्रामीण जनता में निराशा व्याप्त है। अतः मैं शासन से मांग करता हूँ कि कालाढूंगी क्षेत्र की जनता की इस न्यायोचित मांग को स्वीकार करते हुए प्रभावशाली कार्यवाही सुनिश्चित कर दें।

जनपद रुद्रप्रयाग में सेवारत राज्य कर्मचारियों को सीमान्त विशेष भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती आशा देवी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान जनपद रुद्रप्रयाग में सेवारत राज्य कर्मचारियों को सीमान्त विशेष भत्ता दिये जाने की ओर लाना चाहती हूँ। महोदय, जनपद रुद्रप्रयाग में सेवारत केन्द्रीय कर्मचारियों को सीमान्त विशेष भत्ता का लाभ दिया जा रहा है जबकि राज्य कर्मचारी उक्त लाभ से वंचित हैं। केन्द्रीय कर्मचारियों की भांति राज्य कर्मचारियों को भी सीमान्त विशेष भत्ता दिये जाने हेतु जनपद के राज्य कर्मचारी संगठन विगत कई समय पूर्व से मांग करता आ रहा है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा इस संदर्भ में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है, क्योंकि एक ही जनपद में सेवारत कर्मचारियों को दिये जाने वाले भत्ते में अन्तर किये जाने के कारण राज्य कर्मचारियों में अत्यधिक आक्रोश व्याप्त है और जनपद के समस्त कर्मचारी आन्दोलन कर रहे हैं, जिससे जनपद की स्थिति चिन्ताजनक बनी हुई है। अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर मैं आपके माध्यम से सरकार द्वारा अविलम्ब कार्यवाही करने की मांग करती हूँ।

जनपद ऊधमसिंह नगर के विद्यालयों में प्राथमिक स्तर से स्नातक स्तर तक बांग्ला भाषा अध्ययन के सम्बन्ध में याचिका

*श्री प्रेमानन्द महाजन–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद ऊधमसिंह नगर के 20 प्रतिशत बांग्ला विद्यार्थियों वाले विद्यालयों में प्राथमिक स्तर तक बांग्ला भाषा के अध्ययन के सम्बन्ध में श्री राम गोपाल सरकार एवं अन्य निवासीगण, जनपद ऊधमसिंह नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद ऊधमसिंह नगर के नेशनल हाईवे 74 से बरेली नगर–सकैनिया मोटर मार्ग की मरम्मत/पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में याचिका

श्री प्रेमानन्द महाजन–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद ऊधमसिंह नगर के मसीत नेशनल-हाईवे 74 से बरेली नगर–सकैनिया मोटर मार्ग 6.60 किलोमीटर मरम्मत/पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में श्री पुलिन सिकदार एवं अन्य निवासीगण, जनपद ऊधमसिंह नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद ऊधमसिंह नगर के गदरपुर के प्राथमिक विद्यालय खेमपुर, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जगदीशपुर इत्यादि विद्यालयों के उच्चीकरण के सम्बन्ध में याचिका

श्री प्रेमानन्द महाजन--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद ऊधमसिंह नगर के विकास खण्ड गदरपुर क्षेत्रान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय खेमपुर, उच्चतर प्राथमिक विद्यालय जगदीशपुर, उच्चतर प्राथमिक विद्यालय कुल्हा, प्राथमिक विद्यालय कौपा, प्राथमिक विद्यालय मसीत, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कन्या दिनेशपुर, उच्च प्राथमिक विद्यालय चितरंजनपुर, उच्च प्राथमिक विद्यालय पिपिलया नम्बर 1, प्राथमिक विद्यालय नन्दपुर विद्यालयों के उच्चीकरण के सम्बन्ध में श्री बाबू सिंह तोमर एवं अन्य निवासीगण, जनपद ऊधमसिंह नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद ऊधमसिंह नगर के चितरंजनपुर पूर्व माध्यमिक विद्यालय को उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में याचिका

श्री प्रेमानन्द महाजन--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद ऊधमसिंह नगर के चितरंजनपुर पूर्व माध्यमिक विद्यालय को उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में श्री विरंचीपद राय एवं अन्य निवासीगण, जनपद ऊधमसिंह नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद ऊधमसिंह नगर में बुक्सौरा धीमरी ब्लॉक मार्ग की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में याचिका

श्री प्रेमानन्द महाजन--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद ऊधमसिंह नगर में बुक्सौरा वाया दुर्गापुर, प्रफुल्लनगर, धीमरी ब्लॉक मार्ग लम्बाई 5 किलोमीटर मरम्मत एवं पुनः निर्माण के सम्बन्ध में श्री विरंचीपद राय एवं अन्य निवासीगण, जनपद ऊधमसिंह नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

श्री मातबर सिंह एवं श्रीमती आशा देवी द्वारा विशेषाधिकार हनन की सूचना

नेता प्रतिपक्ष (श्री मातबर सिंह)--

मान्यवर, हमारी मद संख्या 8 में एक सूचना है।

श्रीमती आशा देवी–

मान्यवर, यह विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना है।

श्री अध्यक्ष–

यह सूचना हमें कल ही प्राप्त हुई है, हम इसका परीक्षण करवा लेंगे।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, यह बहुत ही गम्भीर मामला है।

श्री अध्यक्ष–

इसका परीक्षण करवा लिया जायेगा।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, क्या आप इसे कल सुन लेंगे, हम उसके लिए भी तैयार हैं।

श्री अध्यक्ष–

इसे मैं देख लूंगा, इसका परीक्षण करा रहे हैं।

श्रीमती आशा देवी–

मान्यवर, हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है और आप सुनने को तैयार नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप पीठ पर आक्षेप कर रही हैं, मैं इसे कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा।

श्री अजय भट्ट–

आशा जी आप बैठें, मान्यवर, माननीया सदस्या ....।

श्री अध्यक्ष–

मैं कुछ नहीं सुनूंगा, आप बैठ जाइये।

श्री महेन्द्र भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे अत्यन्त लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर ग्राह्यता पर बोलने का अवसर प्रदान किया। महोदय, जनपद चमोली में अभी हाल ही में 7 जूनियर विद्यालयों का उच्चीकरण हाई स्कूल के रूप में हुआ है। आज कल इनमें प्रवेश की प्रक्रिया चल रही है। इनमें मात्र एक प्रधानाचार्य और एक सहायक अध्यापक हैं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, सम्भवतः यह सूचना स्वीकार नहीं हुई है।

श्री महेन्द्र भट्ट–

मान्यवर, मैंने आज अलग–अलग नियमों में दो सूचनाएं लगायी थी।

श्री अध्यक्ष–

आपकी 311 की सूचना को नियम 56 में परिवर्तित कर दिया गया है।

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 56 के अन्तर्गत श्री हरभजन सिंह चीमा तथा श्री अरविन्द पाण्डे, श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, श्री महेन्द्र भट्ट, श्री कैलाश शर्मा, श्रीमती विजय बड़थ्वाल, श्री मदन कौशिक, श्री अनिल नौटियाल, श्री प्रकाश पंत, श्री नारायण सिंह जंतवाल, श्री बिशन सिंह चुफाल, श्री काशी सिंह ऐरी, श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी तथा चौधरी यशवीर सिंह, श्री हरबंश कपूर एवं श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, श्री अजय भट्ट तथा श्री नारायण पाल की कुल 14 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, इनमें से मैं श्री महेन्द्र भट्ट, श्री कैलाश शर्मा, श्री प्रकाश पंत एवं श्री काशी सिंह ऐरी, विपिन चन्द्र त्रिपाठी व चौ0 यशवीर सिंह की सूचना को ग्राह्यता पर सुन रहा हूँ।

श्री महेन्द्र भट्ट–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, नियम 311 के अन्तर्गत हमारी माननीय विपिन चन्द्र त्रिपाठी, माननीय काशी सिंह ऐरी, माननीय चौधरी यशवीर सिंह तथा माननीय प्रीतम सिंह पंवार जी की सूचना को नियम 56 के अन्तर्गत सुनने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, उत्तरांचल का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री बदरीनाथ धाम से सम्बन्धित है। 05 जुलाई, 2004 को एक भयानक भू–स्खलन के कारण यात्रा अवरुद्ध हुई और उसके पश्चात् से जिस प्रकार की व्यवस्थाएं वहां पर होनी चाहिए थी, वह नहीं हुई। आपदा प्रबन्धन मंत्रालय को जिस गति और संवेदनशीलता के साथ वहां पर कार्य करना चाहिए था, वह नहीं हुआ, परिणामस्वरूप आज वहां पर्यटकों / तीर्थ यात्रियों की संख्या में भारी गिरावट आयी है। 05 जुलाई से 15 जुलाई के मध्य वहां पर केवल 15 यात्रियों ने श्री बदरीनाथ धाम के दर्शन किये, जबकि इससे पहले 25 अप्रैल से लेकर 05 जुलाई तक तीन लाख अट्ठावन हजार तीर्थ यात्री वहां पहुंचे थे। मान्यवर, इस यात्रा का अपना अलग महत्व है।

मान्यवर, यहां का आपदातंत्र एवं सूचनातंत्र किस प्रकार से संवेदनशील है इसका पता इससे लगता है कि 06 तारीख को मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन ऋषिकेश से यात्रियों के लिए टिकट काट दिये जाते हैं। यात्री परेशान हुए। बरसात का दिन था, स्थानीय लोग एवं तीर्थ यात्री आक्रोशित एवं भयाकुल थे, ऐसी स्थिति में यात्रियों के टिकट काटे गये। मान्यवर, इससे बड़ी आश्चर्य की बात और क्या हो सकती है कि 05 जुलाई से लेकर 08 तारीख तक केवल जिलाधिकारी को छोड़कर सरकार एवं शासन का

कोई वरिष्ठ अधिकारी/मंत्री घटना स्थल पर नहीं पहुंचा। मान्यवर, 07 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के सदस्य सायं 05 बजे तक वहां मौजूद थे। मान्यवर, स्थानीय विधायक निश्चित रूप से 07 तारीख की सायं वहां पर थे, उनको वहां के लोगों एवं तीर्थ यात्रियों के आक्रोश का खामियाजा भुगतना पड़ा। मान्यवर, स्थिति बहुत भयावह थी, जे0 पी0 सुरंग के माध्यम से यात्रियों को निकाला गया, लेकिन जो यात्री वाहनों के साथ गये थे, उस सम्बन्ध में चर्चा हुई थी तो स्थानीय पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया। मान्यवर, बाद में जिलाधिकारी ने इस कृत्य के लिए क्षमा मांगी।

मान्यवर, केवल बदरीनाथ के लिए ही नहीं बल्कि यहां यमुनोत्री, गंगोत्री तथा केदारनाथ धाम के लिए भी यात्री आते हैं। सरकार चार धाम यात्रा के बारे में कितनी संवेदनशील है, इसका पता इस बात से लगता है कि देहरादून एवं हरिद्वार के अन्दर बोर्ड लगे हैं, बदरीनाथ धाम की यात्रा बन्द है। मान्यवर, इस घटना के बाद पूरे उत्तरांचल में यात्रा प्रभावित हुई है। हरिद्वार से एक भी गाड़ी यात्रा के लिए नहीं गयी। यह अच्छा संकेत नहीं है। मान्यवर, जो स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए उत्तरांचल को दो मोबाइल हॉस्पिटल मिले हैं, उनमें से एक भी मोबाइल हॉस्पिटल वहां पर नहीं है। जनपद चमोली में, हड्डियों के एक भी डाक्टर नहीं हैं तथा रुद्रप्रयाग जनपद में भी नहीं है, यह भी चिन्ता का विषय है। अलकनन्दा नदी में एक बस और गाड़ी डूबी, जिसमें 11 यात्री आज भी लापता हैं। उस गाड़ी को निकालने का कोई प्रयास नहीं हुआ, उनके बारे में लोग आते हैं और पूछते हैं कि लापता लाशें मिलीं, लेकिन सरकार द्वारा कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। मान्यवर, अच्छा होता कि वहां पर एक अस्थाई मार्ग की व्यवस्था हो जाती, विष्णुप्रयाग में पहले एक पुल था, हम उस पुल की व्यवस्था कर सकते हैं। मान्यवर, सवा चार किलोमीटर की गुफा में जाने के लिए स्वास्थ्य का प्रमाण-पत्र ले रहे हैं। आजकल ऐसी तकनीकें हैं जिससे दुर्गम से दुर्गम स्थान पर मार्ग बना सकते हैं, अगर हम लोग गोविन्द घाट में यह कर सकें तो यह यात्रा भय की यात्रा न बनकर एक सुगम यात्रा बन सकती है, लेकिन सरकार इस दिशा में कुछ नहीं कर रही है। मान्यवर, वहां पर व्यवसाय बिल्कुल ठप्प हैं, पूरे प्रदेश के अन्दर यात्रा इस प्रकार से प्रभावित हो गयी जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। आज हमने पेपर में पढ़ा कि 11 सौ कर्मचारियों को भेजने का प्रयास किया, पर वे नहीं जा रहे हैं।

मान्यवर, अगर ऐसा कोई वक्तव्य या ऐसी कोई व्यवस्था सरकार द्वारा अपनायी जाये और यह घोषणा हो जाय, अस्थायी मार्ग का इतने दिनों में निर्माण कर रहे हैं। जिस प्रकार वहां अव्यवस्था है, मिट्टी तेल की अव्यवस्था है, दूर संचार वहां पूरी तरह खराब है, कुकिंग गैस की व्यवस्था नहीं है। रोजाना ढाई तीन सौ यात्री वहां पर रहते हैं, उनकी जिस प्रकार से सहायता कर सकते हैं, हमको करनी चाहिए। मान्यवर, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बदरीनाथ, केदारनाथ समिति के अध्यक्ष हैं, वह कल तक वहां नहीं पहुंचे हैं। मैं, अन्त में आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, यह मामला यात्रा से जुड़ा है, इस विषय पर सरकार गम्भीरता से सोचे, वहां पर भय का वातावरण यात्रियों में बन गया है। अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर आज की समस्त कार्यवाही को लम्बित करते हुए, इस पर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं।

श्री काशी सिंह ऐरी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने 311 की सूचना को 56 में सुनने का मौका दिया। मान्यवर, वस्तुतः जो 311 नियम का उपयोग किया, वह इसलिए नहीं किया कि विषय महत्वपूर्ण नहीं था या इसलिए नहीं किया कि इसकी आवश्यकता 311 में ही थी। बल्कि हमने बहुत सोच विचार कर आपके निर्णय के लिए यह सूचना 311 में दी कि ये जो हादसे हैं, उन हादसों के प्रति हमारी सरकार के हाथ पांव कितने चुस्त दुरुस्त हैं, इसको परखने के लिए और उनको जगाने के लिए यह लाये थे। हमारे साथी श्री महेन्द्र भट्ट जी ने जो विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है, मैं उस पर अपने को सम्मिलित करते हुए कहना चाहता हूं कि मैं आपको दो उदाहरण देना चाहूँगा, पहला उदाहरण मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि जब आपके नेतृत्व में हमारी विधान सभा की नियम समिति भ्रमण पर थी, उस समय क्या हालत हुई, श्रीनगर से 8 किलोमीटर के भीतर जो कि हमारा गढ़वाल मण्डल का मुख्यालय है और जो सांस्कृतिक और राजनीतिक केन्द्र रहा है। वहां पर कम से कम डेढ़ सौ गाडियां लगी थीं मगर प्रशासन का एक भी आदमी वहां नहीं था। आप स्वयं उसके भुक्तभोगी रहे हैं। हम अपनी गाड़ी को धक्का देकर श्रीनगर पहुचे थे, आप इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिले थे। दूसरी घटना मालपा का हादसा हुआ था, वहां पर तीर्थ यात्री पहाड़ में दब गये थे। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि उस घटना स्थल तक पहुंचने के लिए हमारे लोगों को नेपाल के रास्ते से मालपा आना पड़ा, यहां से जाने की कोई गुंजाइश नहीं थी। और मान्यवर, दूसरा उदाहरण जो कि आपके नेतृत्व में भ्रमण यात्रा पर गया था, उसको बताया। तीसरी बात, मैं आपका ध्यान उन बिन्दुओं की ओर आकर्षित करना चाहूँगा जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान कि बदरीनाथ यात्रा स्थगित कर दी गयी है। मान्यवर, जब हम उत्तर प्रदेश में थे तो इसकी शिकायत हम करते थे। वहां दिल्ली से एक बयान आता था कि यहां पर मार्ग अवरुद्ध है या कुछ और हो गया है। इसकी शिकायत और विरोध हम उत्तर प्रदेश सरकार से करते थे कि आपके यहां पर दिल्ली से बयान आ जाता है और आपकी सरकार उदासीन है, उसका विरोध करते थे लेकिन आज यहां हमारा राज्य है और हमारी सरकार है और ऐसा बयान दिया गया जो कि यहां की जनता को, पर्यटकों को आतंकित करने वाली सूचना है, तो यहां पर्यटकों का क्या होगा ? वो यहां पर आने के बारे में क्या सोचेंगे ? मान्यवर, इस पर सरकार को जवाब देना चाहिए और सरकार को इस पर चर्चा करनी चाहिए। मान्यवर, हर हादसे का एक विस्तृत ब्यौरा हमारे माननीय सदस्य भट्ट जी ने दिया है।

आपदा प्रबंधन में बहुत बड़ा बजट है। उसमें हमारी तैयारी क्या है ? मान्यवर, आपदा प्रबंधन के लिए तैयारी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। अभी केन्द्र सरकार से 14 करोड़ रु0 की धनराशि मिली है। उस 14 करोड़ का आप क्या करेंगे ? खर्च करेंगे या फिर खाने–पीने में खर्च कर देंगे। यह सोचने की बात है। वहां पर दो–दो मोबाईल हॉस्पिटल दिए लेकिन वहां पर कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं था जिससे कि यात्रियों को

चिकित्सकीय सुविधा दी जा सके। क्या सोचेंगे पर्यटक ? जब उनको चिकित्सकीय सुविधा नहीं दी गयी या न दी जा सकी। हम उनको एक रास्ता बनाकर नहीं दे सकते ? एक कम्पनी के ऊपर हमें निर्भर रहना पड़ा और उनके टनल का प्रयोग किया गया। यह सोचने की बात है। इस पर सरकार को सोचना चाहिए। मान्यवर, आपदा प्रबंधन के बारे में, उसके सीखने के लिए एक डेलीगेशन यहां से बाहर गया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ जिन्होंने कहा कि हमारा प्रदेश आपदा प्रदेश है और इसके बारे में सबको जानकारी होनी चाहिए। लेकिन जो लोग बाहर गए, वे घूमकर चले आए। हर आपदा के बाद कोई न कोई बहाना बना दिया जाता है। मान्यवर, यह एक गम्भीर और अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है और इस पर सारे कार्य स्थगित कर, चर्चा होनी चाहिए।

श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–

मान्यवर, आपने मुझे नियम 311 की सूचना पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, दिनांक 5–6 जुलाई, 2004 को बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के लामबगड़ क्षेत्र में अलकनन्दा में अचानक बाढ़ आ जाने से तथा भीषण वर्षा से आठ हजार तीर्थयात्री रास्ते में ही फंस गये तथा विष्णुप्रयाग के पास एक विशाल चट्टान के खिसकने से एक बस सहित दो अन्य वाहनों के अलकनन्दा नदी में बह जाने से अठारह यात्रियों की दुखद मृत्यु हो गयी तथा 20 यात्री घायल हो गये। माननीय अध्यक्ष जी, मैं 8 जून, 2004 को बद्रीनाथ यात्रा पर गया। मैंने स्वयं देखा कि श्रीनगर से लेकर जोशीमठ तक जोशी मठ से बद्रीनाथ तक सारे मार्ग पर फोर लेन निर्माण के नाम पर जगह–जगह विस्फोट किये जा रहे थे। बुल्डोजर लगे थे। विष्णुप्रयाग में तो विस्फोट से एक विशाल चट्टान खिसकने की स्थिति में थी तथा कभी भी गंभीर दुर्घटना हो सकती थी।

मान्यवर, श्रीनगर से जोशीमठ तक तथा जोशीमठ से बद्रीनाथ तक विगत 4 वर्षों से लगातार यात्रा सीजन में सड़कों के चौड़ीकरण का कार्य शुरू कर दिया जाता है जिसमें विस्फोट से लेकर साइड कटिंग तक का कार्य करवाया जाता है। फलतः हमेशा गम्भीर दुर्घटना का भय बना रहता है। मैं यह तो मान सकता हूँ कि लामबगड़ की घटना दैवीय आपदा हो सकती है, परन्तु विष्णुप्रयाग की भीषण दुर्घटना को मैं दैवीय आपदा नहीं मान सकता, क्योंकि मान्यवर, विष्णुप्रयाग में पहले से ही विशाल पहाड़ की कटिंग का कार्य चल रहा था, यह खतरा पूर्व से ही था कि यह विशाल पहाड़ कभी भी नीचे आ सकता है तथा भीषण दुर्घटना को जन्म दे सकता है। उसे गम्भीरता से नहीं लिया गया, फलतः विष्णुप्रयाग की दुर्घटना में 18 यात्रियों की दुखद मृत्यु हो गई तथा 20 यात्री घायल हो गये। अतः मानव द्वारा प्रायोजित आपदा को रोका जा सकता था, यही नहीं मान्यवर, चार धामों की यात्रा के सीजन में सड़क निर्माण, कटिंग व विस्फोटों पर रोक लगाई जानी चाहिए, यही नहीं मान्यवर, आजादी से पूर्व चार धामों की यात्रा हेतु जो पैदल

मार्ग बने थे, उसमें से अधिकांश अस्त-व्यस्त हैं। अतः पैदल मार्गों का पुनर्निर्माण व जीर्णोद्धार करवाया जाना चाहिए। चूंकि बद्रीनाथ धाम देश के प्रख्यात चार धामों में से सर्वोच्च धाम है। अतः उक्त धाम की यात्रा रोके जाने से जहां धार्मिक पर्यटन व्यवसाय को भारी नुकसान पहुंचा, वहीं सरकार की छवि भी खराब हुई है। अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर चर्चा किये जाने की मांग करता हूँ।

श्री अजय भट्ट--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया। मैं अपने को माननीय सदस्य श्री महेन्द्र भट्ट जी, श्री काशी सिंह ऐरी जी एवं त्रिपाठी जी से सम्बद्ध करता हूँ और यह कहना चाहता हूँ कि सिर्फ उत्तरांचल ही एक ऐसा राज्य है हिन्दुस्तान में, जहां पर आपदा प्रबन्धन मंत्रालय खोला गया और यह नमूना आस्ट्रेलिया से लिया गया, इसे आस्ट्रेलियन पैटर्न का विभाग कहा जाता है। इसमें स्वास्थ्य विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग दोनों को मिलाकर एक साथ काम किया जाता है यह निर्णय, जो पूर्व में सरकार थी, के समय किया गया। उस समय मुझे इन दोनों विभागों को संभालने का मौका मिला था।

मान्यवर, आज इस सरकार को 3 साल होने जा रहे हैं लेकिन आज तक इस विभाग की नियमावली नहीं बनी है, इसके कर्मचारी कहां से आयेंगे, उनका क्या कार्य होगा, अभी तक निर्णय नहीं हुआ है, कोई प्राविधान ही नहीं बना है, इस सम्बन्ध में कुछ चीजें मैंने अपने जमाने में की थीं, जो आज भी चल रही हैं, इनका और विस्तार होना चाहिए था लेकिन आज तक वह नहीं हो पाया है। हमने एक ई0ओ0सी0 खोला था इमरजेन्सी ऑपरेशन सेन्टर और एक डी0एम0एम0सी0 डिजास्टर मिटीकेशन मैनेजमेंट सेंटर (आपदा न्यूनीकरण केन्द्र)। अगला एक महत्वपूर्ण कार्य जो हमने किया, वह था प्रत्येक जनपद के जिलाधिकारी को 50-50 लाख रुपया आपदा प्रबंधन में राहत हेतु आवंटित किया, उत्तरांचल बनने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी जाने वाली जनटाइड काण्ड की धनराशि को बंद कर दिया गया था, इसीलिए यह धनराशि जिलाधिकारियों को दी ताकि आपदा होते ही तत्काल राहत कार्य जिलाधिकारी प्रारम्भ करा सकें, तीसरा कदम था फ्लॉपी बनाने का, जिसमें यह प्रावधानित किया जाना कि कहां पर कितने हड्डी रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, फिजीशियन, सर्जन एवं महिला चिकित्सक हैं तथा कितने एक्स-रे वाले हैं। तथा जोन 5 एवं जोन 4 के आपदा ग्रस्त क्षेत्रों में कहां-कहां वैकल्पिक मार्ग हो सकते हैं, इनका डाटा उस फ्लॉपी में होता और यह उस समय बहुत काम आते हैं, जब कोई आपदा हो जाती है तो उस समय फ्लॉपी के जरिये तुरन्त इनका पता ,चल जाता कि कहां-कहां डाक्टर हैं एवं कहां-कहां वैकल्पिक मार्ग हो सकते हैं। आपदा प्रबन्धन को तीन फेज में बांटा गया था एक प्री-डिजास्टर, ड्यूरेशन डिजास्टर एवं पोस्ट डिजास्टर, मतलब आपदा से पहले, आपदा के समय, आपदा के बाद।

मान्यवर, आज तो विदेशों में उच्च तकनीक की मशीनें आ गई हैं, जहां पर इस तरह की आपदायें आती हैं, वहां पर ऐसी मशीन है कि यदि कोई आदमी बह रहा है, तेज बहाव है तो मशीन के जरिये, जाल से आदमी को बचा लिया जाता है, उसे चोट भी नहीं लगेगी। ऐसे ही कहीं पर लाशें फंस जाती हैं तो उन्हें भी इन मशीनों से निकाला जाता है, जैसा अभी कुछ दिन पूर्व गुजरात में हादसा हुआ, वहां पर 10-10 दिन बाद जीवित लोग बाहर निकाले गये। विदेशों में मशीनों के जरिये यह पता चल जाता है, यदि कोई जीवित आदमी जमीन के नीचे है तो मशीन बता देती है कि अभी नीचे मानव जीव सुरक्षित है, इस तरह के उपकरणों की यहां पर भी आवश्यकता है, हमें आपदा प्रबन्धन विभाग को उच्च तकनीक वाला विभाग बनाना चाहिए।

मान्यवर, एक और महत्वपूर्ण कार्य हमने शुरू कराया था वह था खैरियत रिपोर्ट लेने का, उस समय कुछ लोग इसे मजाक समझ रहे थे, परन्तु यह बहुत ही छोटा कार्य है लेकिन अच्छा और सुगम है, इसमें हम कानूनगो क्षेत्रों में आर0जी0 लगा रहे थे, रेडियोग्राम लगा दें, इसमें पटवारी, क्षेत्र पंचायत सदस्यों और ग्राम प्रधानों के जरिये पता करना था कि क्षेत्र में सब कुछ सकुशल है, खैरियत है, पटवारी, कानूनगो को और कानूनगो तहसील में और तहसील जिले को और जिला ई0ओ0सी0 को मैसेज कन्वे कर देते, इससे पूरी स्टेट (राज्य) की आपदा की जानकारी यानि कि सब खैरियत है या कहां पर क्या हुआ, इसकी जानकारी आसानी से प्राप्त हो जाती। यह महत्वपूर्ण कार्य है और देर-सबेर शासन को ऐसा करना ही पड़ेगा।

मान्यवर, ई0ओ0सी0 का मतलब था कि यह सेन्टर 24 घण्टे चलता रहे और इसमें तहसीलदार स्तर का एक अधिकारी बैठे। मान्यवर, उस दिन जब मैंने ई0ओ0सी0 से बदरीनाथ, लामबगड़ की दुर्घटना की जानकारी चाही तो वहां पर कोई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बैठा हुआ था, उसने कहा कि इसकी कोई रिपोर्ट नहीं है, हां कुछ घपला हुआ है। फिर मैंने चीफ सेक्रेटरी से बात की तो उन्होंने बताया कि ऐसी-ऐसी घटना हुई है। मान्यवर, चीफ सेक्रेटरी तक तो मुझे पहुंचना ही नहीं था। मुझे तो ई0ओ0सी0 से ही पता चल जाना चाहिए था। मेरे एक परिचित का फोन दिल्ली से आया था कि उनके परिवार के कुछ लोग बदरीनाथ यात्रा पर गये हैं, वहां दुर्घटना होने का समाचार है, उन्होंने अपने परिवारजनों की कुशल जाननी चाही थी, तब मैंने ई0ओ0सी0 से जानकारी चाही थी। इस सरकार के समय में खैरियत रिपोर्ट के बारे में कोई कार्य नहीं हुआ है। 50-50 लाख रुपया हम जिलाधिकारियों को फौरी तौर पर दें, वह भी इस सरकार ने काट दिया। जो रुपया पिछले वर्ष टूटे हुए विद्यालयों और पुलों को बनाने के लिए दिया था, उसका कोई सदुपयोग नहीं हुआ है। मान्यवर, मुझे आशंका है कि कभी चेन्नई जैसी घटना यहां पर भी हो सकती है। मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या-क्या व्यवस्थाएं आज तक की हैं, उनका विवरण सदन के पटल पर रखा जाय। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने ई0ओ0सी0, डी0एम0एम0सी0 और आपदा न्यूनीकरण सेन्टर कहां पर बनाए हैं और इन सेन्टरों में आपने कौन-कौन से अधिकारी बैठाए हैं,

इसका भी खुलासा सरकार को करना चाहिए। मान्यवर, यह सत्ता पक्ष अथवा विपक्ष का प्रश्न नहीं है, यह पूरे सदन का प्रश्न है। इसे पूरी गंभीरता से लेना चाहिए। मैं मांग करता हूँ कि इस प्रकरण पर आज की कार्यवाही रोककर चर्चा करायी जाय। इस विषय पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई माननीय सदस्य अपने विचार रखना चाहते हैं, इसलिए इस पर चर्चा होनी ही चाहिए। इसके साथ ही मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखने का मुझे अवसर प्रदान किया।

चौ0 यशवीर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम 56 की सूचना पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मान्यवर, निश्चित रूप से इस घटना में जिन व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, इनका मुझे ही नहीं बल्कि पूरे सदन को खेद है। ऐसी कोई भी घटना नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार की घटना के बाद चिकित्सा सुविधा और राहत देना सरकार की जिम्मेदारी है और इसमें जो कमी रही, उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। मान्यवर, जहां तक उस मंदिर के अध्यक्ष की बात है तो वह मुम्बई में रहता है। ऐसे आदमी को डिप्यूट ही नहीं करना चाहिए था जो उत्तरांचल में रहता ही नहीं। उसका ज्यादा समय मुम्बई में ही व्यतीत होता है। जहां तक यात्रा स्थगित करने की बात है, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ गलत नहीं कहा। एक आदमी तो विपत्ति में फंस ही गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना था कि दूसरा आदमी वहां पर न फंसे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यात्रा बन्द करने के लिए कभी कुछ नहीं कहा। मान्यवर, जहां तक टर्मिनल की बात है, जब आदमी विपत्ति में फंसा रहता है, तो उसको जहां से रास्ता मिलता है, वहीं से निकलने की कोशिश करता है। मैं समझता हूँ कि सरकार ने यह बहुत अच्छा काम किया कि फंसे हुए लोगों को टर्मिनल के रास्ते बाहर निकाल दिया। उस दिन मैं टी0वी0 पर देख रहा था, यात्री टर्मिनल से बाहर निकलने पर खुश थे। इस अविलम्बनीय विषय पर मैं भी माननीय सदस्यों के साथ हूँ तथा इस पर चर्चा कराए जाने की मांग करता हूँ।

*शहरी विकास मंत्री (श्री नव प्रभात)–

मान्यवर, माननीय सदस्यों ने इस घटना के प्रति जो संवेदनशीलता व्यक्त की है, हम भी उन संवेदनाओं और विचारों से अपने को सम्बद्ध करते हैं। हम उनके प्रति शोकाकुल भी हैं, जिनका इस यात्रा के दौरान देहान्त हुआ। मान्यवर, गम्भीर चोट लगी है, प्रयत्नशील भी हैं, उन लोगों के प्रति जिन लोगों को लापता की श्रेणी में रखा है। मान्यवर, मैं चौधरी यशवीर सिंह जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारे द्वारा किये गये प्रयासों के प्रति जो विचार व्यक्त किए, उससे हमारा उत्साहवर्धन हुआ।

मान्यवर, प्राकृतिक आपदायें हमें नई चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करती हैं और हमें उन चुनौतियों से कुछ सीखने को मिलता है। हमें नई प्राकृतिक आपदाओं

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से जूझने के लिए हर समय तैयार रहना होगा। मान्यवर, हमारा राज्य उत्तरांचल भूकम्प की दृष्टि से भी अति संवेदनशील क्षेत्र है। हर आपदा के समय कुछ नया अनुभव होगा, कुछ गलतियां भी हमसे होंगी। हमें अपने विकास कार्यों को जारी रखते हुए अपने पर्यटन, अपने व्यापार और अच्छी व्यवस्था को जारी रखना होगा। मान्यवर, शायद एक दिन हम उस स्थित में भी पहुंच जायेंगे जहां सुदूर क्षेत्रों में हमारे मोटर मार्गों का पूर्ण विकास हो जाए। जो हमारे पावन धाम हैं, उन सुदूर क्षेत्रों में भी दो–दो मार्ग हमारे पास उपलब्ध हो जाएं। हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि हमें विकास के साथ–साथ आपदा राहत के आधुनिक यंत्र भी प्राप्त हों। माननीय सदस्य ने कुछ यंत्रों का यहाँ पर जिक्र भी किया तथा उन्होंने कुव्यवस्था का जिक्र भी किया क्योंकि माननीय सदस्य स्वयं भी मंत्री रह चुके हैं और उन्हें अनुभव भी है तथा मंत्री के रूप में उन्होंने काम भी किया है, उनके सुझाव भी स्वागत योग्य हैं, अनुकरणीय हैं। परन्तु कितने ही आधुनिक यंत्र क्यों न हों, जब प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो उससे दुनिया का विकसित से विकसित देश भी प्रभावित होता है। जो चिन्ता माननीय सदस्य ने व्यक्त की, हम भी चिन्तित हैं और प्रयास कर रहे हैं प्राकृतिक आपदाओं में होने वाला नुकसान कम से कम हो। मान्यवर, यह घटना 5–6 जुलाई, 2003 की रात की है, जब जोशीमठ–बद्रीनाथ मोटर मार्ग के बीच लामबगड़ में टैंगा नामक स्थान पर लगभग 400 मीटर मार्ग भूस्खलन से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। मान्यवर, 6 जुलाई की सुबह जिला प्रशासन द्वारा जोशीमठ में प्रभागीय वनाधिकारी नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के कार्यालय में नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई। इसमें तीन शिफ्टों में ड्यूटी देने हेतु कर्मचारियों को तैनात किया गया। बचाव एवं राहत कार्य के लिए बद्रीनाथ में श्री पूरनमल शर्मा, मुख्याधिकारी, श्री आनन्द स्वरूप शर्मा, उपजिलाधिकारी, कर्णप्रयाग और जोशीमठ में श्री उदय सिंह राणा, उप जिलाधिकारी, धराली को प्रभारी नियुक्त किया गया। मान्यवर, 7 जुलाई को जिला प्रशासन के द्वारा सेना, आई0टी0बी0पी0जे0पी0 कम्पनी एवं विभिन्न विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों की सहायता से जय प्रकाश कम्पनी की सुरंग के एडि नं0–2 से बद्रीनाथ में फंसे 266 यात्री एवं 25 स्थानीय निवासियों को बद्रीनाथ धाम से जोशीमठ पहुँचाया गया। हेलीकॉप्टर द्वारा बद्रीनाथ से तीन चक्करों में 14,15 एवं 16 बीमार वृद्धों एवं उनके परिवार के सदस्यों, कुल 49 लोगों को जोशीमठ में निःशुल्क ठहरने एवं भोजन आदि की व्यवस्था की गई।

मान्यवर, 08 जुलाई को मौसम प्रतिकूल होने के कारण हैलीकॉप्टर नहीं गया, जिला प्रशासन द्वारा 1360 को जे0पी0 सुरंग से निकाला, जिनमें 106 स्थानीय एवं 13 विदेशी पर्यटक भी सम्मिलित हैं। इनमें से 130 को चिकित्सा की आवश्यकता हुई। 08 जुलाई को 375 यात्री गंतव्य स्थानों को चले गये थे। इस बीच जोशीमठ और हेलंग के बीच मार्ग अवरूद्ध होने के कारण शेष यात्रियों की व्यवस्था स्थानीय प्रशासन द्वारा की गयी। 09 जुलाई को इन यात्रियों को ऋषिकेश एवं हरिद्वार के लिए निःशुल्क बसों की व्यवस्था की गयी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए जे0पी0 सुरंग के दोनों ओर सुरक्षा हेतु

पुलिस की व्यवस्था की गयी। 09 जुलाई को फिर 50 यात्रियों को सुरंग के माध्यम से निकाला गया। 09 जुलाई को जो यात्री जोशीमठ पहुँचे थे, मार्ग अवरुद्ध होने के कारण उन्हें गंतव्य स्थानों पर नहीं भेजा जा सका तथा इन्हें ठहरने के लिए निःशुल्क व्यवस्था प्रशासन ने की थी। मान्यवर, यद्यपि बद्रीनाथ धाम में खाने-पीने की पर्याप्त सामग्री थी, तथापि हमने वहाँ निरंतर खाद्य सामग्री उपलब्ध करायी और करा रहे हैं।

मान्यवर, 10 जुलाई से 11 जुलाई तक हेलीकॉप्टर द्वारा वहाँ कुल 89.50 कु0 चावल, 48 कु0 आटा, 3300 लीटर मिट्टी का तेल, 1640 ली0 डीजल भेजा गया। इसके अतिरिक्त बी0आर0 ओ0 का 5 ड्रम डीजल, 1000 ली0 मिट्टी का तेल एवं 4 कु0 खाद्यान्न एवं सेना का 2 कुन्तल खाद्यान्न व आवश्यक दवाईयाँ सब्जी एवं दो ड्रम डीजल वहाँ पहुँचाया गया। इसके अलावा हेलंग में मार्ग अवरुद्ध होने के कारण जोशीमठ से 17 अप्रवासी भारतीयों को हेलीकॉप्टर से निकाला गया। दि0 11-07-04 को जोशीमठ व गोबिन्द घाट में ठहरे 960 यात्रियों को हेलंग एवं टंगणी में मार्ग यातायात खुल जाने के पश्चात् जी0एम0ओ0यू0 लि0, सीमान्त सहकारी संघ, रूपकुण्ड ट्रेवल्स, टी0जी0एम0ओ0यू0 लि0 आदि की 30 बसों से निःशुल्क ऋषिकेश, हरिद्वार भेजा गया। मान्यवर, 05-07-2004 को हुए भूस्खलन के कारण श्री बद्रीनाथ धाम में विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई थी। तत्काल बहाल करने हेतु उत्तरांचल ऊर्जा निगम के अधिकारियों को निर्देशित किया गया, जिनके फलस्वरूप उनके द्वारा दिनांक 10-07-04 के अपरान्ह 4.30 बजे विद्युत आपूर्ति बहाल की गई। मान्यवर, 6-07-04 को विष्णुप्रयाग के पास पहाड़ से पत्थरों एवं भारी मलबे के कारण बस संख्या यू0ए0 12/1373 के नदी में गिर जाने, ट्रक सं0 पी0बी-11 क्यू0/8122 एवं क्वालिस सं0 डी0एल0-4सी0/पी01242 के बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाने से 27 यात्री घायल हो गये, 07 की मृत्यु हुई तथा 10 लापता हैं।

मान्यवर, प्रधानमंत्री जी ने मृतकों को 50 हजार रु0 की सहायता राशि दी है, इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा मृतकों के परिवार को 50 हजार रु0, हैण्डीकैप्ड के लिए 25 हजार रु0 तथा गम्भीर रूप से घायल को 5 हजार रु0 की सहायता राशि दी जायेगी। मान्यवर, अभी तक कुल 2187 यात्री वहाँ से निकाले गये हैं, जिसमें से 661 स्थानीय लोग एवं 17 अप्रवासी भारतीय हैं। मान्यवर, यह सड़क लगभग चार सौ मी0 क्षतिग्रस्त है, जिसमें से 115 मीटर हल्के वाहनों के लए बना ली गई है, क्योंकि यह सड़क बार्डर रोड आर्गनाइजेशन अल्टरनेट बना रहे हैं, पर 9 अगस्त तक लाइट व्हेकल के लिए खोल देंगे। आपका कहना सही है कि सवा चार सौ मीटर की सुरंग से यात्रियों को जाना पड़ता है, जिससे कि दिक्कत होती है, उसमें एक पी0ए0सी0 के जवान की ऑक्सीजन की कमी के कारण मृत्यु हो गयी। आज की तारीख में कोई भी यात्री वाहन बद्रीधाम में नहीं फंसा है, कुछ लोगों ने अपनी सुविधा के लिए वाहन रखे हैं। कुल 1197 यात्री बद्रीनाथ में दर्शन के लिए गये और 104 यात्री आज वापस आये हैं। 70 लाख रुपये डी0एम0 चमोली के पास उपलब्ध हैं। मान्यवर, बी0आर0ओ0, जे0पी0, आई0टी0बी0पी0, स्थानीय पुलिस, प्रशासन, वायु सेना की मदद से लोगों को सुरक्षित निकाल पाना सम्भव

हुआ है। मान्यवर, 8 तारीख को हमारे आयुक्त महोदय वहाँ पहुँच गये थे, माननीय पर्यटन मंत्री जी ने स्वयं स्थिति का निरीक्षण किया और माननीय मुख्यमंत्री जी भी वहाँ गये। मान्यवर, वहाँ ई0ओ0सी0 स्थापित हैं। मान्यवर, जो सुझाव आपकी ओर से आये हैं, उन सुझावों को हम पूरी तरह से स्वीकार करते हैं। मान्यवर, 9–10 अगस्त तक हम फिर उसे उसी रूप में कर सकेंगे, इसी विश्वास के साथ निवेदन करता हूँ कि यह प्रश्न कार्यस्थगन के रूप में स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है, जो घटना हुई है, उसमें हम पूरी क्षमता के साथ कार्य कर रहे हैं।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, जिस विषय पर हमने प्रश्न उपस्थित किया था, उसका तो विस्तार से विवरण दिया है, लेकिन मैं आग्रह करना चाहूँगा कि जो हमारे आपदोन्मुख क्षेत्र हैं, तो उनमें आपदा आते ही आप किस तरह से राहत देने का प्रयास करेंगे? मान्यवर, हम भी जानते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे हाथ में जो है, उसको रोकने के लिए कोई ठोस उपाय करें और आप विचार करके कोई कार्य योजना बना रहे हैं? कृपया इस पर जवाब दे दें।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, घटना होने के चन्द घंटों के बीच जो हमारी आपदा राहत मशीन है, वह काम करने लगी, वह अपने आप में इस बात का प्रतीक है, हम प्रशासन को चुस्त दुरूस्त रखे हुए हैं। यंत्रों की बात की जा सकती है। मुझे पता नहीं है, आपके भ्रमण पर जाने की सूचना। कुछ हद तक हमने भी देखा मशीनों को। जहाँ तक संवेदनशील जिलों की बात है, उसमें देहरादून को भी जोड़ दें तो अच्छी बात होगी। मान्यवर, हम कितनी जल्दी घटना के प्रति रियेक्ट कर सकते हैं। उत्तरकाशी के भूकम्प में मुझे भी जाने का मौका मिला। सामान्यतया हम जाते हैं, कितने अधिकारी, कितने नेता वहाँ पर गये, मेरा अपना अनुभव है कि हमारा और आपका जाना वहाँ पर व्यवधान उत्पन्न कर सकता है। इसलिए हमें मना करना पड़ता है कि इस तरह की जगह पर न जायें। मान्यवर, जो क्षति हुई, उसकी पूर्ति कोई नहीं कर सकता है लेकिन आपके जो सुझाव आये, वह स्वागत योग्य हैं। हम उस तरफ पूरा ध्यान देंगे, हम सदन को इसके लिए आश्वस्त करना चाहते हैं।

नेता प्रतिपक्ष (श्री मातबर सिंह)–

मान्यवर, मैं मौके पर गया था, वहाँ पर जो सुरंग है, उसमें से यात्रियों को आने जाने में काफी कठिनाई हो रही है। मैं भी उसके अन्दर गया, मेरी आँखों में मिर्च जैसी लगने लगी। मेरा एक सुझाव है कि यदि लामबगड़ से एक वैकल्पिक रास्ता निकाल दें, वह 4 सौ मीटर का रास्ता होगा। मेरे विचार से एक अस्थायी पैदल मार्ग का निर्माण होना चाहिए ताकि यात्रा बाधित न हो।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, जो आपने सुझाव दिया, उसका तकनीकी सर्वेक्षण करा लिया जायेगा। मान्यवर, आपके सुझाव पर विचार करेंगे।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं सरकार से एक स्पष्टीकरण चाहता हूँ कि जो राज्य स्तर पर ई0ओ0सी0 सेन्टर चल रहा है, उसमें किस स्तर के अधिकारी बैठाए गए हैं और दूसरा जो जोन–5 एवं 4 के अन्तर्गत गाँव या क्षेत्र आते हैं, उनको चिन्हित कराने की कोई व्यवस्था की गयी है ? 80 गाँवों का सर्वेक्षण तो हमने अपने समय में ही करवा लिया था, इसके अलावा भी कोई सर्वेक्षण किया गया है या नहीं, इसका भी सरकार सदन में खुलासा करे।

श्री अध्यक्ष–

कृपया सूचना उपलब्ध करा दें।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, अधिकारी का नाम मालूम नहीं है, हम सूचना उपलब्ध करा देंगे।

श्री अध्यक्ष–

मैं श्री महेन्द्र भट्ट, श्री काशी सिंह ऐरी, श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी, चौ0 यशवीर सिंह, श्री अजय भट्ट एवं माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात् इस सूचना को अग्राह्य कर रहा हूँ।

श्री कैलाश शर्मा–

मान्यवर, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे नियम 56 के अन्तर्गत एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, 5 जुलाई, 2004 समय 10–10.30 बजे अल्मोड़ा जनपद के गोलू मंदिर चितई पेटशाल के पास एक बस दुर्घटना हुई। इस बस दुर्घटना में 30 यात्रियों का निधन हो गया और 14 यात्री गम्भीर रूप से घायल हुए। घायलों में कुछ का इलाज अल्मोड़ा के बेस अस्पताल में चल रहा है और कुछ का इलाज दिल्ली में चल रहा है। मान्यवर, ऐसी वीभत्स दुर्घटना उस क्षेत्र में पहले कभी नहीं हुई और दुर्घटना ऐसे सुनसान स्थान पर हुई कि अगर वहाँ पर आई0टी0बी0पी0 का वाहन न आ रहा होता तो पता भी नहीं चलता। सूचना मिलते ही वहाँ आई0टी0बी0पी0 के जवान पुलिसकर्मी, स्थानीय जनता और अधिकारी पहुँचे। यह दुर्घटना मोटर रोड से नीचे 500–600 मीटर नीचे हुई। जिससे बस के परखच्चे उड़ गए। अगर वहाँ पर आई0टी0बी0पी0 और एस0एस0बी0के जवान न होते तो मृतकों के शरीर को उस स्थान से ऊपर लाने में कठिनाई होती। अल्मोड़ा में यह एक बहुत बड़ी दुर्घटना है।

मान्यवर, कुछ मृतक तो ऐसे थे जो एक ही परिवार के 2–3 सदस्य थे। एक मृतक एम0बी0बी0एस0 का छात्र था, वह अपने परिवार का इकलौता बेटा था। मान्यवर, बहुत सारे परिवारों में ऐसी स्थिति हो गई कि उनके परिवार की देखभाल करने वाला कोई नहीं बचा है। मान्यवर, जिलाधिकारी एवं जन प्रतिनिधियों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की कि इस दुर्घटना में जो मृतकों के आश्रित हैं या जो घायल हैं और इलाज के लिए दिल्ली गये हैं तो मान्यवर, हमने अनुरोध किया था कि मृतकों के आश्रितों को 5–5 लाख रुपये तथा घायलों को 2–2 लाख रुपये की तुरन्त आर्थिक सहायता दी जाये। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, मुझे जानकारी मिली है कि आज 17 दिन बाद भी आर्थिक सहायता उपलब्ध नहीं कराई गई है। कोई भी राहत राशि उन्हें नहीं मिली है। यह चिन्ता की बात है।

मान्यवर, अल्मोड़ा में चन्दा करके हमने गम्भीर रूप से घायल यात्रियों को दिल्ली भेजा था। पत्रकार जगत में दैनिक जागरण के कर्मचारी जिनके बड़े भाई का निधन 20 दिन पहले ही हुआ था, उनके भतीजे की इस दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। अभी माननीय मंत्री जी बता रहे थे कि बद्रीनाथ में जो दुर्घटना हुई थी, उसमें केन्द्र सरकार ने भी 50–50 हजार रुपये मृतकों के आश्रितों को दिये थे, इसके अलावा राज्य सरकार ने भी सहायता दी थी। लेकिन मान्यवर, अल्मोड़ा में इतना बड़ा कांड हुआ, पर कोई भी सहायता नहीं दी गई। मान्यवर, एक ही राज्य में, एक ही वातावरण में ऐसा व्यवहार चिन्ता की बात है। मैंने इसके बाद भी कई बार निवेदन किया है कि कम से कम जो घायल हैं और उपचार हेतु दिल्ली में गये हैं, उनको तुरन्त आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। मैं तो चाहता था कि सरकार का एक प्रतिनिधि दिल्ली जाकर उनके इलाज आदि की भी व्यवस्था करता, मान्यवर, यह दुर्घटना अल्मोड़ा घाट मोटर मार्ग जो सी0आर0एफ0 द्वारा निर्माणाधीन है, यह सड़क जागेश्वर धाम एवं पिथौरागढ़ मार्ग को जोड़ती है। माननीय अध्यक्ष जी भी इस मार्ग से जरूर गये होंगे। इस दुर्घटना से पहले भी कई दुर्घटना वहाँ पर हो चुकी हैं। मैं 7–8 माह से चिन्ता व्यक्त कर रहा था कि इस मार्ग पर कभी भी अनहोनी हो सकती है। छोटे वाहन कार, जीप आये दिन दुर्घटनाग्रस्त होते रहते हैं। वहाँ पर डामरीकरण का कार्य भी चल रहा है। आज भी वहाँ पर 7–8 वाहन फँसे हुए मिल जायेंगे। यह सिंगल लेन का मोटर मार्ग बन रहा है। जब कार्य प्रारम्भ हुआ था, उस दिन भी कहा गया था और जो शिलापट लगा है, उसमें भी लिखा है। तथा जगह–जगह पर पिलर लगाकर स्पष्ट किया गया है कि इस मार्ग की कटिंग की जायेगी, चिन्हीकृत मार्ग की मरम्मत और चौड़ीकरण का कार्य किया जायेगा। पहले था कि 13 करोड़ रुपये से इस मार्ग का चौड़ीकरण और डामरीकरण किया जायेगा, रोड कटिंग का कार्य होगा, लेकिन वर्तमान में कटिंग का कार्य इसमें से हटा दिया गया है। मान्यवर, यह बड़ा खतरनाक मार्ग है, यह मार्ग जर्जर स्थिति में था, इसमें बड़े–बड़े गड्ढे थे, तो इस पर लोग आराम से गाड़ी चलाते थे, लेकिन डामरीकरण होने से वाहन तेज गति से निकल रहे हैं और सड़क के दोनों ओर खाई है, 1–1 ढाई–ढाई फीट के गड्ढे हैं, 3 मीटर 75

सेन्टीमीटर की चौड़ाई है। लोग जब तेजी से वाहन से चलते है तो उनमें गिर जाते हैं, खासतौर से दुपहिया वाहन इसमें गिर जाते है, कई बार जीप मारुति की भी ऐसी घटनायें हो गई हैं। इसमें वहाँ पर लगातार दुर्घटनाओं की आशंका बनी हुई है। पिछले दिनों हमारे जनपद अल्मोड़ा में जिला योजना की बैठक हुई थी, हमारे जनपद के प्रभारी मंत्री जी भी वहाँ पर थे और हमारे जनपद के माननीय मंत्री जी भी थे, उन्होंने भी कहा था कि यह मार्ग ठीक नहीं बन रहा है, कभी भी दुर्घटना हो सकती है, कम से कम इसके दोनों तरफ पटरी भरान और वह भी पक्का पटरी भरान का कार्य होना चाहिए ताकि इन दुर्घटनाओं से बचा जा सके।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि शीघ्र ही इस मार्ग में चौड़ीकरण का कार्य किया जाय और खासतौर पर उस मार्ग में जहाँ पर यह दुर्घटना हुई, जो 7–8 किलोमीटर चितई से पेटसाल का मार्ग है उसके दोनों तरफ पटरी भरान और नाली का पक्का निर्माण कराया जाय। मान्यवर, इसके अतिरिक्त और मार्ग भी हैं, जो इस मार्ग से सम्बन्धित तो नहीं हैं परन्तु इन मार्गों की भी वही स्थिति है जो इस मार्ग की है, मेरा निवेदन है कि इस ओर भी सरकार का ध्यान चला जाय।

मान्यवर, जनपद अल्मोड़ा में दो और सड़कें जो इस तरह की हैं, वह हैं, अल्मोड़ा से कौसानी और कौसानी से बागेश्वर और इन पर काफी ट्रैफिक रहता है, सोमेश्वर कौसानी–गरुड़ वाला जो मार्ग है, वहाँ पर इस प्रकार की कई दुर्घटनायें हुई हैं। इन मार्गों में भी इस तरह की व्यवस्था की जाय और दोनों ओर पटरी भरान का कार्य किया जाय। इस सम्बन्ध में जब मैंने विभागीय अधिकारियों से पूछा तो उन्होंने बताया कि इसका आगणन तैयार करके शासन को भेजा गया है। तो इस मार्ग में यह कार्य शीघ्र होना चाहिए ताकि दुर्घटनाओं से बचाव हो सके।

मान्यवर, इसके अतिरिक्त अल्मोड़ा बस दुर्घटना में जो लोग मरे हैं, उनके आश्रितों को 5–5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाय और जो गम्भीर रूप से घायल हैं, जो अल्मोड़ा और दिल्ली में इलाज करा रहे हैं, उनके लिए 2–2 लाख रुपये की सहायता तुरन्त दी जाय ताकि वे अपना इलाज अच्छे तरीके से करा सकें और स्वस्थ हो कर घर लौटें और दुर्घटना में घायल हुए लोगों को भी 1–1 लाख की सहायता मिलनी चाहिए। मान्यवर, आज इस दुर्घटना को 17 दिन हो गये हैं, लेकिन सरकार द्वारा अभी तक सहायता नहीं दी गई है, इन्हें उपरोक्तानुसार सहायता प्रदान की जाय।

अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन की शेष कार्यवाही को रोककर चर्चा कराई जाय।

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं भी स्वयं इस मार्ग से जागेश्वर तक दो बार गई हूँ। इस सड़क को केन्द्रीय सड़क निधि से स्वीकृति दी गई है। मान्यवर, यह सड़क पहले जितनी चौड़ी थी, उतनी ही बनायी गयी। इस समय केन्द्र सरकार और हमारी राज्य सरकार भी सड़क के

चौड़ीकरण पर विशेष ध्यान दे रही है। यह सही है कि उस सड़क में पहले गड्ढे थे और वहाँ से आने जाने का रास्ता बहुत कम चौड़ा था। इस सम्बन्ध में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी केन्द्र से कहा लेकिन केन्द्रीय सड़क निधि से पैसा आवंटित नहीं हुआ। हमने निर्णय लिया है कि जो नयी सड़क बनी है, उसमें पैराफिट बने। सुरक्षा के लिहाज से सड़क के किनारे पैराफिट आवश्यक है। यह सड़क पहले जितनी चौड़ी थी, अभी भी उतनी ही चौड़ी बनायी गयी लेकिन नया माल पड़ने से यह ऊंची हो गयी है और इसके किनारे नीचे हो गये हैं। मैंने स्वयं भी इसे देखा था और महसूस किया कि सड़क तो अच्छी बन गयी है क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है, इसी रास्ते से पिथौरागढ़ जाना होता है। इसे चौड़ा होना ही चाहिए।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि राज्य सरकार इसको चौड़ा करने के लिए काम शुरु करायेगी। इसके लिए इस्टीमेट बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। जब यह इस्टीमेट तैयार हो जायेगा तो राज्य सरकार इस सड़क के चौड़ीकरण का कार्य शुरु करा देगी। मान्यवर, यह सड़क पहले जितनी चौड़ी थी, अभी भी उतनी ही है लेकिन नयी बनने से अच्छी हो गयी है। घाट से अल्मोड़ा आने वाली यह सड़क बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरह की यदि कोई और महत्वपूर्ण सड़क चौड़ी करनी होगी तो सरकार उसके लिए अवश्य कदम उठायेगी और उन सड़कों को चौड़ी करायेगी। सड़कों के चौड़ीकरण के संबंध में हम गम्भीर हैं।

श्री कैलाश शर्मा–

मान्यवर, जैसा कि अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि चौड़ीकरण का प्रस्ताव हमने मंगा लिया है, तो यह सही है कि इन्होंने इस्टीमेट मंगवाया है। यह 20–22 करोड़ रुपये का आंगणन है। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, केवल सुझाव दे रहा हूं, यह पूरा क्षेत्र, वन क्षेत्र के अन्तर्गत आता है और वन अधिनियम के अन्तर्गत कटान की स्वीकृति मिलने में दिक्कत होगी। पट्टी भरान का काम कम पैसे में हो जायेगा और उसकी स्वीकृति मिलने में भी कोई परेशानी नहीं होगी।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, माननीय सदस्य का कहना सही है, कटान की स्वीकृति मिलना मुश्किल है। पट्टी भरान के द्वारा ही इस समस्या का समाधान हो जायेगा।

श्री कैलाश शर्मा–

मान्यवर, घायलों के परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आपकी सूचना का जवाब माननीय मंत्री जी दे रहे हैं।

परिवहन मंत्री (श्री हीरा सिंह बिष्ट)–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने 5 जुलाई को अल्मोड़ा में के0एम0ओ0यू0 की एक बस दुर्घटना के संबंध में अपनी चिन्ता जताई है। मान्यवर, यह सही है कि दिनांक 05–07–2004 को जनपद अल्मोड़ा के कालीधार (चित्तई) में के0एम0ओ0यू0 लि0 की एक

बस दुर्घटनाग्रस्त हो गयी थी, जिसमें 29 व्यक्तियों की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गयी थी तथा 15 व्यक्ति गम्भीर रूप से घायल हुए। 15 गम्भीर रूप से घायलों में से 07 घायलों को हल्द्वानी स्थित स्व0 श्रीमती सुशीला तिवारी अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती कराया गया तथा शेष 08 घायलों को अल्मोड़ा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हल्द्वानी में भर्ती 08 घायलों में से 05 घायलों की स्थिति सुधरने के उपरान्त उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है तथा एक घायल का उपचार अभी भी चल रहा है, एक घायल की अस्पताल में ही मृत्यु हो गयी। इस प्रकार कुल मृतकों की संख्या 30 हो गयी है। अल्मोड़ा जिला अस्पताल में भर्ती 08 घायलों में से 04 घायलों को आवश्यक उपचार के उपरान्त डिस्चार्ज कर दिया गया है तथा 03 घायलों का इलाज अभी भी चल रहा है। मान्यवर, एक घायल व्यक्ति द्वारा स्वेच्छा से प्राइवेट नर्सिंग होम में अपना इलाज करवाया जा रहा है। कुल 30 मृतकों में से 21 मृतकों के आश्रितों को प्रारम्भिक रूप से पांच हजार रुपये प्रति मृतक की दर से जिलाधिकारी द्वारा वितरित कर दिये गये हैं और अवशेष 9 मृतकों के आश्रितों द्वारा कोई सम्पर्क न किये जाने तथा उनके आश्रितों का पता प्राप्त न होने के कारण उन्हें मुआवजा नहीं दिया जा सका है।

दुर्घटना की मजिस्ट्रेट जांच करवाई जा रही है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद नियमानुसार मृतकों के आश्रितों को अवशेष धनराशि तथा घायलों को मुआवजा वितरित कर दिया जायेगा। मान्यवर, माननीय सदस्य द्वारा अवगत कराया गया है कि कुछ घायल लोग अपना दिल्ली में इलाज करा रहे हैं। मान्यवर, यह सही नहीं है। मान्यवर, मृतक आश्रित व्यक्तियों के प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं। दो हजार रुपये मृतक आश्रित परिवार के व्यक्तियों को के0एम0ओ0यू0 द्वारा दे दिये गये हैं। अवशेष धनराशि का भुगतान उनके घर पर जाकर कर दिया जायेगा। मान्यवर, जो दूसरी बात माननीय सदस्य ने राहत आपदा की धनराशि के सम्बन्ध में कही तो इस सम्बन्ध में बताना चाहता हूँ कि दैवी आपदा बाढ़ राहत का मुआवजा अलग है, परिवहन व्यवस्था के अन्तर्गत मृतक आश्रितों को दिये जाने वाला मुआवजा अलग है।

श्री कैलाश शर्मा–

मान्यवर, बहुत सारे परिवार इसमें ऐसे भी थे जिसमें उनके परिवार का एक ही व्यक्ति या एक ही बेटा था या उस परिवार में दो बेटे थे और दोनों की ही दुर्घटना में मृत्यु हो गई। जिनकी बात मैं कर रहा हूँ उनके परिवार बाड़ीछिना, पनार और दन्या क्षेत्र से सम्बन्धित हैं। मान्यवर, मुआवजे की धनराशि देने में एक समान नीति होनी चाहिए। दैवी आपदा में मुआवजे की धनराशि अधिक है, जबकि बस दुर्घटना में मृतक आश्रित परिवारों को कम मुआवजा दिया जाता है। जहाँ दैवी आपदा में प्रभावित परिवारों को 50 हजार और एक लाख रुपये तक का मुआवजा दिया जाता है वहीं इसमें 5 हजार रुपये की धनराशि दी जा रही है। मान्यवर, जहाँ तक दिल्ली में मेरे द्वारा घायल के उपचार की बात कही गई तो मैं स्पष्ट कर दूँ कि जो 30वाँ मृतक व्यक्ति था वह दिल्ली में उपचार के लिए जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ गया। मान्यवर, जहाँ शिनाख्त वाला मामला है तो 2 लोगों की शिनाख्त नहीं हो पाई है।

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो मुआवजे का सवाल उठाया है तो परिवहन व्यवस्था के तहत जो अधिनियम है उसके अन्तर्गत कोई भी व्यवसायिक परिवहन की दुर्घटना होती है तो 20 हजार रुपये तक ही मुआवजा दिया जाता है। परिवहन विभाग का यह अधिनियम राहत आपदा से गवर्न नहीं होता है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, के0एम0ओ0यू0 धन दे नहीं पाता है, उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है। मान्यवर, मैं इतना जरूर कहूँगी कि यदि किसी बच्चे की मेडिकल की पढ़ाई इस दुर्घटना के कारण प्रभावित हुई है या फिर कोई ऐसी विषम स्थिति आप द्वारा बताई जायेगी तो सरकार पूरी तरह से सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी।

श्री अध्यक्ष–

माननीय कैलाश शर्मा जी, माननीय लोक निर्माण मंत्री और माननीय परिवहन मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य कर रहा हूँ।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे नियम 58 के अन्तर्गत कार्यस्थगन के प्रस्ताव उत्तरांचल में स्थित राज्य सरकार के सार्वजनिक प्रतिष्ठान तथा 11 लीसा फैक्ट्रियों में लीसा आवंटित न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ग्राह्यता पर सुनने का अवसर प्रदान किया। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तरांचल राज्य के अन्दर गढ़वाल मण्डल विकास निगम, कुमाऊँ मण्डल विकास निगम, पी0सी0एफ0 हल्द्वानी, खादी बोर्ड तथा खादी कमीशन पर स्थित पंजीकृत इकाईयां कुल 11 ऐसी इकाईयां हैं जो लीसा पर आधारित हैं। मान्यवर, 1980 के दशक में यहां लीसा उद्योग को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तरांचल में लीसा उद्योगों की स्थापना में महत्वाकांक्षी कदम रखा। इसका मूल उद्देश्य यहां के वनों से, 67 प्रतिशत वन क्षेत्र हैं, उससे उत्पादित लीसा उत्तरांचल से बाहर न जाय। इस पर आधारित उद्योग यहां स्थापित हों।

मान्यवर, 1990–1991 में जो औद्योगिक नीति तत्कालीन सरकार ने लागू की थी उसके चलते आयात–निर्यात नीति के कारण जो विदेशों से आने वाला बिरोजा था, विशेषकर चाईना तथा इण्डोनेशिया से वह काफी सस्ते दामों पर उस समय यह 1200 से 1400 रुपये प्रति कुन्तल लीसा आयात किया जाता रहा, वहीं गढ़वाल व कुमाऊँ मण्डल विकास निगम को रुपया 2900 प्रति कुन्तल की दर से दिया जाता रहा। जिसके कारण यह परियोजना ठप्प होने के कगार पर आ गयी। निगम को हो रही आर्थिक हानि को देखते हुए इसमें लम्बे दौर तक कार्यवाही करते हुए रुपया 1750 प्रति कुन्तल लीसा प्राप्त हुआ, किन्तु आयातित लीसे की दर से अतिरिक्त दर का लीसा खरीदने से निगमों के लीसा उद्योग पर आर्थिक बोझ बढ़ता गया। मान्यवर, इन उद्योगों में कार्य करने वाले अपनी आजीविका का गुजर–बसर करने वाले, मजदूरों और किसानों के हितों का ध्यान रखना होगा। मान्यवर, उत्तरांचल राज्य गठित होने के बाद 15 अक्टूबर, 2001 को उत्तरांचल

के वनों से उत्पादित लीसे का आवंटन एवं मूल्य निर्धारण विषयक शासनादेश जारी हुआ, जिसके आधार पर कुल 11 लीसा इकाईयों को जिनमें गढ़वाल मण्डल विकास निगम, कुमाऊँ मण्डल विकास निगम को 35 प्रतिशत लीसा आरक्षित किया गया और पी0सी0एफ0 की एक इकाई को 5 प्रतिशत तथा खादी बोर्ड/खादी कमीशन की कार्यरत एवं पंजीकृत 08 इकाईयों को 10 प्रतिशत का कोटा दिया गया।

मान्यवर, इसके अतिरिक्त 50 प्रतिशत लीसा इन उद्योगों के लिए आरक्षित कर दिया गया। मान्यवर, उत्तर प्रदेश लीसा अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत लीसा का सम्बन्धित वन विभाग से पंजीकृत खुली नीलामी के द्वारा किया जायेगा, यह कहा गया और 10 प्रतिशत लीसा खुली नीलामी के माध्यम से वितरित किया जायेगा। उसके बाद सरकार परिवर्तित हुई और पहली निर्वाचित सरकार आई और पहली निर्वाचित सरकार जिसने अपने घोषणा–पत्र में बेरोजगारों को रोजगार देने का वायदा किया था। मान्यवर, 30 अप्रैल, 2003 को शासनादेश हुआ और इस शासनादेश ने उस शासनादेश को समाप्त करते हुए आदेश दिया कि लीसा की कुल वार्षिक फसल के 25 प्रतिशत भाग का निस्तारण अखिल भारतीय नीलामी से किया जायेगा, 50 प्रतिशत भाग का निस्तारण उत्तरांचल में पंजीकृत इकाईयों के बीच, इकाई विशेष की प्रसंस्करण क्षमता की सीमा तक, खुली नीलामी से किया जायेगा, अवशिष्ट 25 प्रतिशत भाग का निस्तारण उत्तरांचल की खादी, सहकारिता, कुमाऊँ मण्डल विकास निगम और गढ़वाल मण्डल विकास निगम की लीसा इकाईयों के बीच, इकाई विशेष की प्रसंस्करण क्षमता की सीमा तक, खुली नीलामी से किया जायेगा। इसका मतलब केवल 25 प्रतिशत भाग इनके हितों के संरक्षण के लिए रखा गया।

मान्यवर, परिणाम यह है कि ये फैक्ट्रियां बन्दी के कगार पर हैं। इसमें लगभग 70 कर्मचारी लाभान्वित हो रहे थे, वे 3 जून, 2004 से हड़ताल पर हैं। श्रीमन्! इस फैक्ट्री को संचालित करने के लिए कोई भी कदम सरकार द्वारा नहीं उठाया गया है, वे लगभग 30–35 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। मान्यवर, ये फैक्ट्रियां जहां एक ओर 70 लोगों को रोजगार दे रही थीं, वहीं इससे सरकार को लगभग 35–40 लाख रुपये प्रतिवर्ष आमदनी दे रही थीं, इसलिए आज की स्थिति निश्चित रूप से चिन्ता का विषय है, सरकार के माध्यम से कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है, यह निश्चित रूप से चिन्ता का विषय है, इसलिए आपके माध्यम से आग्रह करूँगा कि इससे ज्यादा कोई महत्वपूर्ण विषय नहीं हो सकता है, इसलिए इस विषय पर चर्चा कराई जाए।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, लीसा निस्तारण के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ कि ये किसी भी नीलामी में भाग नहीं लेते हैं। हम उसको अखिल भारतीय नीलामी द्वारा निस्तारित कर दें, इस प्रकरण में 2001–2002–2003 में लीसा नीति घोषित हुई। इसमें लीसा की कुल वार्षिक फसल के 25 प्रतिशत भाग का निस्तारण अखिल भारतीय नीलामी से किया जायेगा। 50 प्रतिशत भाग का निस्तारण उत्तरांचल में पंजीकृत इकाईयों के बीच, इकाई विशेष की प्रसंस्करण क्षमता की सीमा तक खुली नीलामी से किया जायेगा। मान्यवर, हमारी वास्तविक समस्या क्या है ? मैं इससे पहले यह भी बता दूँ कि हमने लगातार नीलामी की

तारीख तय की और उन फैक्ट्रियों को बुलाया और 1725 रुपये से ऊपर उन्होंने कभी बोली नहीं लगायी। उसके बाद हमने 17 सितम्बर, 2003 को एक बैठक भी की, जिसमें 6 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। हमने यह भी कहा कि हम कोई रेट नैगोसिएट नहीं करना चाहते हैं, उस बैठक का कोई अर्थ नहीं निकला।

मान्यवर, हमारी जो राष्ट्रीय वन नीति है, उसमें स्पष्ट प्राविधान है कि "किसी उद्योग को सस्ते दामों पर देने से तो इसे बन्द कर देना चाहिए।" अब इसकी वास्तविक स्थिति क्या है, माननीय सदस्य ने जो जानकारी दी कि इसमें लाखों रुपये की क्षति हो रही है और पाँच सौ परिवारों पर रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है, जो इस लीसा उद्योग से जुड़े हुए हैं। मान्यवर, जिस दिन हमने लीसा नीति घोषित की, उस दिन 5 करोड़ रुपया बकाया था। 2001–2002–2003 की फसल जमा है, इन फैक्ट्रियों ने एक तरीका अपनाया है कि हम जब चाहेंगे तब टाईम बढ़ा लेंगे। जो नई लीसा नीति है, उसमें हमने एक लाख पच्चासी हजार क्विंटल लीसा नीलाम किया, जिससे हमें 36 करोड़ 70 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ। हमारे पास 01 करोड़ 29 हजार क्विंटल लीसा अवशेष है। जो वर्ष 2001, 2002, 2003 में जो 4 लाख 37 हजार क्विंटल लीसे का उत्पादन हुआ, उसमें से 01 लाख 10 हजार क्विंटल लीसा हमने आज भी इन फैक्ट्रियों के लिए रखा हुआ है। अगर ये चाहते हैं तो हमसे खरीद सकते हैं। विवाद क्या है, हमारे स्टीमेट हैं।

मान्यवर, इसका 1850 रुपया लागत प्रति कुन्तल आता है। जिसका टिपान श्रमिकों पर 15 करोड़ रुपये बकाया है। हमने 36 करोड़ 70 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त किया। लगभग 2000 के स्थान पर रुपया 1725 यानि 275 रुपये प्रति कुन्तल सब्सिडी करनी पड़ेगी। जिनका हमारे पास स्टॉक उपलब्ध है और इस हिसाब से हमें 3 करोड़ 2 लाख 50 रुपये की सब्सिडी करनी पड़ेगी। जिससे टिपान श्रमिकों के लिए समस्या उत्पन्न हो जायेगी। मैसर्स दलाल के आंकलन से 150 लोग लीसा उद्योग से जुड़े हुए हैं। मान्यवर, मेरा कहना है कि जो यह सब्सिडी सिस्टम है, उससे उनके अधिकार सुरक्षित हैं, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता और इस उद्योग ने वैल्यू एडीशन के काम पर कोई ध्यान नहीं दिया। मान्यवर, इसी सम्बन्ध में एक फैक्ट्री का लीसा आवंटन रद्द करना पड़ा। इन सब चीजों को देखते हुए यह जो लीसा नीति बनायी गयी है, वह एक सक्षम नीति है। हम उन उद्योगों के अधिकारों को समाप्त नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए हमने उनके लिए लीसा आरक्षित रखा है। मान्यवर, जहां तक आंदोलन का सवाल है तो इन श्रमिकों ने हमारे ऊपर दबाव बनाया और माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से और महामहिम राज्यपाल जी की तरफ से इन आरोपों की जांच हुई जिसमें महामहिम राज्यपाल जी ने अपने जांच रिपोर्ट में कहा है कि माई व्यू आर अन्डर (1) स्टेट गवर्नमेन्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेन्ट शुड नॉट सेल लीसा बिलो एक्सट्रक्सन कॉस्ट। (2) स्टेट गवर्नमेन्ट शुड बी केश एबाउट पीलिंग स्टॉक इन आर्डर दैट डिलेड डिस्पोजल डज नॉट केश इकोनामिक लॉस। (3) ओपेन टेण्डर।

मान्यवर, लीसा डिपो में लीसा रखना और उसकी सुरक्षा का इन्तजाम करना, मतलब हर शहर के अंदर न्यूक्लियर बम रख देना। यदि इसमें आग लग जाये तो बहुत नुकसान होगा। हम लीसे के ढुलान पर भी खर्च करते हैं। माननीय राज्यपाल महोदय के निर्देश से मैं सहमत हूँ।

माननीय राज्यपाल महोदय का तीसरा निर्देश है: "ओपन टेण्डर ऑफ इन्टायर प्रोडक्शन (ऑन एन एनुवल बेसिस) में बी रिसार्टेड टू इन कीपिंग विद प्रिन्सिपल्स ऑफ मार्केट एकोनामिक्स ए सिंगल रेट इरेस्पेक्टिव ऑफ कस्टमर इन प्रिफरेबिल। डिफ्रेन्शियल प्राइसिंग कॉजेज एण्डलेस ग्रिवान्सेस/लिटिगेशन विथ अक्यूपाइज द प्रेसियस टाइम ऑफ स्टेट गवर्नमेन्ट।" टेण्डर की प्रक्रिया को तीन हिस्सों में बांट कर रखा गया है। 75 प्रतिशत लीसा राज्य के लिए सुरक्षित रखने की कोशिश की है। माननीय राज्यपाल महोदय का चौथा निर्देश है "प्राइस प्रिफरेंस एज शॉट बाई कस्टमर (जी0एम0वी0एन0/के0एम0वी0एन0 एटसेट्रा) इज नॉट टू बी इनकरेज्ड।" माननीय राज्यपाल महोदय का पांचवा निर्देश है: "बेस्ट ऑन यूनिफार्म प्राइसिंग ऑफ लीसा प्रोड्यूस, स्टेट गवर्नमेन्ट में एक्सरसाइज कोटा एलोकेशन ऑप्शन, बियरिंग इन माइंड द फैक्टर दैट स्टॉक इज लिफ्टेड बाई कस्टमर एण्ड इनवेन्टरी कैरिंग कास्ट डज नॉट एक्रू टू स्टेट गवर्नमेन्ट।" माननीय राज्यपाल महोदय का छठा निर्देश है: "सब्सिडी टू कस्टमर (जी0एम0वी0एन0/के0एम0वी0 एन0/खादी यूनिट्स/को-आपरेटिव यूनिट्स एटसेट्रा) शुड बी मिनिमाइज एण्ड ग्रेजुवली फेस्ड आउट विद-इन ए गिवन टाईम फ्रेम। द सब्सिडी (इफ एनी टू बी ग्रान्टेड) शुड बी रेफलेक्टेड इन कन्सर्नड डिपार्टमेन्ट बजट एण्ड इन ऐनी केस शुड नॉट बी टू सच ऐन एक्सटेंट एज टू लैट द कस्टमर हैव लीसा बिलो एक्सट्रैक्शन कॉस्ट।" और इसमें भी जो सब्सिडी दें, वह एक सीमा तक ही दें।

मान्यवर, मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने यह प्रश्न उठाया, यह हमारे राज्य के वर्तमान से ही जुड़ा हुआ नहीं है, यह हमारे चन्द कर्मचारियों से ही जुड़ा हुआ नहीं, यह 11 फैक्ट्रियों से ही जुड़ा हुआ नहीं है, यह नीति निर्धारण का विषय है। हमारे आर्थिक संसाधन सीमित हैं। अगर हम 40 करोड़, 50 करोड़ की चीजों को इसी तरह खुर्द-बुर्द करते रहेंगे तो राजस्व की हानि होगी। वैल्यू एडीशन क्यों नहीं हो रहा है ? उन्होंने नई तकनीक क्यों नहीं अपनाई ? हमने कहा है कि लीसे में क्या-क्या काम करना है। इसे हमने प्रबन्धकीय सुधार में दिया है। मेरा प्रश्न है कि 3 करोड़ की सब्सिडी क्यों दी जाये ? क्या जो 24 करोड़ का लीसा है, उसे एलाट कर दिया जाये और किसानों के भुगतान को लम्बित रखा जाये, क्या 6 हजार कर्मचारियों की पीड़ा हमें नहीं है जो सुदूर क्षेत्र में रहते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के श्रमिक हैं, उनका भी ध्यान रखा जाये। केवल शहरी क्षेत्र के श्रमिकों की ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्र के श्रमिकों की भी चिन्ता करनी होगी। आप मुझे निर्देशित करें कि इस सब्सिडी के बारे में मैं क्या करूं। अभी वर्ष 2003 की फसल के बारे में कल ही मेरी, हमारे गढ़वाल मंडल विकास निगम के अध्यक्ष जी से बात हो रही थी, वे आज यहां पर नहीं हैं। हम वहां पर लागत मूल्य बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, नये केमिकल्स का निर्माण हो और लीसे का विक्रय मूल्य बढ़े, यह हमारा प्रयास है, इनको बंद करने की कोई हमारी नीति नहीं है। इस स्टॉक का पूरा लीसा रखा है, हमने वर्ष 2001 का स्टॉक नहीं रोका, वर्ष 2002 का स्टॉक नहीं रोका, पर वर्ष 2003 का स्टॉक रोका है ताकि जो वर्ष 2004 की फसल हो, जो उत्पादन हो, उसे इसका लाभ मिल सके और आगे बढ़ सके। सब्सिडी में गैप इससे कम होगा।

मेरा निवेदन है कि यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और इससे महत्वपूर्ण बातें भी सामने आई हैं, लेकिन यह कार्य स्थगन का विषय नहीं है, सरकार इस पर संवेदनशील है। राज्य के राजस्व की जो हानि हो रही है, इसे रोकने के लिये हमें प्रयास करना होगा।

श्री प्रकाश पंत--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जिस विषय को बड़ी तल्खी से रखा, इससे यह स्पष्ट हो गया कि सरकार निश्चित रूप से कर्मचारियों की विरोधी सरकार है। मान्यवर, हमने यह निवेदन किया था कि सार्वजनिक प्रतिष्ठान की लीसा फैक्ट्रियों ने लीसे की मांग की थी, 18,500 क्विंटल की। रोजिन एण्ड टरपेन्टाइल फैक्ट्री, चम्पावत वह यह लीसा लेने को तैयार हैं, 1850 रुपये इसका लागत मूल्य है, तो इसी मूल्य पर उन्हें दे देते।

श्री नव प्रभात--

मान्यवर, लागत मूल्य पर लेने के लिए वह तैयार नहीं हैं, मैं पूरे 11 के 11 की फीगर दे सकता हूँ।

श्री प्रकाश पन्त--

मान्यवर, 19 सौ रुपये प्रति क्विंटल की दर से वह खरीदना चाहते हैं, 5 साल पूर्व भी 2600 रुपया प्रति क्विंटल लीसा खरीदा गया था। जब यह नीति नहीं बनी थी, जब वह 1850 रुपया प्रति क्विंटल पर लेने को तैयार हैं तो उन्हें इस रेट पर न देना सरकार की हठधर्मिता है।

श्री नव प्रभात--

मान्यवर, 1725 रुपये का आक्सन रेट दिया गया था और वह ओपन आक्सन था।

श्री प्रकाश पंत--

मान्यवर, मेरा कहना यह है कि सरकार को हठधर्मिता छोड़कर जो 50 प्रतिशत आवंटन का कोटा है, यदि उसे निर्धारित नहीं कर सकते तो कम से कम जो उनकी आवश्यकता है, उसके अनुसार उन्हें लीसा दिया जाना चाहिए, ताकि इन श्रमिकों की रोजी रोटी भी चले और वह फैक्ट्रियां बंद न हो और ....।

श्री नव प्रभात--

मान्यवर, इसमें 15 करोड़ ....।

श्री प्रकाश पंत--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी अपनी बात रख चुके हैं, अब मैं अपनी बात पूरी कर लूं।

श्री नव प्रभात--

मान्यवर, टीपान श्रमिकों की बात आई थी।

श्री प्रकाश पंत--

मान्यवर, उन 5--6 हजार लोगों के हितों की बात हम भी कर रहे हैं और माननीय मंत्री जी टोकाटाकी कर रहे हैं, मैं समय का ध्यान रखकर अपनी बात कर रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय पंत जी आप बोलिये।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, नीलामी में तीन बार टेंडर किये गये और तीनों बार इनकी नीलामी को स्वीकार नहीं किया गया, यह माननीय मंत्री जी के संज्ञान में भी होगा। नीलामी इसलिए स्वीकार नहीं की गई क्योंकि इनका अकेले टेण्डर पड़ा था, यह भी माननीय मंत्री जी के संज्ञान में होगा। आप 6 हजार टीपान श्रमिकों की बात करते हैं तो उनके हितों की बात हम भी करते हैं, यह हमारा भी उद्देश्य है, उनके साथ भी न्याय होना चाहिए।

मान्यवर, उनको न्यूनतम मूल्य मिले, यह भी हमारा उद्देश्य है और हमारा उद्देश्य यह भी है कि जो 150 परिवार लीसा उद्योग से जुड़े हैं, उनके हितों का भी ध्यान रखा जाय। सरकार को न्यूनतम लागत मूल्य पर लीसा आवंटन करना चाहिए।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, हम 18500 कुन्तल लीसा उनको देने को तैयार हैं, वे आकर ले जाएं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य तथा माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

अब हम उठते हैं, अपराह्न 3.00 बजे तक के लिए।

(भोजनावकाश)

(सदन की कार्यवाही अपराह्न 3.00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई)

कार्य स्थगन की कतिपय सूचनाओं को ग्राह्यता पर सुने जाने का अनुरोध

नेता प्रतिपक्ष (श्री मातबर सिंह)–

मान्यवर, यदि आप आज्ञा दें तो मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। मुझे अभी अभी सूचना मिली है कि विधान सभा भवन के सामने हमारे सचिवालय के कर्मचारी अपनी मांगों के समर्थन में बैठे हुए हैं और प्रदेश का पूरा काम ठप्प हो गया है। उनकी मांगों के सम्बन्ध में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आश्वासन दिया गया था फिर भी उनकी मांगे पूरी नहीं हुई हैं।

श्री अध्यक्ष–

मैं इसे कल सुन लूंगा।

श्री मातबर सिंह–

ठीक है।

श्री अध्यक्ष–

ऐरी जी आपकी नियम 56 की सूचना को मैं कल ले लूंगा।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, ठीक है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, दिनांक 17–06–03 को मेरे द्वारा यहां पर एक राधा नाम की नाबालिग लड़की के अपहरण का मामला उठाया गया था और सरकार की तरफ से इस प्रकरण पर जवाब आया था कि 20 दिन के अंदर गृह सचिव इस सम्बन्ध में सूचना देंगे। परन्तु मान्यवर, एक वर्ष व्यतीत हो गया किन्तु उस जांच का क्या हुआ ? और न ही उस परिवार को मुआवजा ही प्राप्त हुआ जबकि मुआवजे की बात भी कही गई थी। मान्यवर, राधा नाम की यह लड़की 14 वर्ष की नाबालिग थी। मान्यवर, यह सदन यह जानना चाहता है कि उस जांच का क्या हुआ तथा उसके परिवार की क्या स्थिति है ?

श्री अध्यक्ष–

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं इसे कल देख लूँगी।

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा

नेता प्रतिपक्ष (श्री मातबर सिंह)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे राज्यपाल के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पर संशोधन रखने की अनुमति प्रदान की। मान्यवर, मैंने प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित 52 बिन्दुओं को जोड़ने का अनुरोध किया है। खेद है कि महामहिम राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

यह संशोधन पढ़े हुए माने गए तथा अन्य जो संशोधन प्राप्त हुए हैं, वह सब प्रस्तुत माने जायेंगे।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर प्रदान किया। महामहिम का अभिभाषण सरकार की नीति और कार्यकलापों का दर्पण होता है। सरकार प्रदेश में क्या करने जा रही है, उसकी नीति क्या होगी ? यह बात हमें इससे मिलती है। मान्यवर, मैं अपने संशोधन प्रस्ताव पर बल देता हूं कि वर्तमान सरकार उत्तरांचल की जनता की भावनाओं के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है। राज्य इसलिए बना था कि हम गरीबी को दूर करेंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे, कृषकों की गरीबी दूर करेंगे, पिछड़ापन समाप्त करेंगे और उत्तरांचल का बहुमुखी विकास करेंगे। इस अभिभाषण को पढ़ने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि सरकार का जोर राज्य का नाम बदलने पर है, न कि राज्य के विकास पर। मान्यवर, महामहिम के तीन

अभिभाषण अब तक हमने पढ़े और तीनों में राज्य का नाम बदलने पर जोर दिया गया है, न कि राज्य के चहुंमुखी विकास पर। यह सरकार चिरनिद्रा में सोयी हुई है।

मान्यवर, जब दैवीय आपदा होती है तो अन्य दलों के लोग घटना स्थल पर पहले पहुंच जाते हैं, सत्ता पक्ष के लोग बाद में पहुंचते हैं। प्रदेश की कानून व्यवस्था आज चरमरा गई है, यह सत्ता पक्ष के लोग भी महसूस कर रहे हैं। उत्तरांचल जो देव भूमि कही जाती थी, इस सरकार के कारण असुर भूमि बनने जा रही है। आज चारों तरफ लूट, हत्या, अपहरण आदि अनेक घटनाएं प्रतिदिन हो रही हैं, मेरा अनुरोध है कि सरकार इसको रोके। आज राज्य में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है, जिसका उदाहरण विकास नगर के एस0डी0एम0 तथा सिडकुल के महाप्रबन्धक का मामला है। आज चारों तरफ भ्रष्टाचार व्याप्त है। महामहिम के अभिभाषण में इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है, यदि इसका उल्लेख होता तो आप उत्तरांचल की जनता का दिल जीत लेते। मगर इस मामले में सरकार मूक दर्शक है, आज यह प्रदेश में फल-फूल रहा है, सरकार इस पर अंकुश नहीं लगा रही है।

मैं चाहूंगा कि भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए युद्ध स्तर पर काम करें। मान्यवर, आज प्रदेश में घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं। (व्यवधान) मान्यवर, प्रदेश में बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए कोई ठोस नीति नहीं बनाई गई। सरकार कहेगी कि हमने वीर चन्द्र सिंह स्वरोजगार योजना बना दी है, लेकिन कितने लोगों को रोजगार मिला, इसके लिए आंकड़े इकट्ठे करें तो मालूम होगा कि बहुत कम लोगों को इस योजना का लाभ मिला। मान्यवर, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए बैंक सुविधा दे रही है पर बैंक वाले कह रहे हैं कि इसके लिए प्रापर्टी जमानत लेकर आयें, वे गरीब बेरोजगार कहां से जमानत लेकर आयेंगे, तो मैं चाहता हूं कि सरकार बैंक वालों को यह निर्देश दे कि जिन व्यक्तियों का चयन हो जाता है, उनको ऋण दें, उन भाई-बहनों को अनावश्यक चक्कर न कटवायें।

मान्यवर, आपने कहा कि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को विनियमितीकरण करेंगे, पर मैं कहना चाहता हूं कि 15 वर्ष में सेना में भर्ती हुआ सिपाही पेंशन के साथ वापस आता है और हमारे विभिन्न विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का 20-25 वर्ष कार्य करने के बाद भी विनियमितीकरण नहीं हो पाता। अगर सरकार दैनिक वेतन भोगी के विनियमितीकरण का कार्य करेगी तो अच्छा होगा। माननीय लोक निर्माण मंत्री जी यहां पर बैठी हैं, जब हमने कहा कि हम संविदा पर कुछ लोगों को लाना चाहते हैं तो आपने कहा कि ठेके पर लायेंगे, आज वही हो रहा है तो मैं कहूंगा कि यह ठेका प्रक्रिया बन्द होनी चाहिए।

मान्यवर, मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहता हूं कि जितनी भी भर्ती हो रही हैं उनमें पारदर्शिता नहीं हो रही है, परीक्षा नहीं होती है। सहकारिता विभाग में एक मैरिट लिस्ट बनायी गई है, मैं पत्रकार बन्धु और बुद्धिजीवी वर्ग का आभारी हूं कि जिन्होंने इसको पकड़ा।

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश)–

मान्यवर, हमने अपने विभाग में चार सौ नियुक्तियां की हैं।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, एक निवेदन करना चाहता हूँ, लोक सेवा आयोग पर भी अंगुली उठ रही है, वहां से भी नियमित रूप से नियुक्तियाँ नहीं हो रही हैं। मान्यवर, आपने कहा विकल्पधारियों को 24 घंटे में वापस भेजेंगे, इनको तत्काल भेजना चाहिए। परिसम्पत्तियों का निस्तारण नहीं हो रहा है, परिसम्पत्तियों का बंटवारा युद्ध स्तर पर होना चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश सरकार इसमें कोई पहल न करे तो हमें भारत सरकार के पास जाना चाहिए, वहां पर इस समय आपकी सरकार है, यह तो बहुत ही अच्छा मौका है। मान्यवर, बी0पी0एल0 कार्ड धारकों का कार्ड बनना चाहिए जो वास्तव में गरीब हैं, उनका इसमें चयन नहीं किया जा रहा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो ऐसे लोग छूट गये हैं उनका बी0पी0एल0 कार्ड बनायेंगे तो उनका कल्याण होगा तो बहुत अच्छा होगा। मान्यवर, उद्यान के संबंध में कहना चाहता हूं कि फल पट्टी योजना आप बनायेंगे जिससे कि उत्तरांचल के कृषकों को लाभ मिलेगा, फल पट्टी को आप भूल गये। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि जितने भी राजकीय फल उद्यान लीज पर दिये गये हैं, उनको स्थानीय बेरोजगारों को दिया होता तो अच्छा होता। आपने तो बम्बई और कलकत्ता के फर्मों को लीज पर दे दिया, वह भी मिट्टी के भाव पर दिया है। मान्यवर, मैं कृषि की बात करता हूं। व्यवसायिक खेती में बल देना चाहिए था, इसमें कहीं पर भी बल नहीं दिया गया है। हम चुने हुए जन प्रतिनिधि हैं। कृषकों का जो आलू सड़ रहा है, उसकी बिक्री की व्यवस्था नहीं की गई है। माल्टा बिक्री की व्यवस्था नहीं है।

हमारे बागेश्वर और अल्मोड़ा जिले में नाशपाती बहुत मात्रा में होती है। मैं कहना चाहता हूं कि इन फलों पर आधारित उद्योग लगायें, इससे यह लोग जो फलों को नहीं बेच पाते, इनको लाभ मिलेगा। मान्यवर, इससे जो उद्यानपति हानि में हैं, उनको लाभ मिलेगा, इसका समर्थन मूल्य होना चाहिए था और सरकार को इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। आलू, नाशपाती, सेब, माल्टा इसके लिए सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए लेकिन अगर इसके साथ ड्रामा करेंगे तो हम उस जनपद के साथ अन्याय करेंगे। मान्यवर, उत्तरकाशी, चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और बागेश्वर यहां पर भेड़ पालन होता है। जब मैं उत्तरकाशी गया और लोगों से पूछा तो मैं सुनकर दंग रह गया कि वहां पांच–पांच साल से लोगों ने ऊन अपने घरों में रख रखा है, यानि पड़ा हुआ है। उसको खरीदने के लिए सरकार ने कोई पॉलिसी ही नहीं बनाई। मैं यहां पर किससे बोलूं, कौन मंत्री है, यह पता ही नहीं। वहां लोगों के घरों में ऊन सड़ रहा है, इसकी बिक्री की व्यवस्था करनी चाहिए। आप द्वारा कहा जाता है कि भेड़ ऊन बोर्ड का गठन कर दिया गया है। मान्यवर, मेरा एक निवेदन है कि इन बोर्डों के गठन से उत्तरांचल का भला होने वाला नहीं है। भला तब होगा जब धरातल पर काम करेंगे। मान्यवर, जो भारतीय वन संरक्षण अधिनियम हैं, मानते हैं कि इससे दिक्कतें हमारे समय में भी हुई, हम उन लोगों की पीड़ा को व्यक्त यहां पर कर रहे हैं, जो राष्ट्रीय राज्य मार्ग पर रहते

हैं या जिनके वहां पर घर या गोशाला है, जो अपना मकान पक्का नहीं बना सकते। वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी आदि उनका उत्पीड़न करते हैं। इसके लिए उन गरीब लोगों का क्या कसूर है। उनका कसूर सिर्फ इतना है कि वे लोग लम्बे समय से वहां पर रह रहे हैं और उस भूमि पर काबिज हैं।

मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस पर जो कृषक बसे हुए हैं उनको सम्मानपूर्वक वहीं पर बसे रहने दिया जाय और अगर राष्ट्रीय राज्य मार्ग को इससे क्षति होती है तो उन्हें कहीं और सही जगह पर बसाना चाहिए। मान्यवर, जो टोंगियों गांव है, 85 वर्ष से बसा हुआ है। वहां कोई 80 वर्ष से रह रहा है तो कोई 85 वर्ष से, लेकिन अभी उस भूमि का नियमितीकरण नहीं हो रहा है। मान्यवर, उस भूमि का नियमितीकरण करना चाहिए। इससे सरकार को भी लाभ होगा। औद्योगिक क्षेत्रों के बारे में विभिन्न जनपदों के उद्योग बंद पड़े हुए हैं। इण्डस्ट्रियल एरिया वीरान पड़े हुए हैं। मान्यवर, मेरे रुद्रप्रयाग जनपद में जमीन ले ली गयी है लेकिन वहां पर कोई काम नहीं हो रहा है। मान्यवर, इस संबंध में मेरा कहना है कि वहां पर इण्डस्ट्रियल क्षेत्र डेवलप करना चाहिए जिससे वहां के लोगों को रोजगार मिल सके। मान्यवर, ग्रामीण सड़कों के संबंध में लोक निर्माण मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि पहले सड़कों को दुरुस्त करने के लिए, सही ढंग से रखने के लिए गैंग लेबर होते थे और मस्टररोल पर मजदूर रखे जाते थे जो सड़कों की देखरेख करते थे और सड़कें खुल जाती थीं। आज गैंग लेबर बहुत कम हैं और जो ग्रामीण सड़कें हैं, उनकी हालत खराब है, कहीं पुश्ता टूटा हुआ है।

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि ऐसी ग्रामीण सड़कें जो बन्द पड़ी हुई हैं, इन सड़कों पर यातायात चालू होना चाहिए ताकि जनता को उसका लाभ मिल सके। मान्यवर, यह बिन्दु मैं पहले भी कई बार उठा चुका हूं। नजूल की जमीन ऊधमसिंह नगर में है। मेरा सुझाव है कि जितनी नजूल की भूमि है, वर्ग–3 एवं वर्ग–4 की भूमि है, उसका विनियमितीकरण कर दें। इससे सरकार को राजस्व की प्राप्ति भी होगी। मैं माननीय वन मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि आपकी भी काफी भूमि है। 14 गांव टिहरी गढ़वाल के हैं। जिस वन भूमि में कृषक बसे हुए हैं, उनके पक्के मकान बने हुए हैं, उस वन भूमि को हम खाली नहीं करा पा रहे हैं और न हम राजस्व प्राप्त कर पा रहे हैं। मान्यवर, सरकार को पॉलिसी बनानी चाहिए कि ऐसी भूमि का विनियमितीकरण करें और राजस्व भी प्राप्त करें। आप ऐसा करके जनता का दिल जीतें, नहीं तो आपका हाल ऐसा हो जायेगा। (हंसी) मान्यवर, आपके घोषणा–पत्र में है कि 24 घण्टे हम बिजली की सप्लाई देंगे। मान्यवर, ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे बिजली के उपभोक्ताओं का शोषण हो रहा है। उनके मीटर ऐसे चल रहे हैं जैसे सुपर फास्ट ट्रेन। जिनका बिल 500–600 रुपया आना चाहिए, उनका बिल 5000–6000 रुपये आ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मीटरों की वजह से यह खराबी आ रही है। लोगों को बिल ठीक कराने के लिए दूर जाना पड़ता है और कभी–कभी तो रात में वहीं रुकना पड़ता है। खराब इलेक्ट्रॉनिक मीटरों को ठीक कराया जाये। मान्यवर, शहरों की बात छोड़िये, गांवों में महीने–महीने भर तक बिजली के ट्रान्सफार्मर

जले पड़े रहते हैं, सप्लाई नहीं होती है, लेकिन बिल आ जाता है। विद्युत विभाग अपने उपभोक्ताओं का शोषण कर रहा है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस शोषण को रोका जाय और शिविर कैम्प लगाकर विद्युत बिलों की वसूली होनी चाहिए।

आपने गन्ना किसानों के लिए कहा कि इनको हम 95 रुपये प्रति कुन्तल देंगे। अगर जलाने की लकड़ी हम लेते हैं तो वह मंहगी है और कृषक जिस खेत में बीज डालता है, निराई करता है, गुड़ाई करता, वह सस्ता हो गया है। उसकी कीमत कम हो गयी, 95 रुपया प्रति क्विंटल देने का निर्णय किया लेकिन उन्हें मात्र 80 रुपये प्रति क्विंटल का भुगतान किया गया है, 15 रुपये प्रति क्विंटल का भुगतान नहीं हुआ।

*चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री तिलकराज बेहड़)–

मान्यवर, 92.50 से 95 तक का हो रहा है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, जैसा 1996–97 में उत्तर प्रदेश में हुआ था, वैसा ही होना चाहिए।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, अगर पूरा दे दिया है तो सरकार बधाई की पात्र है, यदि नहीं दिया है तो बधाई के पात्र नहीं हैं। मेरे पास जो रिपोर्ट है, उसके अनुसार 15 रुपया कम भुगतान किया गया है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, पूरा भुगतान नही हुआ है। कहीं–कहीं पर ही हुआ है और वह भी पूरा नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

चीमा जी, आप कृपया बैठे।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, आपके माध्यम से एक बात और ध्यान में लाना चाहता हूं कि सरकार ने थोक में लालबत्ती बांटी है, सरकार तो बड़ी दरियादिल है, सब काम थोक में करती है, तहसीलें और उप तहसीलें खोली तो थोक में, लाल बत्ती बांटी वह भी थोक में। आपने 7 उप तहसीलें खोली और 20 तहसीलें खोल दीं।

(सत्तापक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा मेजों की थपथपाहट)

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लेकिन अभी तक उनमें न तो कोई अधिकारी है न कर्मचारी है और न ही इनके लिए भवन की व्यवस्था की गई है, इसमें सब अव्यवस्था है, तो क्या केवल लोक सभा चुनाव लड़ने के लिए आपने यह सब घोषणाएं की थीं ?

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री मातबर सिंह--

मान्यवर, हम इस प्रदेश को पर्यटन प्रदेश बनाने जा रहे हैं और ऊर्जा प्रदेश बनाने जा रहे हैं, ऊर्जा प्रदेश पर तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि वहां पर कितनी अव्यवस्था है, पर्यटन प्रदेश बनाने के लिए कोई सही कार्य योजना सरकार ने बनाई ही नहीं है, माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि अभी तक पर्यटन मानचित्र में केवल नैनीताल, मसूरी और मुन्स्यारी को ही शामिल किया गया है। लेकिन मान्यवर, यदि हम उत्तरांचल के गांवों को देखें तो उत्तरकाशी में दयारा, टिहरी में खतलिंग घाटी और नैनीताल और कुमाऊँ में देखें तो मान्यवर, जगह-जगह सुन्दरता धरती पर देखने को मिलती है, अभी मैं वहां पर गया था तो मैं दंग रह गया, मानिला, पाताल भुवनेश्वर, जागेश्वर चौकोड़ी, बेरीनाग, थल और मायावती, यह बसपा की मायावती नहीं हैं, अल्मोड़ा की मायावती हैं, तो ऐसे मनोहारी जगहों को पर्यटन मानचित्र में शामिल किया जाना चाहिए। जिससे यहां पर रोजगार के साधन भी मिलेंगे, देश और विदेश के पर्यटक यहां पर आयेंगे, जिससे निश्चित ही प्रदेश की आय बढ़ेगी। एक मामला और है पिछली केन्द्र सरकार, राजग सरकार ने हमें एम्स दिया था, मेरा अनुरोध है कि इस एम्स को शीघ्र से शीघ्र बनना चाहिए, इसके लिए बजट में प्रावधान किया जाना चाहिए, इसका एक प्रस्ताव बनाना चाहिए। यह जितनी जल्दी शुरु होगा, वह निश्चित ही हमारे हित में होगा।

मान्यवर, उत्तरांचल के हित में एक अहम बात कहना चाहता हूँ, हमारे उत्तरांचल में पलायन की प्रवृत्ति है। पलायन का हाल यह है कि पहाड़ों के जो बुद्धिजीवी हैं, वे मैदानों में बस गए हैं। सब हल्द्वानी तथा देहरादून में पहुंच गए हैं। उत्तरांचल में पलायन को रोकने के लिए आवश्यक है कि पर्वतीय क्षेत्रों का चहुंमुखी विकास किया जाय। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वहां पर हमको शुद्ध वायु तथा शुद्ध पानी प्राप्त होता है। जब हम मसूरी, पौड़ी और जोशीमठ जाते हैं तो कितनी राहत मिलती है और जब हम मेरठ, दिल्ली अथवा सहारनपुर जाते हैं तो कैसी दिक्कत होती है। इस पलायन को रोकने के लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए। मान्यवर, उत्तरांचल हमारा है और इसका चहुंमुखी विकास करना हमारा दायित्व है। इसके लिए आवश्यक है कि हमारी खनन नीति और आबकारी नीति अच्छी होनी चाहिए, इनसे सरकार को अच्छी आय प्राप्त होती है। मान्यवर, खनन के लिए नीति बनानी चाहिए और आबकारी में दुकानों का आवंटन सही होना चाहिए तथा आबकारी नीति अच्छी होनी चाहिए। मान्यवर, हमारी सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर अतिरिक्त कर लगाया है, इससे इनकी बिक्री कम हो गयी है। लोग सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और बरेली से डीजल भरा रहे हैं। सरकार को

अतिरिक्त कर लगाने से कोई फायदा नहीं हुआ है बल्कि इससे हमारे कृषकों को नुकसान हुआ है तथा हमारी कृषि पर कुप्रभाव पड़ा है। यह एक अहम बिन्दु है। अगर सरकार मेरी बात को सुने तो हमारे प्रदेश का भला होगा। हम देखते हैं कि देहरादून से 40-45 किलोमीटर तक अध्यापक रोज अप-डाउन कर रहे हैं। ये कब यहां से जायेंगे, कब वहां पर पढ़ायेंगे और कब वापस आयेंगे। मेरा कहना है कि मानक के आधार पर प्राईमरी तथा जूनियर हाई स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्ति की जाय, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। हमारी शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं है।

मान्यवर, आज वरुणावत उत्तरकाशी के लिए घातक हो गया है और किसी भी वक्त तहस-नहस हो सकता है। वरुणावत में भू-स्खलन को रोकने के लिए युद्ध स्तर पर काम होना चाहिए। 25 करोड़ रुपया केन्द्र से मिल गया लेकिन उसका सदुपयोग आपके द्वारा नहीं हुआ। जब मैंने अधिकारियों से पूछा तो पता चला कि 5 करोड़ रुपया आया है, जिसमें से 3 करोड़ 20 लाख रुपया खर्च हुआ है। इस प्रकार 1 करोड़ 80 लाख रुपया अभी आपके पास पड़ा है। 25 करोड़ रुपया अलग आया है। आप इसका सदुपयोग कब करेंगे ? मान्यवर, मैं माननीय नगर विकास मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ, यह मेरी नहीं आम जनता की पीड़ा है। आपने विकास प्राधिकरण का शुल्क बढ़ा दिया है, इसका परीक्षण करा लीजिए। जब हम नक्शा पास कराने जाते हैं तो कहा जाता है कि फलां दिन आइएगा। मान्यवर, प्राधिकरण को इन्होंने कोर्ट बना दिया है। मान्यवर, प्राधिकरण को न्यायालय नहीं बनने देना चाहिए। इसमें संशोधन करना आवश्यक है। वहां पर किसी काम को लटकाया न जाए और शुल्क न बढ़ाया जाए, तो अच्छा होगा। मान्यवर, बड़े भारी मन से कह रहा हूँ। मान्यवर, सरकार की गुणवत्ता कैसे होगी, यहां इस सदन में हम बैठे हैं।

मान्यवर, माननीय विधायक का मान-सम्मान नहीं होगा तो कैसे काम होगा। मान्यवर, बड़ी पीड़ा है। माननीय मंत्रीगण भी अधिकारियों के पास जाते हैं तो अधिकारीगण प्रोटोकाल के खिलाफ बोलते हैं कि मुख्यमंत्री से लिखाकर लाइये। मान्यवर, यह हाल माननीय मंत्रीगणों का है, तो माननीय विधायकों का क्या हाल होगा ? अफसरशाही हावी है। माननीय अध्यक्ष जी, आप हमारे गार्जियन हैं, हमारे संरक्षक हैं। माननीय अध्यक्ष जी, विधायक चाहे सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का, सम्मान होना चाहिए। अधिकारीगण जो जायज बात है, उसे भी नहीं मानते। मान्यवर, ऐसी व्यवस्था है, तो क्या फायदा है इस सदन में चर्चा करने का ? गुणवत्ता कैसे आयेगी। मैं साफ शब्दों में कह रहा हूँ कि विभागों में 20 से 25 प्रतिशत तक कमीशन लिया जा रहा है, मैं यह बात दावे के साथ कह रहा हूँ। कोई चाहे मुझे जेल भेजना चाहे, जेल भेज दे। मैं न्यायालय में लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार हूँ। मान्यवर, मेरा एक निवेदन है-यह जो इस राज्य में भ्रष्टाचार हो रहा है, उसे समाप्त करने के लिए हमें संकल्प लेना चाहिए। उत्तरांचल राज्य का गठन हमने इसीलिए किया था कि हम यहाँ पर भ्रष्टाचार को पनपने नहीं देंगे। मान्यवर, आज विधायक निधि तथा सांसद निधि पर भी कमीशन लिया जा रहा है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि यह जो कमीशनखोरी की संस्कृति यहां पर बढ़ रही है, उससे हमको

छुटकारा दिलायें। इससे उत्तरांचल की जनता का भला होगा। आपको मौका मिला है, युद्ध स्तर पर विकास के कार्य होने चाहिए, जनता आपका गुणगान करेगी। मान्यवर, एक निवेदन और करना चाहता हूँ, माननीय लोक निर्माण मंत्री जी से कि यह जो पुनरीक्षित आंगणन हैं इनको स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। यह केवल भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, कोई भी पुनरीक्षित आंगणन स्वीकार नहीं किये गये हैं, कोई हो तो बताइये। शत–प्रतिशत बंद है।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, प्रदूषण पर अंकुश लगना चाहिए। अच्छा वातावरण उत्तरांचल राज्य की पहचान है। आज यहां पर प्रदूषण बहुत बढ़ गया है। मान्यवर, देहरादून कितना अच्छा शहर था। मान्यवर, 1959 में जब हम देहरादून में रहते थे तो कितना अच्छा वातावरण था और आज इस शहर में कितना प्रदूषण हो गया। मान्यवर, पेयजल मंत्री से मेरा अनुरोध है कि आज प्रदेश में पानी का बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो गया है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आज हमारी 60 प्रतिशत योजनायें पानी से वंचित हैं। कई जगहों पर हैण्ड पम्प लगे हैं, जब वे खराब होते हैं तो यह कहा जाता है कि हैण्ड पम्प को ठीक करने के लिए देहरादून से कोई मैकेनिक आयेगा। मान्यवर, जिस प्रदेश में गंगा, यमुना और शारदा नदी बहती हों, जो प्रदेश, देश के अन्य प्रदेशों को सींचता हो, वह आज पानी से तड़प रहा है।

मान्यवर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिन्दु है, औद्योगिक पैकेज के बारे में। मैं माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेई का आभार प्रकट करता हूँ, हम उनके ऋणी हैं कि उन्होंने उत्तरांचल को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया, हमको औद्योगिक पैकेज दिया। वर्तमान सरकार ने इस औद्योगिक पैकेज को 2007 तक कर दिया। मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसे 2013 तक यथावत् रखें ताकि हमारा बहुमुखी विकास हो सके। मान्यवर, जहां तक मुझे ज्ञात है, इस सरकार ने 2000 तक के शासनादेशों को निरस्त कर दिया है। मान्यवर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि शासन के अधिकारियों ने शासनादेश जारी कर दिये हों और माननीय मंत्रियों के संज्ञान में यह बात न हो।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, किसी भी विभाग द्वारा कोई भी आदेश निरस्त नहीं किया है। कृपया आप किसी एक विभाग का उदाहरण दें।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, पहले ऐसे आदेश थे कि जिन योजनाओं पर वर्ष 2000 तक कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है, उन्हें रोका जाय। मान्यवर, फिर यह आदेश हुए हैं कि 2000 तक की जिन योजनाओं पर निर्माण कार्य प्रारम्भ हुआ है, उन्हें रोक दिया जाय। मान्यवर, हो

सकता है, माननीय मंत्रियों को यह जानकारी न हो और शासन स्तर के अधिकारियों ने इस तरह के आदेश जारी कर दिये हों। मान्यवर, आज सरकार की स्थानान्तरण की नीति पर जनता उंगली उठा रही है, इस पर पारदर्शिता बरती जानी चाहिए। मान्यवर, तहसील दिवसों का आयोजन किया जाता था, यह आयोजन इसलिए किया जाता था कि अधिकारी जनता की बातों को सुनें तथा उनका निवारण करें। परन्तु आज तहसील दिवस पर अधिकारी नदारत रहते हैं। हमारा सुझाव यह भी था कि यह आयोजन एक–दो माह बाद हो ताकि इसमें अधिकारी सम्मिलित होकर जनता की समस्याओं का निपटारा कर सकें। मान्यवर, अनधिकृत विकास संस्थानों और मेडिकल कॉलेजों पर रोक लगनी चाहिए। मान्यवर, मैं यहां पर मि0 लारी, काशीपुर का एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मान्यवर, मि0 लारी एक संस्थान चला रहे हैं, इसमें प्रवेश के लिए 30 हजार एवं 35 हजार रुपये जनपद पिथौरागढ़, बागेश्वर, हल्द्वानी, अल्मोड़ा आदि जनपदों के छात्रों से लिये। मान्यवर, मैंने महामहिम राज्यपाल जी से तथा माननीय मुख्यमंत्री जी से छात्रों के शोषण की बात कही थी, मैं चाहता हूँ सरकार इसको रोके।

मान्यवर, नहर के बारे में कहना चाहता हूँ कि उत्तरांचल के परिवेश में जो नहरें बनी हुई हैं, उनमें पानी नहीं चल रहा है, मैं चाहता हूँ सरकार इसको गम्भीरता से ले। मान्यवर, विकास खण्ड टिहरी, विकास खण्ड चिन्याली आदि कई जगहों पर सूखा पड़ा हुआ है, मेरा निवेदन है कि सूखे के स्थानों को चिन्हित कर वहां के लोगों को राहत मिलनी चाहिए। मान्यवर, मेरा निवेदन है कि वित्तीय अनुशासन बनाये रखना चाहिए। मान्यवर, सभी चीनी मिलें घाटे में हैं, तो मेरा कहना है कि यह चीनी मिलें घाटे में क्यों हैं ? इसकी गहराई से विवेचना, जांच होनी चाहिए। मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि सहकारी समितियों के चुनाव तथा मण्डी समिति के चुनाव शीघ्र कराये जाने चाहिएं, यह प्रजातंत्र–देश है इसलिए प्रजातंत्र ढंग से काम चलेगा तो अच्छा होगा। मान्यवर, मूल निवास प्रमाण–पत्र के लिए हमारे ग्रामीण भाईयों को दर–दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं, तो हमारी प्रार्थना है कि हम सब जनता के दुखः दर्द दूर करने के लिए एक ठोस रणनीति बनायें। मान्यवर, मैंने महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण को पढ़ा और मुझे ऐसा लगा कि इस अभिभाषण में कई संशोधन करने की आवश्यकता है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूँगा कि जो हमारे महत्वपूर्ण सुझाव हैं, उनको अंकित कर संशोधन करें और एक अच्छी सरकार के रूप में प्रदेश में काम करें ताकि उत्तरांचल का भला हो सके। मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

मैं दलीय मा0 नेताओं के लिए 20 मिनट तथा माननीय सदस्यों के लिए 10 मिनट का समय तय कर रहा हूँ।

*श्री हरीदास–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, महामहिम राज्यपाल जी के

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अभिभाषण के पैरा नं0 11 में कहा गया है कि सरकार स्वच्छ एवं पारदर्शी प्रशासन उपलब्ध कराने के लिए सरकार कटिबद्ध है। सरकार के मंत्री खुद इसमें लिप्त हैं। चाहे पटवारी प्रकरण रहा हो या चाहे दरोगा भर्ती प्रकरण रहा हो, क्या सरकार स्वच्छ और पारदर्शी है ? मान्यवर, पैरा नं0 15 में कहा गया है कि रोजगार मुहैया कराने की बात, आज उत्तरांचल राज्य में युवा वर्ग को बेरोजगारी के अवसरों की जानकारी युवा वर्ग को आज तक सेवा योजना कार्यालयों से नहीं दी जाती है, मेरा यह कहना है कि जितने सेवा योजना कार्यालयों में बेरोजगारों के नाम पंजीकरण हैं। उनकी साल में हर वर्ष तक मीटिंग बुलवाकर जानकारी देनी चाहिए।

मान्यवर, चिकित्सा के क्षेत्र में मेरा यह कहना है कि सरकार द्वारा गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवारों के सदस्यों के गम्भीर जीवन घातक बीमारियों के सम्बन्ध में विशेषज्ञ, इलाज के लिए सहायता दिये जाने हेतु स्वास्थ्य मंत्री जी की अध्यक्षता में उत्तरांचल राज्य व्याधि सहायता निधि प्रबंधक समिति का गठन भी सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत किया गया है। इसमें मेरा यह कहना है कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवारों के सदस्यों की गंभीर जीवन घातक बीमारियों का इलाज निःशुल्क किया जाना बहुत जरूरी है और इसकी जानकारी देनी चाहिए कि आपका इलाज स्वास्थ्य केन्द्रों पर निःशुल्क किया जा रहा है।

मान्यवर, इसकी जानकारी ग्राम्य रूट तक दी जानी चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में मेरा यह कहना है कि हमारी सरकार को, रैगिंग को रोकने के लिए कड़ा निर्देश दिया जाना चाहिए, इसको रोका जाना बहुत जरूरी है। पिछले दो–तीन सालों में बहुत घटनायें घटित हो चुकी हैं। कृषि के क्षेत्र में छोटे किसानों को गन्ने के बीज छूट में उपलब्ध कराया जाना चाहिए जिससे कि छोटे किसान अच्छी पैदावार कर सकें।

मान्यवर, पैरा 82 में आवास विहीन बी0पी0एल0 परिवारों के लिए आवासीय इकाईयों का निर्माण/उच्चीकरण किया गया है, कहाँ है ? मैं कहना चाहता हूँ कि इस योजना का लाभ सीधे बी0पी0एल0 परिवारों को नहीं मिल पा रहा है, इसका लाभ पैसे वाले परिवारों को दिया जा रहा है। इसका पैसा गरीब परिवारों के पास नहीं पहुंच पाता है। इस योजना का लाभ उनको पहुंचाया जाये। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ कि इसके अन्तर्गत जो निर्धन परिवार हैं, उनके लिए यह योजना सरकार द्वारा चलायी जा रही है, मगर मैं कहना चाहता हूँ कि इस योजना का लाभ हरिद्वार के किसी भी ब्लॉक में नहीं दिया गया। मान्यवर, बहुजन सुखाय और बहुजन हिताय तभी हो सकता है जब प्रत्येक वर्ग को पेट भर भोजन मिल सके। हमारी सरकार को इन सब पर गौर करना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, इसी के साथ मैं महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध करता हूँ।

श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मान्यवर, विगत एक वर्ष का जो लेखा–जोखा महामहिम

के अभिभाषण में प्रस्तुत किया गया है, जो आंकड़ों की झलक प्रस्तुत की गई है, उनसे दूर-दूर तक नहीं लगता कि ये सरकार उत्तराखण्ड की जनता के हितों की बात कर रही है। मान्यवर, 22 वर्षों तक इस राज्य के लिए संघर्ष किया गया, जिन नीतियों को लेकर संघर्ष किया गया, उसकी झलक इसमें दूर तक भी दिखायी नहीं दे रही है। चार वर्ष राज्य निर्माण को पूरा हो गये हैं, न तो इस सरकार में इन नीतियों को अपनाये जाने की इच्छा शक्ति दिखाई दे रही है न निकट भविष्य में पूरा करने का प्रयास दिखाई देता है। मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि उत्तराखण्ड नया राज्य बना, जो व्यवस्था उत्तर प्रदेश में थी, वही आज भी यहां है। उत्तराखण्ड की जनता ने न यह सोचा था न इसके लिए संघर्ष किया था। इसको शोषण विहीन और वर्ग विहीन राज्य बने और जिसका नाम ऐतिहासिक और पौराणिक आधार पर उत्तराखण्ड रखा जाय। उत्तराखण्ड की राजधानी पर्वतीय क्षेत्र के मध्य हो और पेशावर काण्ड के महानायक शहीद श्री वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली के नाम से चन्द्रनगर गैरसैंण में स्थापित की जाय। मान्यवर, भू-माफियाओं और शोषणकारी ताकतों का जो जमीन की खरीद फरोख्त करते हैं, को रोकने के लिए अनुच्छेद 371 में प्रावधान सुनिश्चित करने का सरकार प्रस्ताव करे।

मान्यवर, इस राज्य के बनने का उद्देश्य उन राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित करना और शहीद राज्य आंदोलनकारियों की स्मृति को अक्षुण्ण रखना, लम्बे समय से कारावास की यातना भोगने वाले आंदोलनकारियों एवं लगातार संघर्ष में रहे आंदोलनकारियों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की भांति सम्मानित करना और उनको रोजगार दिलाने का उद्देश्य भी इस राज्य की प्राप्ति के पीछे निहित था। राज्य आंदोलन के दौरान खटीमा, मसूरी, मुजफ्फरनगर जैसे स्थानों पर जघन्य कार्य करने वाले उत्तरदायी अधिकारियों को दण्डित करना भी इस राज्य की प्राप्ति का उद्देश्य था। मान्यवर, इनमें से कोई एक भी कार्य इस सरकार के ढाई वर्ष के कार्यकाल में पूर्ण हुआ है ? यह मेरे संज्ञान में नहीं है। खाली आंकड़ों के तोता रटन्त का औचित्य हमें समझ में नहीं आता है। मान्यवर, राज्य के निर्माण के चार वर्ष हो जाने के पश्चात् भी राज्य की स्थायी राजधानी का मुद्दा अभी भी लटका हुआ है और परदे के पीछे देहरादून को स्थायी राजधानी बनाने पर विचार किया जा रहा है। राज्य आंदोलनकारियों को सरकार के बार-बार आश्वासनों और घोषणाओं के बावजूद आज भी इनको सरकार रोजगार नहीं दे पायी है। मान्यवर, यह खुशी की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा यह कहा गया है कि सन् 1994 के राज्य आंदोलनकारियों को रोजगार दिया जायेगा। परन्तु मैं आपके माध्यम से यह अवगत कराना चाहता हूँ कि राज्य आंदोलन सन् 1994 में शुरू नहीं हुआ। सन् 1977 में स्व0 ऋषि बल्लभ सुन्दरियाल और 1952 में कामरेड पी0सी0 जोशी जैसे तमाम लोग जिन्होंने राज्य आंदोलन की शुरूआत की थी। विगत 1979 में राज्य आंदोलन प्रारम्भ हुआ। अगर 1979 से 1994 के दौर को देखें तो कोई ऐसा वर्ष नहीं है जब राज्य आंदोलनकारियों ने राज्य के लिए डण्डे न खाये हों, यातनाएं न सही हों, जेल न गये हों। मान्यवर, इस देश की आजादी का आंदोलन 1942 में शुरु नहीं हुआ, जब गांधी जी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया। देश की आजादी का आंदोलन सन् 1857 में शुरु हुआ।

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में राज्य के आंदोलनकारियों के लिए कुछ नहीं कहा गया है। मान्यवर, मेरा मानना है कि सन् 1978 हो या सन् 1979 जिसको भी कट ऑफ डेट मान लिया जाए और राज्य के राज्य आंदोलनकारियों को उसी तिथि से चिन्हित किया जाना चाहिए। जिस दौरान बहुत गिने चुने लोग हुआ करते थे और दूसरे लोग उन पर हंसते थे। मान्यवर, इसलिए उन सारे आंदोलनकारियों की सूचना विभिन्न जनपदों से गृह विभाग के माध्यम से मंगानी चाहिए, जिन्होंने लम्बे संघर्ष के दौरान इस राज्य को प्राप्त करवाया है और 20-20 साल से सड़कों पर रहे, खाने के लिए मोहताज रहे। मान्यवर, मात्र कुछ लोगों को रोजगार दिए जाने से समस्या का समाधान नहीं होता। मान्यवर, मैं बधाई देता हूँ कि सन् 1994 के राज्य आंदोलनकारियों को रोजगार देने की बात सरकार ने कही है लेकिन इनके साथ-साथ 1979 से 1994 तक के राज्य आंदोलनकारियों को चिन्हित कर रोजगार व सारी सुविधाएं दी जानी चाहिए।

मान्यवर, मैं पर्वतीय गांधी इन्द्रमणी बड़ोनी जी का जिक्र करना चाहता हूँ। मान्यवर, उत्तराखण्ड की अपनी एक संस्कृति है और इस राज्य में पर्वतीय गांधी के नाम से विख्यात इन्द्रमणी बड़ोनी के नाम को भुलाया नहीं जा सकता। इन्द्रमणी बड़ोनी को किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। उत्तराखण्ड की जनता ने उन्हें पर्वतीय गांधी का नाम दिया है। मान्यवर, आजकल एक सज्जन जो राज्य आंदोलनकारियों का पूरा ठेका लिये हुए हैं। उन्होंने मा० मुख्यमंत्री के हवाले से कहा है कि बड़ोनी जी के परिवार को एक लाख रुपया दिया जायेगा। मान्यवर, राज्य आंदोलनकारी भिखारी नहीं हैं। यदि बड़ोनी जी के परिवार पर संकट आयेगा तो उसका भी निदान किया जायेगा। मान्यवर, एक अदना सा व्यक्ति जिसका राज्य आंदोलन से कोई भी लेना-देना नहीं है, वह बड़ोनी जी के बारे में ऐसी टिप्पणी कर रहा है। जबकि मान्यवर, होना तो यह चाहिए था कि यह सदन सर्वसम्मति से प्रस्ताव करे कि पर्वतीय गांधी श्री इन्द्रमणी बड़ोनी जी को भारत रत्न की उपाधि से विभूषित किया जाये। जबकि इसके स्थान पर एक अदना सा व्यक्ति कह रहा है कि उनके परिवार को एक लाख रुपया दिया जायेगा। मैं कहना चाहता हूँ कि बड़ोनी जी की स्मृति को अक्षुण्ण रखने के लिए उन्हें चाहे एक फूल से ही सम्मानित करें, लेकिन सम्मानित करने का तरीका होना चाहिए। उनकी मूर्तियां विभिन्न जनपदों में स्थापित की जाएं। ताकि लोग जान सकें कि इस राज्य को बनाने में ऐसे-ऐसे लोगों का हाथ रहा है। मान्यवर, जब 80 साल की उम्र में लोग नाती-पोतों के साथ आराम करते हैं, तब उस उम्र में बड़ोनी जी ने राज्य आंदोलन का नेतृत्व किया।

मान्यवर, अनुच्छेद 371 की बात है। उत्तराखण्ड क्रान्ति दल का मानना है कि अगर उत्तरांचल की सभ्यता को, संस्कृति को बचाना है तो अनुच्छेद 371 आपको लागू करना पड़ेगा। आज लोग कह रहे हैं, हमारे मित्र कह रहे हैं कि चोरी की घटनाएं बढ़ी हैं, डकैती की घटनाएं बढ़ी हैं, जीवन सुरक्षित नहीं रह गया है। मान्यवर, जब लगातार राज्य के बाहर से चींटियों की तरह लोगों की आवक होगी, उनके नियंत्रण का कोई तरीका नहीं होगा तो किसी का भी जीवन सुरक्षित नहीं होगा। यह अच्छी बात है कि सरकार ने इसके कुछ हिस्से को पूरा करने का प्रयास किया है। भू-अध्यादेश भी पूरा

लागू नहीं हुआ है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि अनुच्छेद 371 के अन्तर्गत यहां की भूमि खरीद पर रोक लगानी चाहिए। यह उत्तराखण्ड को आदर्श राज्य बनाने के लिए नितान्त आवश्यक है। मान्यवर, रोजगार की बात आई है। अभी तक दो अभिभाषण महामहिम राज्यपाल जी के हो चुके हैं और दोनों में यह बात आई है कि एक लाख लोगों को हम रोजगार देंगे। मैं मानता हूँ कि मात्र नौकरियों से यह राज्य नहीं चलेगा। यदि नये संसाधन उपलब्ध कराये जाते हैं तभी बेरोजगारी की समस्या का निदान हो सकता है। आज जी0आर0वाई0 एवं एस0आर0वाई0 में 5–5 लाख रुपया तक ग्राम पंचायतों में आ रहा है, लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है, वहीं बार–बार खड़ंजा और फिर खड़ंजा।

श्री अध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें।

श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–

मान्यवर, रोजगार के क्षेत्र में कोई स्पष्ट नीति नहीं है। राज्य सरकार ने परिसीमन के मामले में राज्य के हितों की रक्षा नहीं की। यदि परिसीमन होता है तो पर्वतीय क्षेत्र की 10 सीटें घटती हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं है कि तराई में सीटें बढ़े, लेकिन मान्यवर, उत्तराखण्ड की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए परिसीमन नहीं किया गया तो निश्चित ही जनता फिर सड़कों पर आ जायेगी। लेकिन खेद है कि न तो सरकार ने इस बारे में कोई प्रयास किया न ही लोकसभा के माध्यम से इसका विरोध किया, परिसीमन आयोग को इसकी संस्तुति जानी चाहिए थी लेकिन इसका कोई उल्लेख महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में नहीं किया गया है। मान्यवर, भाषा की बात भी करना चाहता हूँ, जो हमारी प्रमुख भाषायें हैं, कुमाऊँनी, गढ़वाली और जौनसारी, इनके विकास के लिए सरकार को काम करना चाहिए और उनके रचनाकारों को प्रोत्साहन देना चाहिए, इन भाषाओं को आगे बढ़ाने के लिए इन्हें आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन इसका भी कोई उल्लेख श्री राज्यपाल के अभिभाषण में नहीं है। मान्यवर, एक और महत्वपूर्ण प्रकरण है, स्थाई निवास प्रमाण–पत्र का। मान्यवर, इसके लिए कोई नीति का निर्धारण नहीं किया गया है कि आखिर उत्तराखण्ड का असली स्थाई निवासी कौन होगा ? इसका निर्धारण आपको करना पड़ेगा, भले ही इसके लिए कट ऑफ डेट 20 वर्ष रखी जाय या 15 वर्ष यह तय होना चाहिए, निर्धारण होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

त्रिपाठी जी, कृपया समाप्त करें।

श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–

मान्यवर, मैं समाप्त ही कर रहा हूँ, मैं अभी जसपुर गया था तो वहां पर पता चला कि कोई भी मुरादाबाद ठाकुरद्वारा का व्यक्ति हजार रुपया दे रहा है, तो इस तरह से वे लोग स्थाई निवास प्रमाण–पत्र पाकर यहां पर नौकरियां भी ले रहे हैं, कोई जौनपुर

से तो कोई सहारनपुर से आ रहा है, इसको रोकने और इसके निर्धारण करने का भी कोई उल्लेख इस अभिभाषण में नहीं है। मान्यवर, उद्यानीकरण की बात इसमें कही गई है कि 25 हजार हेक्टेयर भूमि में उद्यानीकरण किया जायेगा। तो कृपया यह बता दें कि उद्यानीकरण आप कहां से करेंगे ? जो उद्यान यहां पर थे उन्हें तो आपने प्राइवेट और एन0जी0ओ0 को बेच दिया है और सरकार का तुर्रा यह है कि हमने इन्हें तकनीकी एक्सपर्ट्स को दिया है। मान्यवर, मैं याद दिलाना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पं0 गोविन्द बल्लभ पंत जी, भारत रत्न जिन्हें मिला था उन्होंने प्रदेश का पहला उद्यान निदेशालय चौबटिया में खोला था, उन्होंने इसलिए नहीं खोला था कि वे यहां के रहने वाले थे, बल्कि इसलिए खोला था कि पर्वतीय क्षेत्रों में उद्यानों का विकास हो सकता था, इससे यहां पर रोजगार के अवसर आ सकते थे, इससे मुक्तेश्वर, उत्तरकाशी, रामगढ़, दुनागिरी और जोशीमठ आदि जगहों में सेब के बाग लगाये गये, फलों का व्यवसाय बढ़ा था और आपने इन्हें एन0जी0ओ0 को दे दिया।

श्री अध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें।

श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–

मान्यवर, इस अभिभाषण में शिक्षा मित्र, शिक्षा बन्धु एवं होटल मैनेजमेंट कॉलेज, अल्मोड़ा के विजिटिंग फैकल्टी सहित अन्य विभागों के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की स्थाई नियुक्ति दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

मान्यवर, पर्यटन की बात आती है यहां पर, माननीय पर्यटन मंत्री जी भी बैठे हैं, मान्यवर, जो नैसर्गिक और प्राकृतिक सुन्दरता हमारे प्रदेश में उपलब्ध है, उसका पूरा दोहन होना चाहिए। इस क्षेत्र में कार्य करने से प्रदेश की आय में भी वृद्धि होगी और रोजगार के नये रास्ते भी खुलेंगे। मान्यवर, बद्री केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री, नैनीताल, रानीखेत तो पहले से ही इसमें हैं लेकिन मेवाड़ घाटी, मानिला, दुनागिरी, कालिका, मुक्तेश्वर आदि अनेक ऐसे स्थल भी यहां पर हैं जिन्हें विकसित किया जा सकता है, परन्तु मान्यवर, आज 3 साल बीत गये परन्तु इस सरकार ने एक भी जगह को पर्यटन मानचित्र में शामिल नहीं किया है।

श्री अध्यक्ष–

त्रिपाठी जी, चूंकि कई माननीय सदस्यों को इसमें बोलना है, आप कृपया समाप्त करें।

श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–

मान्यवर, मैं समाप्त कर रहा हूँ, मान्यवर मेरा कहना यह है कि इस प्रदेश में पर्यटन को मध्यम वर्ग के पर्यटकों के हिसाब से विकसित करना चाहिए, जो आदमी, मसूरी या नैनीताल में एक रात रुकना अफोर्ड नहीं कर सकता है, वह इन जगहों पर जा सकता है, जिससे निश्चित ही हमारे प्रदेश की आमदनी बढ़ेगी।

माननीय अध्यक्ष जी, अंत में मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे श्री राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव के विरोध में बोलने का अवसर प्रदान किया।

*श्री गोपाल सिंह राणा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे श्री राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर प्रदान किया, मान्यवर, हमारी सरकार ने पिछले वर्षों में कई सराहनीय कार्य किये हैं, चाहे वे सड़क बनाने का काम हो या पर्यटन का मामला हो, हमारे मुख्यमंत्री जी प्रदेश में अच्छा विकास कर रहे हैं, मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कुछ अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखना चाहता हूँ। मान्यवर, इस वर्ष खटीमा क्षेत्र में बहुत बारिश हुई और बाढ़ के कारण काफी नुकसान वहां पर हुआ है।

मान्यवर, खटीमा क्षेत्र की कामिनी, परवीन, देवहा, थनारा लोहिया नदी में अतिवृष्टि के कारण आई बाढ़ की विभीषिका से क्षेत्र में जन–धन की हानि हुई है। क्षेत्र को बाढ़ ग्रस्त घोषित किया जाय तथा नदियों की पिचिंग तथा तट बन्ध बनाये जाएं। मान्यवर, खटीमा तहसील में 1986 से चकबन्दी लागू है परन्तु चकबन्दी कार्य ठप्प पड़ा है, जिस कारण मृतक खातेदारों की भूमि उनके वारिसजनों के नाम नहीं दर्ज हो पा रही है। अतः राजस्व माल, कागजात तहसील कार्यालय को वापस कर दिये जाएं। मान्यवर, 1 सितम्बर, 1994 को खटीमा में गोलीकाण्ड हुआ था। किन्तु उत्तराखण्ड आन्दोलन के शहीदों के वारिसों को सरकार की मंशा के बाद भी अभी तक सरकारी नौकरी नहीं दी गयी है। उनको सरकारी नौकरी दी जाय। मान्यवर, खटीमा में अभी जिला बनाओ आन्दोलन चल रहा है। मान्यवर, जैसा कि मैंने पिछली बार भी कहा था कि खटीमा में सबसे पहले उत्तराखण्ड आन्दोलन शुरू हुआ था। खटीमा के आन्दोलनकारियों और शहीदों के सम्मान में खटीमा को जिला बनाया जाय। मान्यवर, 13 फरवरी, 2004 को खटीमा आगमन पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि खटीमा डिग्री कॉलेज में एम0एससी0 तथा एम0ए0 की कक्षाएं खोली जाएंगी। वहां के छात्र भी इसके लिए आन्दोलनरत हैं। मुख्यमंत्री जी की घोषणा के तहत वहां पर एम0एससी0 तथा एम0ए0 की कक्षाएं खोली जाएं। मान्यवर, खटीमा में मुंसिफ कोर्ट 1987 से खुला है लेकिन अभी तक वहां पर मुंसिफ कोर्ट का भवन नहीं बन पाया है। जबकि 8 एकड़ भूमि खटीमा मुंसिफ कोर्ट के लिए अधिग्रहित कर ली गयी है। मान्यवर, मेरा निवेदन है कि वहां पर मुंसिफ कोर्ट का भवन बनाने का कार्य शुरु किया जाए जिससे न्याय प्रक्रिया सही से चल सके। मान्यवर, मैंने पिछली बार भी कहा था कि सरकारी नौकरियों के लिए जो रोस्टर प्रणाली है, उसमें जनजातियों को 24वें स्थान पर रखा गया है। उनको 24वें स्थान से आगे बढ़ाकर 10 स्थान के आस–पास लाया जाए।

मान्यवर, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट भाषण में भी कहा है कि विकास नगर और कालसी में एकीकृत जनजाति विकास परियोजना की स्थापना की

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गयी है। खटीमा में भी एकीकृत जनजाति विकास परियोजना पहले चल रही थी किन्तु अब यह बन्द पड़ी है। जिस तरह विकास नगर और कालसी में एकीकृत जनजाति विकास परियोजना शुरु की गयी है, उसी प्रकार खटीमा में भी इसे शुरु किया जाय। मान्यवर, खटीमा में आश्रम पद्धति विद्यालय खोले गए हैं लेकिन इनका उच्चीकरण अभी तक नहीं किया गया है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि उन विद्यालयों का उच्चीकरण शीघ्र किया जाय। जिससे कि वहां पर पढ़ने वाले जो गरीब जनजाति के छात्र हैं, उनको भी उच्च शिक्षा का अवसर प्राप्त हो जाए। मान्यवर, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।

चौधरी यशवीर सिंह–

मान्यवर, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, मैं महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मान्यवर, 18 मार्च, 2002 को महामहिम राज्यपाल श्री सुरजीत सिंह बरनाला जी द्वारा 20 मार्च, 2003, महामहिम राज्यपाल श्री सुदर्शन अग्रवाल जी द्वारा तथा 19 जुलाई, 2004 को पुनः महामहिम राज्यपाल श्री सुदर्शन अग्रवाल जी द्वारा अपना अभिभाषण यहां पढ़ा गया। मान्यवर, यह अभिभाषण क्यों दिया जाता है ? जहां तक मैं समझता हूँ यह अभिभाषण सरकार द्वारा किये गये कार्यों का एक साल का लेखा–जोखा है जो सरकार ने किया है, ताकि सरकार द्वारा जो एक वर्ष में कार्य किये गये हैं, उसका लेखा–जोखा सदन में तथा पत्रकारों के सामने आये, उससे प्रदेश की जनता भिज्ञ हो सके। मान्यवर, यदि हम इस अभिभाषण का तथा पूर्व में दिये गये अभिभाषण का तुलनात्मक अध्ययन करें तो ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है कि 50 प्रतिशत से अधिक कार्य ज्यों के त्यों ही शेष हैं। मान्यवर, बस पैरा में हेर–फेर किया गया है। पुराने अभिभाषण में जो पैरा नं0 7 था वह पैरा 8 हो गया है। इसी प्रकार पैरा नं0 10 इस अभिभाषण में पैरा 11 हो गया। पुराना पैरा 15 इस अभिभाषण में 14 हो गया, पुराना पैरा 20 का 18 तथा पुराना पैरा 125 का 134 हो गया। मान्यवर, एक भी शब्दों का हेर–फेर नहीं है। मान्यवर, मेरे पास पुराने अभिभाषण की कापी है, आप चाहें तो देख सकते हैं। सरकार द्वारा कोई काम ही नहीं किया गया।

(विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा मेजों की थपथपाहट)

मान्यवर, जब यह सरकार अभिभाषण में उल्लिखित बिन्दुओं पर कार्य ही नहीं करती तो मैं समझता हूँ निश्चित रूप से इस सरकार को त्यागपत्र दे देना चाहिए। मान्यवर, वैसे इस प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। माननीय मंत्री जी किसी काम के लिए सचिव से कहते हैं तो सचिव महोदय मना कर देते हैं। मान्यवर, यह हाल है। मान्यवर, भले ही यह राज्य अभी शैशावावस्था (शैशवावस्था) में हो किन्तु फिर भी जिस प्रकार से 9 महीने में बच्चा घुटने के बल चलने लगता है और डेढ़ साल में पैरों के बल चलने लगता है तथा ढाई साल में स्कूल जाने लगता है। मान्यवर, इस सरकार को बने तीन साल हो गये हैं, इतने विद्वान हमारे मुख्यमंत्री जी हैं किन्तु इस सरकार को अभी पैदल चलना

भी नहीं आया। मान्यवर, पैरा 4 में उत्तरांचल का नाम उत्तराखण्ड करने की बात कही गई है। मान्यवर, जैसे मद्रास का नाम चैन्नई और कलकत्ता का नाम कोलकता करने से कुछ नहीं होगा। नाम परिवर्तन करने से राज्य का विकास नहीं होगा।

मान्यवर, आज बिजली का बहुत बड़ा संकट इस प्रदेश में है। माननीय ऊर्जा मंत्री जी यहां पर बैठी हुई हैं। मान्यवर, पंजाब में किसानों को मुफ्त में बिजली मिलती है, किसानों से कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। मान्यवर, मैं चाहता हूँ कि किसानों को उसकी जमीन की वैल्यू निकाल करके उसके 50 प्रतिशत की राशि का क्रेडिट कार्ड किसानों को मिलना चाहिए। मान्यवर, गन्ने के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ कि मिल चलाने के दो रास्ते हैं या तो कमांड एरिया बढ़ा दिया जाय या तो गन्ने का उत्पादन बढ़ाया जाय। मान्यवर, यही दो तरीकों से गन्ने की मिल चल सकती है। गन्ने का उत्पादन बढ़ाने के लिए नई ब्रीड काश्तकारों को देनी चाहिए। मान्यवर, ब्राजील जैसे देशों में 150 से 200 कुन्तल गन्ने का उत्पादन होता है। विकसित देशों में गन्ने से पहले एथोल बनाया जाता है, यदि हम इसके संयत्र लगाने हेतु मिल-मालिकों को प्रेरित करें तो किसानों को गन्ना ज्यादा मिलेगा। मान्यवर, हमारे प्रदेश में आलू का उत्पादन काफी मात्रा में होता है, किसानों को चिप्स बनाने की मशीन लगाने हेतु प्रेरित करना होगा। अदरक का उत्पादन होता है, इसके लिए भी जिंकर फैक्टरी लगाने हेतु किसानों को प्रोत्साहित करना चाहिए। मान्यवर, कॉफी के लिए यहां पर अच्छा वातावरण है, 600 मीटर से 900 मीटर तक की ऊंचाई वाले स्थानों पर कॉफी पैदा होती है। केरल तथा तमिलनाडु में कॉफी की सबसे ज्यादा पैदावार मानी जाती है। हम उनसे आगे बढ़ सकते हैं, ऐसी यहां पर संभावनाएं हैं। बुरॉस का फूल यहां पर होता है, इसकी खेती के लिए किसानों/काश्तकारों को प्रोत्साहित किया जा सकता है, इसके रस से खून डाईल्यूट होता है, इसके रस से हार्ट को फायदा होता है। एंटी रेबीज इंजेक्शन जो भेड़ के ब्रेन से बनता है, इसे काफी मात्रा में बनाकर सरकार फायदा कमा सकती है।

मान्यवर, फूलों की खेती के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ कि यदि यहां पर इसके लिए प्राइवेट फैक्ट्रियां लगा दी जायं तो इससे सरकार को काफी फायदा होगा। मैं चाहता हूँ सरकार काश्तकारों को इसके लिए प्रोत्साहित करे और पूरे उत्तरांचल को फल बेल्ट घोषित करने के लिए केन्द्र सरकार से घोषणा करवाये। क्योंकि उत्तरांचल में आम, माल्टा, लीची, सेब, अमरूद, नाशपाती व अन्य फलों की काफी पैदावार होती है, मैं चाहता हूँ, इनका सरकारी मूल्य घोषित हो।

मान्यवर, इस अभिभाषण में अल्पसंख्यकों के लिए कोई बात नहीं कही गयी है, दलितों की बात नहीं कही गयी है, कितना अच्छा होता यदि मजदूरों की मजदूरी को बढ़ाकर 70-75 रु0 कर दिया जाता। मान्यवर, शिक्षा के क्षेत्र में निश्चित रूप से प्रगति हुई है, इसके लिए इसमें काफी प्राविधान हैं। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि आज भी कई ऐसे स्कूल हैं जहां पर केवल एक या दो अध्यापक हैं। मान्यवर, मैं अन्त में संक्षेप में कहना चाहता हूँ कि बजट के अंत में चार लाईन लिखने से विकास नहीं होता जैसा

कि मा0 मुख्यमंत्री ने बजट के आखिर में लिखा था कि–

"मुझे पतझड़ों का पता न बता, न पता बता कर के उदास कर,
नई मौसमों का पता बता, जो गुजर गया सो गुजर गया।"

मान्यवर, कार्य करने से कार्य होता है यदि यह सरकार कार्य करेगी तो हम प्रशंसा करेंगे। मान्यवर, यह अभिभाषण भारतीय अनुच्छेद की धारा 13, 14, 15, 25, 28, 29, 51, 340, 349 का उल्लंघन करता है। अतः मैं इसका पुरजोर विरोध करते हुए अन्त में कहना चाहता हूँ कि–

दिल से पहले अंधेरा निकालना होगा,
फिर उसके बाद उजाला उभारना होगा।
जमीं पर चांद सितारे ढूंढने वालों,
तुम्हें जमीं पर आसमां उतारना होगा।

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। मान्यवर, मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष आदरणीय मातबर सिंह कण्डारी जी द्वारा रखे गये संशोधनों पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मान्यवर, हमारे मित्र चौधरी यशवीर जी ने कहा कि महामहिम जी के अभिभाषण में कई पैरा ऐसे हैं जो पहले वर्ष से उठाकर इस वर्ष रख दिये गये हैं। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि जो पहले वर्ष में योजना दी थी, वह दूसरे वर्ष में रखकर और नई योजना जोड़ दी है, इसी तरह से दूसरे वर्ष की योजना को जोड़कर और नई योजना जोड़ दी है। मान्यवर, आज भी इस अभिभाषण में एक चीज कायम है कि पहले अभिभाषण में 30 पेज, दूसरे अभिभाषण में 45 पेज, और तीसरे अभिभाषण में 57 पेज हैं, तो कुल मिलाकर पेजों की संख्या बढ़ रही है, उसमें कोई कमी नहीं आई है। मान्यवर, तीन वर्ष पूरे होने जा रहे हैं लेकिन सरकार के माननीय विधायक–मंत्री आज भी उत्तरांचल के नाम में उलझे हुए हैं। अगर नाम बदलने से क्षेत्र का विकास होता तो निश्चित रूप से आज कई देश अपना नाम बदल कर विकास कर लेते। नाम बदलने से विकास होने वाला नहीं है। मान्यवर, किसानों से सम्बन्धित अनेक बातें उठाई, आज उत्तरांचल गेहूँ, चावल, चीनी में आत्मनिर्भर है, लेकिन इन सब चीजों का उत्पादन किसान करता है और इस अभिभाषण में किसानों के लिए कोई योजना नहीं रखी गई है।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश ने गन्ने का दाम 1997 में बढ़ाया, पर 1997 से 2000 तक के बढ़े हुए दाम कौन देगा, वह सरकार सीधे–सीधे कह रही है कि हम क्यों दें ? मान्यवर, छोटी सिंचाई की जो नहरें हैं, उनकी सफाई उत्तर प्रदेश वाले नहीं कराते क्योंकि वह उत्तरांचल में है और यहां इसलिए नहीं करते क्योंकि वह उत्तर प्रदेश के अण्डर में आता है। मान्यवर, पेट्रोल और डीजल में 5 प्रतिशत अधिभार लगा दिया, कीमत बढ़ने की वजह से किसानों के उत्पादों की बिक्री में कमी आई है, जिससे कि किसान

परेशान हैं। मान्यवर, चकबन्दी एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज नहीं है, आज चार वर्ष उत्तरांचल में आने के बाद उस चकबन्दी का इस सरकार ने स्थाई समाधान नहीं किया है। मान्यवर, वही मुकदमें सी0ओ0 और एस0ओ0सी0 के पास जाते हैं। इस कारण मान्यवर, चकबन्दी में किसानों की कई–कई बीघा जमीन बिक गई है। मान्यवर, जो कुम्भ मेला हुआ इसमें कहा गया है कि यह सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। मान्यवर, कुम्भ के दौरान जो पुलिस वहां लगी थी, उसने जो ताण्डव वहां किया, इस ताण्डव में जो मृतक थे और जो घायल हैं, उनको मुआवजा दिये जाने की बात इस अभिभाषण में नहीं की गई है।

माननीय अध्यक्ष जी, शिक्षा की बात यहां पर कही गई है, यहां शिक्षा का प्रतिशत 72.27 है जो कि तीन वर्षों में वहीं का वहीं है। मान्यवर, विश्वविद्यालय के बारे में कहना चाहता हूँ, कई विश्वविद्यालय खोले गये, जिनके पास न प्लाट है न स्टाफ है न अपना इन्फ्रास्ट्रक्चर है। मान्यवर, स्वामी नारायण सम्प्रदाय हरिद्वार में एक विश्वविद्यालय खोलना चाहते हैं, जो कह रहे हैं कि हम 500 करोड़ लगा सकते हैं। उनके पास जमीन है, सरकार चाहे तो उनको मान्यता दे दे। विद्युत के बारे में कहना चाहता हूँ कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की कटौती की जा रही है। मान्यवर, यह देवभूमि है, इस प्रदेश की पहचान आश्रम धर्मशालाओं और मठ मन्दिर हैं। आज इसका कॉमर्शियलाइजेशन हो गया है। इसकी भी इसमें कोई चर्चा नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, भ्रष्टाचार की बात आती है, पुलिस सब इन्सपेक्टर की भर्ती हो या पटवारी की भर्ती हो या सिडकुल का उदाहरण या एस0डी0एम0 का उदाहरण हो, आज हर जगह भ्रष्टाचार है। हमने जब प्रदेश बनाया था तब एक अच्छे प्रदेश की परिकल्पना की थी। मान्यवर, जो सरकार की स्थिति है, वह चालाक व्यक्ति की तरह है जिसकी भूख समाप्त नहीं होती थी। वह चालाक व्यक्ति शहर में एक होटल पर पहुंचा और दुकानदार से कहा कि खाना खाना है तो उस दुकानदार ने कहा ठीक है, आइये बैठिये 20 रुपये में पूरी थाली है, चार रोटी, दाल, चावल, सब्जी। उस चालाक व्यक्ति ने कहा कि 20 रुपये में भरपेट खाना, दुकानदार ने कहा हाँ, 20 रुपये में भर पेट खाना। फिर उस व्यक्ति ने कहा कि 20 रुपये में भर पेट खाना तो दुकानदार ने कहा हाँ भर पेट खाना और अगर तुम 100 रोटी खा लोगे तो 100 रुपये मैं अपनी तरफ से दूंगा। इस पर उस चालाक व्यक्ति ने खाना शुरु किया, जब 90 रोटी खा लिया और 91 शुरु की तो उस चालाक व्यक्ति ने उसको 81 गिना, तो दुकानदार ने कहा कि आप बार–बार गिनती में गड़बड़ी कर रहे हैं, इस पर दोनों में कहा सुनी हो गयी और 10–15 लोग वहां पर आ गए। जब लोगों ने पूछा कि क्या हुआ तो दुकानदार ने कहा कि इनकी 100 रोटी की शर्त लगी थी लेकिन ये गिनती में गड़बड़ी कर रहे हैं। इस पर उस चालाक व्यक्ति ने कहा अगर ऐसा है तो फिर से 1 से गिनती शुरु की जाए। कहने का मतलब यह है कि यह सरकार भ्रष्टाचार में बहुत आगे है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री प्रदीप टम्टा–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने राज्यपाल के अभिभाषण पर सरकार की ओर से बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, विपक्ष के लोग जो यह कह रहे हैं कि नाम से क्या होता है। मान्यवर, हमारी सरकार ने इस राज्य का नाम उत्तराखण्ड रखने के लिए पिछली बार भी प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा था और इस बार दुबारा यह प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास भेजा है। इसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूँ। मान्यवर, विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि नाम से क्या होता है। मान्यवर, हम लोगों में सबसे बड़ा संस्कार नामकरण संस्कार होता है। मान्यवर, ये वही लोग हैं जिन्होंने पहले से स्थापित नामों को छेड़ने की कोशिश की। देश में स्थापित बड़े–बड़े शहर लखनऊ, दिल्ली आदि के नाम परिवर्तन करने के लिए अभियान चलाया, मान्यवर, नाम में बहुत कुछ होता है। इसीलिए नामकरण संस्कार किया जाता है और पवित्र स्थानों पर जाकर किया जाता है। इसलिए मैं बधाई देता हूँ कि केन्द्र सरकार के पास इसके नाम के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। मान्यवर, मैं राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहता। सरकार की पूरी नीतियां इसमें आ गयी हैं। प्रशासनिक क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, पिछले 12 वर्षों में यह काम नहीं हो पाया। छोटे राज्य में छोटी इकाई होनी चाहिए और हमारी सरकार ने इसके लिए तहसीलों का पुनर्गठन कर उत्तरांचल राज्य को छोटे राज्य की छोटी प्रशासनिक इकाई की नींव रखी है। आने वाले समय में निश्चित रूप से इससे लोगों को लाभ मिलेगा।

दैवीय आपदा के क्षेत्र में राज्यपाल के अभिभाषण में कहा गया है। हमारा राज्य दैवीय आपदा के संदर्भ में बहुत संवेदनशील है। जिस तरह से यहां की भौगोलिक स्थिति है, उससे इस राज्य में संकट बार–बार आते रहेंगे। इसकी तरफ हमको बहुत गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। मान्यवर, 1 जून के दिन सोमेश्वर विधान सभा क्षेत्र के चुनौदा में बादल फटने से बहुत तबाही हुई। आज आम प्रचलन है कि जिस पर मीडिया की नजर चली गयी, वह बहुत बड़ी घटना हो गयी और जिस पर मीडिया की नजर नहीं पड़ी, उस तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है। मान्यवर, वहां पर बादल फटने से कृषकों को बहुत नुकसान हुआ। उनकी खेती को बहुत क्षति पहुंची। इसके लिए किसानों को मुआवजा दिया जाता है। मान्यवर, जो मुआवजा देने का प्रावधान है, वह मुआवजा इतना न्यून है कि कोई उसे लेने के लिए तैयार नहीं होता। मान्यवर, बादल फटने की घटनाएं लगभग हर वर्ष होती हैं। इससे फसलों को नुकसान होता है। इसलिए यदि आप इसके लिए कोई बीमा योजना शुरु नहीं करेंगे, उन्हें मुआवजा नहीं देंगे तो किसानों की रीढ़ टूट जायेगी। मान्यवर, आज आदमी सोचता है कि सरकार दैवीय आपदा में हमारी मदद करेगी। दैवीय आपदा में सिंचाई की नहरें, गूलें, खेतों का कटान आदि का कोई प्राविधान नहीं है। इसके लिए केन्द्र सरकार को मूल मदों को शामिल करने के लिए लिखा गया है। मैं सरकार

को इसके लिए बधाई देता हूँ। मान्यवर, साढ़े तीन करोड़ रुपये का नुकसान मेरे विधान सभा क्षेत्र सोमेश्वर में अंकित किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने उसी रात को सूचना दे दी थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हस्तक्षेप किया। जिलाधिकारी ने हुए नुकसान का पूरा आंकलन करके रिपोर्ट भेजी। लेकिन शासन का कहना है कि नहरें आपदा प्रबन्धन के अन्तर्गत नहीं आती हैं। फिर मान्यवर, इसे कौन करेगा ? जिलाधिकारी ने इसके बाद प्रमुख सचिव, सिंचाई को नया स्टेटमेंट भेजा है। मेरा कहना है कि जो हम डिपार्टमेंट बनाते हैं, सचिव बनाते हैं, यह विभाग का दायित्व है कि विभिन्न तरह के जो नुकसान हुए हैं, उसे किसी एक विभाग से डील किया जाये। यदि ऐसा नहीं होगा तो हमारे किसानों को समय से राहत सामग्री नहीं मिल पावेगी। इसलिए इस पर सरकार को सोचना होगा।

मान्यवर, मेरे क्षेत्र में छोटी सी घटना बादल फटने की हुई, उसका प्रबन्ध ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, तो बड़ी घटनाएं जो राज्य में हो जाती हैं जैसे वरुणावत् की घटना है, इसे हम कैसे रोक पायेंगे। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि केन्द्र में हमारी नयी सरकार भी बनी है, उसके न्यूनतम साझा कार्यक्रम में समाज के सबसे कमजोर वर्गों के लिए उल्लेख किया गया है। उसे मैं पढ़ रहा हूँ– "पदोन्नति सहित सभी आरक्षण कोटा को समय सीमा के अन्दर भरा जाएगा। सभी आरक्षणों को संहिताबद्ध करने के लिए एक आरक्षण कानून बनाया जाएगा। दलितों एवं आदिवासियों की जमीनों की सिंचाई के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरु किया जायेगा। भूमि हदबंदी एवं भूमि वितरण कानून के जरिए भूमिहीन परिवारों को भूमि दी जायेगी। भूमि हदबंदी कानून को पलटने की इजाजत नहीं दी जायेगी। यह यू0पी0ए0 सरकार के कामन मिनिमम प्रोग्राम में लिखा है, इसमें आगे भी लिखा है कि "यू0पी0ए0 सरकार निजी क्षेत्र में आरक्षण के मुद्दे को लेकर काफी संवेदनशील है। यह सभी राजनीतिक दलों, उद्योग एवं अन्य संगठनों के साथ तुरन्त वार्ता शुरु करेगी ताकि यह पता लगाया जा सके कि आदिवासी एवं अनुसूचित जाति के युवकों की आकांक्षाओं को निजी क्षेत्रों में किस तरह पूरा किया जा सकता है।" इसके अलावा हमारी प्रदेश कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी पृष्ठ संख्या 28 एवं 29 में शीर्षक अनुसूचित जाति के बिन्दु संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एवं 11 में कहा गया था "दलित शिल्पकार उद्यमिता निगम की स्थापना की जाय तथा स्थानीय शिल्प संरक्षण के लिए आवश्यक कानून बनाया जाये। राज्य में राज्य स्तरीय शिल्पी संस्थान एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की जाय। शिल्पकार समाज के पुश्तैनी धंधों को गरिमा प्रदान करने एवं शिल्पकारों को प्रोत्साहन हेतु राज्य स्तर पर प्रतिवर्ष शिल्पकार शिरोमणि पुरस्कार प्रदान किये जायं।

अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के मेधावी छात्र–छात्राओं को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगात्मक परीक्षाओं में योग्य अभ्यर्थी तैयार करने के ध्येय से महत्वपूर्ण महानगरों में सभी विषयों में स्नातक/स्नातकोत्तर की निःशुल्क शिक्षा एवं आवासीय सुविधा सहित विशेष प्रशिक्षण दिया जाय। सफाई कर्मियों के लिए हर ऐसे नगरों में जहां परिवारों की संख्या 100 से अधिक है, बाल्मीकि आवास गृहों का निर्माण किया जाय तथा राज्य सफाई

आयोग का गठन किया जाय। शिल्पकारों एवं स्थानीय दस्तकारों के रोजगार वृद्धि हेतु स्थानीय भवन शैली (पर्वतीय भवन शैली) को प्रोत्साहित किया जाय। परम्परागत ताम्र उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए अल्मोड़ा एवं पौढ़ी में ताम्र नगरियां स्थापित की जायं, यहां से उत्पादित माल के स्तर को सुधारने एवं उसे निर्यात योग्य बनाने के लिए व्यापक प्रबन्ध किये जायं। भूमिहीन शिल्पकारों व दलितों का सर्वेक्षण कराकर उन्हें भूमि पट्टों का वितरण व कब्जा दिलवाने के लिए उपाय किये जायं एवं नया आबाद ग्रांट के तहत भूमि पट्टे दिये जायं। दलित बस्तियों तथा बाखलियों में विद्युतीकरण व पेयजल उपलब्ध करवाने की त्वरित लाभ योजना बनाई जाय। राजकीय सेवाओं में राज्य बनने के बाद सरकारी, अर्द्ध सरकारी नौकरियों में राज्य की जनजातियों को हुए नुकसान को पूरा करने के लिए समग्र विकास किया जायेगा।" मान्यवर, इस सम्बन्ध में हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पत्र भी भेजा था लेकिन दुःख है कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। मान्यवर, विधान सभा की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और विमुक्त जाति सम्बन्धी समिति के सदस्य होने के कारण सरकार के संज्ञान में मैं इस बात को लाया था कि उत्तरांचल में मात्र अनुसूचित जाति के 5500 आरक्षित पद रिक्त पड़े हैं। मैं इस सम्बन्ध में मुख्यमंत्री जी से भी मिला था और उनसे कहा था कि इन पदों को भरा जाना चाहिए और इनको भरने के लिए विशेष भर्ती कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए।

मान्यवर, मैं अपनी सरकार को एक बार फिर बधाई देना चाहता हूँ कि उत्तरांचल में एस0सी0, एस0टी0 और ओ0बी0सी0 के लिए एक ही आयोग था। लेकिन हमारी सरकार ने कहा था कि इन आयोगों को पृथक किया जायेगा और इनकी स्थापना भी कर दी है और सबके लिए अलग–अलग आयोग गठित करके लोगों की भावनाओं का सम्मान किया है। मान्यवर, इस सम्बन्ध में अनुरोध है कि राज्य में एक बहुउद्देशीय निगम कार्य कर रहा है जो एस0सी0, एस0टी0 और ओ0बी0सी0 के लोगों के लिए कार्य करता है, इनका मुख्य कार्य इन लोगों को रोजगार के प्रति प्रेरित करना और उनमें उद्यमिता बढ़ाने का प्रयास करना है। उत्तर प्रदेश में भी एस0सी0, एस0टी0 के लिए एक फाइनेंस कारपोरेशन होता था, यह उसके लिए कार्य तो कर रहा है पर इसके नाम और कार्यशैली से वह भाव परिलक्षित नहीं हो पा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से अपनी सरकार से अनुरोध है कि एस0सी0 और एस0टी0 के लिए अलग से एक वित्त आयोग का गठन किया जाय।

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र में स्वास्थ्य की सुविधा बड़ी गंभीर समस्या है। वहां पर आज तक डाक्टर नहीं थे, परन्तु हमारी सरकार ने वहां पर डाक्टरों को नियुक्त किया है, मैं उसके लिए सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मान्यवर, आज मेडिकल की शिक्षा काफी खर्चीली हो गई है, यह शिक्षा सस्ती होनी चाहिए ताकि आम आदमी को भी इसका लाभ मिले। मान्यवर, आज मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई काफी महंगी हो गई है। मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्रों में जो मध्यम वर्ग का व्यक्ति है, वह भी ज्यादा धनी नहीं होता है। यदि इन शिक्षाओं की स्थिति यही रही तो आज से 10 साल बाद एस0सी0 और एस0टी0

का कोई डाक्टर आपको नहीं मिलेगा। सरकारी शिक्षण संस्थानों का निजीकरण नहीं होना चाहिए, अभी हल्द्वानी में एक फॉरेस्ट हास्पिटल बनाया गया है, वह फॉरेस्ट ट्रस्ट का है, लेकिन उसमें सारा पैसा तो उत्तरांचल सरकार का लगा है। यह भी एक कारण हो सकता है कि हमारी सरकार के पास ज्यादा पैसा नहीं है इसलिए पैसे के स्रोतों को बढ़ाने के लिए हो सकता है, यह निर्णय लिया गया होगा, लेकिन इसके फीस के स्ट्रक्चर से लग रहा है कि वह निजी क्षेत्र में चला गया है, यदि ऐसा था तो मान्यवर, 15 किलोमीटर पर जो रुद्रपुर में नया मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, वह आर्थिक रूप से कैसे अपने पांव पर खड़ा हो पाएगा। (मेजों की थपथपाहट) मान्यवर, हल्द्वानी में जो मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, इसमें मैरिट के छात्र के लिए 1 लाख 75 हजार रुपया फीस रखी गयी है। मान्यवर, मैं सामान्य वर्ग की बात तो नहीं करता लेकिन दलित वर्ग में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो 1 लाख 75 हजार रुपया फीस दे सके। मान्यवर, सामान्य मेडिकल कॉलेजों में 15–20 हजार रुपया फीस होती है। इसी तरह हल्द्वानी में जो ट्रस्ट का मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, उसमें भी इतनी ही फीस होनी चाहिए। इसके साथ ही मान्यवर, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ तथा धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर मुझे अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, मेरी जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं, उनको मैंने लिखित में दे दिया है और आपने उनको स्वीकार कर लिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मान्यवर, महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण में कुछ बिन्दु ऐसे हैं, जिनको प्रकाश में लाया जाना आवश्यक है। मान्यवर, सबसे पहला बिन्दु राज्य का नाम बदलने का है। यह समझ में नहीं आता कि सरकार ने बिना हाउस में लाए, बिना बताए, चुपचुप तरीके से कैसे प्रस्ताव करके केन्द्र सरकार को भेज दिया। मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि कहीं आप राजधानी को गैरसैंण ले जाने का प्रस्ताव भी तो नहीं भेजने जा रहे हैं ? मान्यवर, मैं यह भी जानना चाहता हूँ, रोजगार की बात जो सरकार द्वारा अधिक से अधिक उठाकर और चमकाकर कही गयी है, रोजगार के अवसर दिए जाने का वादा किया गया है। यह वादा पिछले अभिभाषण में भी था और उससे पिछले अभिभाषण में भी था। ढाई साल बाद भी यह कहा जा रहा है कि सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि उनके विभिन्न रोजगारों की समीक्षा इस प्रकार की जाए कि एक ओर राज्य में विद्यमान स्थिति का सही आंकलन हो सके और दूसरी ओर ऐसी योजनाएं चिन्हित की जाएं, जिनके माध्यम से सर्वाधिक रोजगार सृजित हो सकें। सिर्फ चिन्हीकरण कर देना, आज भी यह पता नहीं है कि रोजगार के अवसर हैं कहां ? मैं तो यह जानना चाहता हूँ कि सरकार ने आज तक कितने युवाओं को रोजगार दिया है। जिनको रोजगार दिए हैं, उनमें मुख्य तौर पर शिक्षा और पुलिस में भर्ती हैं। इन दोनों भर्तियों में क्या हुआ, इससे सब भिज्ञ हैं। मैं उसे दोहराना नहीं चाहता। हर युवा आज यही कहता है कि मेरी शिक्षा चाहे कुछ भी हो लेकिन यदि मेरे बाप, दादा लाखों रुपया

खर्च नहीं करेंगे तो मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिल पाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, ये कहते हैं कि हम यहां पर उद्योग लगाने जा रहे हैं और उनके द्वारा यहां पर रोजगार के साधन बढ़ेंगे। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या इन बड़े–बड़े उद्योगपतियों के साथ आपने कोई उपबन्ध किया है ? क्या उनके सामने ऐसी कोई कंडीशन रखी है कि हमारे कितने नौजवानों को भर्ती करेंगे ? वे चाहे कहीं से भी लाएं लेकिन हमारे यहां के लोगों को रोजगार नहीं देंगे।

मान्यवर, वर्ष 2003 में औद्योगिक नीति घोषित की गयी। यदि उसे पढ़कर देखा जाए तो उसमें पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा नैनीताल में दिए गए पैकेज के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देगा। उस पैकेज को बड़े–बड़े अक्षरों में लिखकर एक पन्ना साथ में अपना लगा दिया और औद्योगिक नीति बन गई। मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि कितने उद्योगपतियों ने उत्तरांचल में आकर उद्योग लगाये और उनके कितने उद्योग यहां पर चल रहे हैं। इस सरकार का यह कहना कि यहां पर 500 उद्योगपतियों द्वारा उद्योग स्थापित किये जायेंगे। यह बिल्कुल गलत है। मैं समझता हूँ एक जीरो ज्यादा लग गया। मान्यवर, मैं सरकार से यह भी जानना चाहता हूँ कि यहां पर जो उद्योग लगाये जा रहे हैं वे सारे के सारे बाहर के उद्योगपतियों द्वारा ही लगाये जा रहे हैं या फिर यहां के स्थानीय उद्योगपतियों द्वारा भी कोई उद्योग लगाया जा रहा है। स्थानीय इण्टरप्रिन्यारों को कोई मौका नहीं दिया जा रहा है। हमारे यहां के स्थानीय इन्टरप्रिन्यारों ने कितने उद्योग में अपनी रुचि दिखाई है। इन्फ्रास्ट्रक्चर की बात भी कही गई है। मैं वादे के साथ कह सकता हूँ कि पिछले तीन महीने में पूरे उत्तरांचल में जो कन्टीन्यूस प्रोसेस के उद्योग हैं उनका उत्पादन 30 प्रतिशत तक गिर गया है। कारण सिर्फ बिजली है, एक–एक दिन में 10–10 घन्टे के लिए बिजली चली जाती है। तो ऐसे में कैसे कोई उद्योगपति यहां पर उद्योग लगाने की सोचेगा और जो उद्योग स्थापित हैं उनका भी उत्पादन गिर रहा है। मान्यवर, बरेली से बिजली जो आती है उसको बरेली से काट दिया जाता है और जो बिजली मुरादाबाद के रूट से आती है, उसे मुरादाबाद से काट दिया जाता है, कोई सुनने वाला नहीं है। मान्यवर, उद्योग की बहुत बुरी हालत है। अगर बिजली का यही हाल रहा तो जो उद्योग यहां पर पूर्व से स्थापित हैं, वे भी उठ जायेंगे। मान्यवर, इन्फ्रास्ट्रक्चर में सड़कें भी आती हैं।

मान्यवर, माननीय लोक निर्माण मंत्री जी यहां पर बैठी हैं। सड़कों की हालत बहुत ही खराब है। मान्यवर, रुद्रपुर में जब पार्लियामेंट के इलेक्शन थे, उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी नामांकन वाले दिन वहां पर आये थे। माननीय मुख्यमंत्री जी हवाई जहाज से आये थे, रास्ते में एक जगह सड़क पर रुक गये तो सड़क इतनी खराब थी कि उन्होंने सड़क पर जूते से हल्की से ठोकर मारी तो वह सड़क टूट गई। उसी समय उन्होंने अधिकारियों को बुलाकर इस सड़क के सम्बन्ध में प्रताड़ित किया। मान्यवर, कमीशनखोरी का नंगा नाच हो रहा है। 50 प्रतिशत तक कमीशन लिया जा रहा है। मान्यवर, पहले अफसर डरते थे, कमीशन लेने में झिझकते थे, किन्तु आज अफसरों में कोई भय नहीं है। मान्यवर, 11वें वित्त आयोग की बात कही गई है। सरकार ने 11वें वित्त

आयोग के अन्तर्गत नगरपालिकाओं को जो धन दिया जाता था, उसे इतना जटिल बना दिया है। अब किसी भी नगरपालिका को धन देना अधिकारियों के हाथ में है जिसे चाहे दें, जिसे चाहे न दें। कोई कानून नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, अगर मैं यह कहूँ कि उत्तरांचल में अगर विकास के थोड़े बहुत कार्य हो रहे हैं तो वह मात्र रुद्रपुर और हल्द्वानी में हो रहे हैं। मान्यवर, खेती के बारे में कहना चाहता हूँ। उत्तरांचल में गन्ने की प्राइवेट फैक्ट्रियों ने 80/– रुपये का रेट दिया है, इससे किसानों को 15 रुपये प्रति किलो का नुकसान हो रहा है। मान्यवर, जब किसान अपने गेहूँ लेकर मण्डी में जाता है तो वहां पर किसान का गेहूँ बोरियों में भरा जाता है, भरते समय करीब एक–दो बोरी नीचे गिरा छोड़ दिया जाता है, गिरे हुए गेहूँ को किसान को भरने नहीं दिया जाता है, उनसे कहा जाता है यह सचिव का हिस्सा है। मान्यवर, मैं जड़ी–बूटी के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ कि सरकार यह बताने का कष्ट करे कि यह किस मंत्रालय के अधीन है ? इसका उत्पादन करने वाला मंत्रालय अलग है, ट्रांसपोर्ट करने का मंत्रालय अलग है, जमीन किस मंत्रालय के अधीन है, देखरेख कौन मंत्रालय कर रहा है ? मान्यवर, जहां तक मैं समझता हूँ, इस पर चार मंत्रालयों का नियंत्रण है। मान्यवर, सरकार ने कई प्रोसेसिंग प्लांट लगा दिये हैं, लेकिन इनके लिए कच्चे माल का कोई कमाण्ड एरिया निर्धारित नहीं किया गया है। मैं वायदे के साथ कह सकता हूँ कि ये सारे के सारे प्लांट घाटे में चले जायेंगे। मान्यवर, सूखा राहत के लिए केन्द्र से 400 करोड़ रुपया मांगा गया है। खेती होती है, ऊधमसिंह नगर तथा हरिद्वार में, लेकिन उनका नाम लिस्ट में नहीं है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आपने इस बात को हल्के ढंग से कहा लेकिन यह बात आपत्तिजनक है। इसके लिए टीम ने निरीक्षण किया था। टीम की रिपोर्ट के आधार पर ही तय किया गया। कृपया उत्तरांचल को दो क्षेत्रों में न बांटें।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, मेरा आशय यह नहीं था।

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप बैठ जाय।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए आपको बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री फूल सिंह बिष्ट–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण के समर्थन पर बोलने का अवसर प्रदान किया, मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, महामहिम के अभिभाषण के पैरा 32 में टिहरी बहुउद्देशीय परियोजना के प्रभावित व्यक्तियों के समुचित पुनर्वास का कार्य समय से सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार सहित समस्त स्तरों पर प्रभावी समन्वय एवं अनुश्रवण किया जा रहा है। मान्यवर, टिहरी की धरती पर एशिया का सबसे बड़ा बांध बन रहा है और उस बांध से इस देश की जनता को लाभ मिलेगा। लेकिन मान्यवर, आज बांध क्षेत्र टिहरी की जो हालत है, मैं उसके ऊपर प्रकाश डालना चाहता हूँ, अभी सवाल आया कि 940 करोड़ रुपये टिहरी के लोगों के विस्थापन के लिए खर्च किया गया है, मैं इसमें आपत्ति करना चाहता हूँ कि इस समय टिहरी बांध 90 प्रतिशत बनकर पूरा हो गया है और अभी दिसम्बर में 500 मेगावाट विद्युत उत्पादन का वचन दिया है, लेकिन 710 आर0एल0 के नीचे के लोगों का क्षेत्र डूब जायेगा, जिसमें आंशिक रूप से प्रतापनगर, थौलधार, भिलंगना के ग्रामीण बाजार और वहां के लोगों की भूमि–मकान सब डूब जायेंगे, लेकिन अभी तक 27 प्रतिशत लोगों को मुआवजा नहीं मिला है और कहीं ऐसा न हो कि जो बांध देश की खुशहाली के लिए बन रहा है, वह टिहरी के लोगों के लिए बहुत बड़ा दुःख न बन जावे।

मान्यवर, हमारी प्रदेश सरकार वहां के लोगों को मुआवजा देने में पूरी तरह से प्रभावी नहीं है। अभी 9, 10, 11 तारीख को मैंने बांध क्षेत्र का भ्रमण किया, नन्दगांव से लेकर रौलाकोट, लामकोट आदि क्षेत्र का भ्रमण किया, वहां के लोगों का कहना है कि जो हमको जमीन मिली है, हमको मालिकाना हक नहीं दिया गया है। जिनकी जमीन छूटी (सम्पत्ति) है, का उनको मुआवजा नहीं दिया गया है। मान्यवर, मैं प्रतापनगर क्षेत्र से आता हूँ जो कि जिला मुख्यालय से 62 किलोमीटर की दूरी पर है और जब टिहरी बांध बनेगा तो 162 किलोमीटर की दूरी हो जायेगी। मान्यवर, पीलडाली, स्यासू में पुल बन रहे हैं। मान्यवर, 11–11 करोड़ और 12 करोड़ के दो पुल छोटी गाड़ियों के लिए बन रहे हैं, इनमें गाड़ियों पर अधिकारी जायेंगे या बड़ा आदमी, जिसके पास छोटी निजी गाड़ी होगी, जायेगा और आयेगा, आम जनता के लिए नहीं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि टिहरी बांध का महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में इसकी व्यवस्था का सवाल उठाया।

मान्यवर, 62 कि0मी0 की दूरी और 162 कि0मी0 दूरी का अतिरिक्त भाड़ा व्यय पड़ेगा, मेरा अनुरोध है कि उसकी प्रतिपूर्ति टिहरी डैम के उत्पादन से हमें कम्पन्सेशन के रूप में दिया जाना चाहिए ताकि वहां के गरीबों को इसका फायदा मिल सके, उनका जीवन–यापन सरल हो सके। श्रीमन्, बांध क्षेत्र में मेरे क्षेत्र का एक गांव रौलाकोट है, यह बजरी के टीले पर है। जो 835 क्षेत्र डूब क्षेत्र से रिवर लेबल के दायरे में बसा है, अगर जब डैम में पानी भर जायेगा तो यह ग्राम डैम में समाहित हो जाने का भय है। मान्यवर, अन्य जो 17 गांव हैं, जो मिट्टी और बजरी के टीले में खड़े हैं, पानी भरने से ये दरक जायेंगे और पानी में समाहित हो जायेंगे। मान्यवर, इसका जियोलोजीकल सर्वे होना चाहिए और इनका पुनर्वास होना चाहिए, हाईकोर्ट में कुछ ग्रामों की याचिका

दायर है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी थायवाला, पथरी ब्लॉक में पीने का पानी नहीं है, पशुलोक में पानी की व्यवस्था नहीं है। गांव से जो लोग वहां बसे हैं, उनके लिए नहर बने, मान्यवर, जो पहले बसत पुराने लोग हैं, वह नये बसावतों को पानी नहीं दे रहे हैं इसलिए उनके खेतों से पानी के बिना उत्पादन नहीं हो रहा है। उनके सामने बिजली की समस्या है, उन लोगों ने मीटर पूर्व ग्रामों में जमा करा दिया और अब उनको यहां पर नया मीटर देना चाहिए था, यह शर्त की थी, इसके लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है, वहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है। पशुलोक में तार बाढ भी नहीं है, सड़कें टूटी फूटी हैं। जो लोग विस्थापित हैं, वह मकान बनाने की हालत में भी नहीं हैं। मान्यवर, 50 प्रतिशत विस्थापितों को एक लाख से भी कम मिला। मान्यवर, यह भी ध्यान देने योग्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कट ऑफ डेट 1978 और शहरी क्षेत्रों के लिए 1985 रखा गया। मान्यवर, दोनों में भारी अन्तर है। इसमें यह व्यवस्था की गयी है कि इस कट ऑफ डेट में ग्रामीण क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति न कोई जमीन खरीदेगा और न बेचेगा और दूसरी तरफ शहरी क्षेत्रों की कट 52 जो कि 1985 है उसमें शहर के लोगों का मामला इससे भिन्न है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें।

श्री फूल सिंह बिष्ट–

टिहरी का मसला बहुत गंभीर है। मान्यवर, अगर इसमें मुझको 2 मिनट और बोलने का मौका दिया जाए तो उचित रहेगा। मैं मानता हूँ कि टिहरी के ऊपर अभी उपाध्याय जी बोलेंगे, नेगी जी बोलेंगे। टिहरी का मामला बहुत गंभीर है। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने विगत वर्ष डा0 नियुक्त किये थे, लेकिन किसी ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया, इस समय नियुक्त करायें, मैं आभारी रहूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर में एक भी डाक्टर नहीं है। वहां पर सड़कों की स्थिति बहुत खराब है, मैं आपके माध्यम से माननीया लोक निर्माण मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि इस राज्य का निर्माण अभावग्रस्त लोगों की सेवाओं के लिए किया गया। मैंने लोक निर्माण मंत्री जी के चैम्बर में जाकर निवेदन किया था कि जब से मैं विधायक बना हूँ, वहां पर एक भी सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। इस समय आपने बहुत सड़कें स्वीकृत की हैं, उसका निर्माण प्राथमिकता से करायें। टिहरी बांध हमारे लिए अभिशाप न हो जाय। वहां के लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। मैं इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि केन्द्र सरकार से इस दायित्व को पूरा करायेंगे।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, मैं आपकी आभारी हूँ कि आपने मुझे इस राज्यपाल के अभिभाषण के संशोधन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, जिस भावना को लेकर उत्तरांचल

राज्य की स्थापना की गयी थी। इस राज्य के तीन साल बनने के बाद भी अगर हम महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण को साथ लें और पिछले महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण की प्रति को साथ लेकर पढ़ें तो लगेगा कि पिछले अभिभाषण में जो बातें लिखी हैं, उनको घुमा फिरा कर यहां पर लिख दिया गया है। मान्यवर, नये राज्य के विकास के लिए, समृद्धि के लिए, इस राज्य को किस तरह से स्थापित किया जाए, यहां की जनता को किस तरह से लाभ मिले तथा सकल घरेलू उत्पाद, रोजगार के साधन बढ़ाने की नितांत आवश्यकता है लेकिन इस अभिभाषण में कहीं भी रोजगार के सृजन के लिए, इस राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के कहीं कोई उपाय नहीं किए गए हैं। मान्यवर, कोई योजना नहीं बनाई गई है कि कैसे इस राज्य का विकास होगा, कैसे इसकी आय के स्रोत बढ़ेंगे, बेरोजगारी कैसे दूर होगी ? मान्यवर, इस प्रदेश में, अन्य हिमालयी क्षेत्रों में तथा पर्वतीय प्रान्तों में बेरोजगारी एक समस्या है और इसे दूर करने के लिए हर प्रान्त प्रयासरत है। प्रथम प्रयास इसके लिए होना चाहिए कि किस तरह हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे ? नहीं तो मान्यवर, भयंकर स्थिति यहां उत्पन्न हो जायेगी।

हमारे पड़ोसी देश नेपाल में माओवादी घटनाएं बढ़ने का मुख्य कारण बेरोजगारी ही है। मान्यवर, बेरोजगारी और प्रदेश की जो आय है, उससे जुड़े हुए तमाम प्रश्न हैं। इस प्रदेश से पलायन का प्रश्न है। बहुतायत से लोग शहरों की तरफ आ रहे हैं। अभी मुझसे पूर्व के वक्ताओं ने भी कहा कि पर्वतीय क्षेत्र खाली हो रहे हैं, हमारे गांव–गांव खाली होते जा रहे हैं, ऐसे में यदि मान्यवर, परिसीमन होगा तो अधिकतर सीटें हमारे मैदानी क्षेत्रों में चली जाएंगी। इस प्रदेश की विषम भौगोलिक स्थिति है।

हिमांचल प्रदेश को यदि हम देखते हैं तो वह पूरा प्रदेश पर्वतीय है, लेकिन हमारा प्रदेश दो भागों में बंटा हुआ है। हमारे यहां पर्वतीय एवं मैदानी दोनों क्षेत्र हैं। पर्वतीय क्षेत्र का जो आदमी सुविधा चाहता है, वह मैदानी क्षेत्र में पलायन कर जाता है। इस पर सरकार ने जरा भी विचार नहीं किया है कि कैसे इस पलायन को रोका जाये। मान्यवर, हमारे पर्वतीय क्षेत्र की शिक्षा का आलम यह है कि हम प्राइमरी शिक्षा भी नहीं दे पाते हैं तो हम सूचना प्रौद्योगिकी जिसका महामहिम राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में कहा है "सरकारी काम–काज में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के अतिरिक्त आधुनिक युग के परिप्रेक्ष्य में राज्य के युवा वर्ग को रोजगार प्रदान किये जाने के उद्देश्य से शैक्षिक क्षमता एवं दक्षता के विकास हेतु महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई गई हैं।" निश्चित रूप से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, मैं मानती हूं कि इस प्रदेश के विद्यार्थियों को, छात्रों को यह शिक्षा मिलनी चाहिए लेकिन मान्यवर, अगर विचार करें कि यह प्रदेश केवल देहरादून, हल्द्वानी, काशीपुर, हरिद्वार तक ही सीमित नहीं, इसमें पर्वतीय जिले भी आते हैं और वहां के बच्चों को अगर प्राथमिक शिक्षा नहीं मिलती है तो किस तरह से उनका विकास होगा, कैसे उन्हें रोजगार मिलेगा। माननीय मंत्री जी शायद मैंने कुछ गलत कह दिया है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आपने गलत नहीं कहा है। आपने हल्द्वानी को जिला बनवा दिया। (हंसी)

श्रीमती विजय बड़थ्वाल-

मान्यवर, मैदानी क्षेत्रों में यह सब सम्भव है, लेकिन पर्वतीय क्षेत्र में गरीब लोग रहते हैं जो इनटेल, सिस्को एवं आई०बी०एम० की फीस नहीं दे सकते हैं, जबकि मैदानी क्षेत्र के लोग इनकी फीस दे सकते हैं। मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र में विद्यार्थी 5 कि०मी०-10 कि०मी० तक पैदल चलकर विद्यालय तक पहुंचते हैं। और जब वे इन विद्यालयों में जाते हैं तो वहां पर अध्यापक नहीं होते हैं, वह अपना कोर्स पूरा नहीं कर पाते हैं, बोर्ड की परीक्षाओं में फेल हो जाते हैं तो इन प्रतियोगी परीक्षाओं को कैसे पास कर पायेंगे, इसके लिए इस सरकार को चिन्ता करनी चाहिए, इन्होंने इसके लिए कोई प्रयास नहीं किया, जिससे पर्वतीय क्षेत्र की जनता को शिक्षा का लाभ नहीं मिल रहा है।

मान्यवर, सरकार को पर्वतीय क्षेत्र की महिलाओं के उत्थान के लिए एक विशेष परियोजना चलानी चाहिए थी कि पर्वतीय क्षेत्र की महिला जो आज के आधुनिक युग में किस तरह से वहां पर अपना जीवन यापन कर रही है, उनके लिए कोई कल्याणकारी योजना नहीं बनाई है। वहां पर उनको यह लगता है कि वे किस तरह से अपना जीवन-यापन करेंगी, उनके जीवन में निराशा ही आ गई है और निराशा के अलावा उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा है। मान्यवर, यदि पर्वतीय क्षेत्र में जनसंख्या को देखा जाय तो वहां पर महिलाओं की जनसंख्या अधिक है, जो कि गांवों में रहती हैं और उन पर आर्थिक व्यवस्था का भी बोझ है। लेकिन इस सरकार ने इन महिलाओं को अपने पांवों पर खड़ा करने या उन्हें रोजगार देने का कोई प्रयास नहीं किया है, केन्द्र सरकार की ओर से जो योजनायें प्रारम्भ की गई हैं, उन्हीं को चलाकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली है।

मान्यवर, उन महिलाओं की स्थिति को देखें, जिनके पति सीमाओं पर देश की रक्षा करते हुये शहीद हो गये हों, उनके पास कोई रोजगार नहीं है, जिससे वे अपने बच्चों का पालन-पोषण कर सकें। उनकी क्या परेशानी है, इसकी ओर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। चाहे वह प्रथम वर्ष का अभिभाषण हो या द्वितीय वर्ष का या तृतीय वर्ष का अभिभाषण हो, कहीं पर भी पर्वतीय महिलाओं के कल्याण के लिए, उनको रोजगार दिये जाने का कोई प्रस्ताव यहां पर नहीं आया है।

मान्यवर, माननीय चिकित्सा मंत्री जी यहां पर हैं, पर्वतीय क्षेत्र में चिकित्सा की सुविधा भी उपलब्ध नहीं हैं। मैं उनसे भी कई बार मिली, इस समस्या को लेकर। उन्होंने अभी डाक्टरों की नियुक्ति भी की है। लेकिन बड़े दुःख के साथ कहना पड़ा है कि पर्वतीय क्षेत्रों में डाक्टर तो क्या कर्मचारी भी देखने को नहीं मिलते हैं। आखिर क्या कारण है कि वहां पर डाक्टर रहना नहीं चाहते ? इसके लिए मैंने एक निष्कर्ष निकाला है कि यदि सरकार चिकित्सा के प्रति जागरुक है तो उन्हें भी अपने स्तर पर कुछ और कार्य भी करने होंगे, उनके वहां पर न रहने के भी कारण होते हैं, वहां पर उनके आवासों की व्यवस्था नहीं है, अस्पताल के भवनों की व्यवस्था नहीं है, आने-जाने की सुगम व्यवस्था नहीं है, शहर में रहकर एक डाक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस करके बहुत पैसा कमा सकता है, तो हमें भी यह देखना चाहिए कि उसे गांवों में, पर्वतीय क्षेत्रों में रहने को प्रेरित करना होगा, उनका

एल0पी0ए0 बढ़ाना चाहिए और उसे शहर से ज्यादा गांवों में देना चाहिए, यदि इस तरह के प्रोत्साहन हम उन्हें देंगे तो निश्चित रूप से डाक्टर वहां पर रहेंगे और पर्वतीय क्षेत्र की जनता को चिकित्सा का लाभ देंगे। इसके लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए। मान्यवर, आवासीय सुविधाएं उनको उपलब्ध करानी चाहिए, तभी हम स्वास्थ्य सेवाएं दे सकते हैं।

मान्यवर, हम तहसील स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर हॉस्पिटलों का निर्माण कर दें, इनमें दवाएं तथा पर्याप्त मात्रा में इन्स्ट्रूमेंट रख दें लेकिन इनको संचालित करने के लिए यदि डाक्टर नहीं देंगे तो ये पड़े–पड़े जंग खा जायेंगे तथा इनको क्रय करने के लिए जो पैसा खर्च किया जाएगा, वह भी बर्बाद हो जाएगा। सबसे पहले हमें प्राथमिक समस्या की ओर ध्यान देना होगा, तभी हम पर्वतीय क्षेत्र को स्वास्थ्य लाभ दे सकते हैं। मान्यवर, इससे पूर्व भी कई माननीय सदस्यों ने दैवीय आपदा के विषय में चर्चा की। मान्यवर, पूरा हिमालयी क्षेत्र पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील है और इसमें कई तरह की दुर्घटनाएं घटित होती रहती हैं। यहां पर भू–स्खलन की, बादल फटने की और भूकम्प की घटनाएं कई बार घटित हो चुकी हैं। बादल फटने का उल्लेख तो हर बरसात में कहीं न कहीं होता है। इससे भारी जन हानि और सम्पत्ति का नुकसान होता है। मान्यवर, जैसा कि पूर्व में भी और इस बार नियम 58 में भी एक चर्चा आयी थी कि यहां पर एक डिजास्टर पॉलिसी होनी चाहिए। इसमें एक नीति बननी चाहिए। मान्यवर,माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम आपदा को रोक नहीं सकते हैं। निश्चित रूप से रोक नहीं सकते लेकिन उस पर तुरन्त कार्रवाई हो जाए तो बड़ी मात्रा में जो नुकसान होता है, उससे बचा जा सकता है। इसमें एक नीति अवश्य होनी चाहिए।

मान्यवर, मुख्य बात आधारभूत अवस्थापनाओं को व्यापक रूप से स्थापित करने की है। मान्यवर, निश्चित रूप से विकास तभी होगा, जब हमारे यहां सड़कें तथा पुल होंगे। जिसके कारण हम विकास की गति को तेज करेंगे और विकास दिखाई देगा, उनकी आज बहुत कमी है, उन पर विचार नहीं किया जाता है और क्षेत्रीय असंतुलन भी बहुत अधिक है। जिन स्थानों को प्राथमिकता देनी चाहिए, उनको नहीं दी जाती है। मैदानी क्षेत्रों में तो हम सड़कें बहुत तेजी से बना रहे हैं लेकिन पर्वतीय क्षेत्र में जैसा कि अभी माननीय फूल सिंह बिष्ट जी ने कहा, एक किलोमीटर सड़क भी इन ढाई सालों में नहीं बनी है। मान्यवर, चकबन्दी के सम्बन्ध में एक बात कहना चाहूँगी, पर्वतीय क्षेत्र में चकबन्दी बहुत आवश्यक है, तभी हम बागवानी की कल्पना कर सकेंगे। मान्यवर, कृषि के लिए एक नीति बननी चाहिए कि पर्वतीय क्षेत्रों में चकबन्दी होनी चाहिए। मुझे नहीं मालूम कि सरकार चकबन्दी को प्राथमिकता क्यों नहीं देती है। मान्यवर, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ।

श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, महामहिम श्री राज्यपाल

जी ने अपने अभिभाषण में राज्य सरकार द्वारा किये गये विकास कार्यों का और सरकार की नीतियों का उल्लेख किया। यह संदेश उत्तरांचल राज्य की 85 लाख जनता के सामने जायेगा। मान्यवर, वैसे तो ढाई साल विकास के लिए कुछ भी नहीं है किन्तु फिर भी इस अल्पावधि में सरकार द्वारा जो विकास के कार्य किये गये हैं, वह अपने आप में उल्लेखनीय हैं। मान्यवर, अभिभाषण में जिन विकास कार्यों का उल्लेख किया है और जिन नीतियों का उल्लेख किया गया है, उस पर मैं अधिक बात नहीं कह पाऊँगा, क्योंकि बहुत समय लग जायेगा। किन्तु फिर भी किसानों के लिए जो कार्य इस सरकार द्वारा किये गये हैं और अभिभाषण में भी जिन विकास कार्यों का, उनका जिक्र है, बहुत ही सराहनीय है। माननीय सदस्यों ने इस बारे में भी चर्चा की है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार किसानों की सबसे बड़ी शुभचिंतक है। अभी हमारे मित्र ने गन्ना किसानों की स्थिति पर चिन्ता जाहिर की, उनके भुगतान के बारे में तो, मैं इस बात का उल्लेख करना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी जी ने 55 करोड़ एवं 24 करोड़ का भुगतान 6 चीनी मिलों को आकस्मिकता निधि से कर दिया था। बहुत से माननीय सदस्यों ने उस वक्त एतराज भी किया था। हमारी सरकार किसानों की पीड़ा को भली-भांति समझती है।

मान्यवर, हमारी सरकार ने गन्ना किसानों के लिए बहुत कुछ किया है। चीनी मिलों की स्थिति पहले बहुत दयनीय थी, गन्ने की बहुत सी प्रजातियां लुप्त हो गई थीं उनमें से प्रमुख रूप से 1158 और 7681, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को गन्ने की खेती के बारे में बहुत जानकारी है, वे इसके विशेषज्ञ हैं। उन्होंने अपने उत्तर प्रदेश के कार्यकाल में चीनी मिलों को सुदृढ किया था और गन्ने की खेती के बारे में शोध भी कराया था। मैं समझता हूँ कि जो लाभ उन्होंने उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों को और गन्ना किसानों को दिया, वही लाभ अब वह उत्तरांचल के गन्ना किसानों और गन्ना मिलों को दे रहे हैं। मान्यवर, उनके नेतृत्व में गन्ना किसानों और गन्ना मिलों को लाभ अवश्य मिलेगा। नई प्रजातियों को विकसित करने के लिए गन्ना शोध संस्थान, पंतनगर विश्वविद्यालय विशेष रूप से काम कर रहा है। मान्यवर, जिस प्रकार से हमारी सरकार द्वारा गन्ना प्रजातियों के शोध के लिए कार्य किया जा रहा है, उससे निकट भविष्य में गन्ना किसानों को लाभ मिलेगा। मान्यवर, इसी प्रकार ऊर्जा के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ कि हमारा राज्य भविष्य में ऊर्जा के क्षेत्र में नये आयाम स्थापित करेगा। इस राज्य में जहां घराट से लेकर छोटे-छोटे पन बिजलीघर हैं, वहीं मनेरी भाली जैसी बड़ी परियोजना भी है। जिससे राज्य में बिजली का उत्पादन निकट भविष्य में बढ़ेगा और हमारा ऊर्जा प्रदेश बनाने का सपना साकार होगा। मान्यवर, यह सरकार किसानों के हित में, आम जनता के हित में लगातार प्रयास कर रही है। स्वरोजगार के क्षेत्र में यह सरकार लगातार प्रयत्नशील है।

मान्यवर, ग्रामीण क्षेत्र में दुग्ध उत्पादन को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने मदर डेयरी से एक समझौता किया। किसानों के लिए सरकार ने अथक प्रयास करके नहरों एवं नलकूपों का निर्माण किया है। नलकूपों को लगाने के लिए सरकार के अथक प्रयासों से

नाबार्ड ने पैसा दिया है। पर्यटन राज्य की एक सम्पदा है, इस क्षेत्र में सरकार ने नदियां, झरनों, जंगलों, पहाड़ों को इको टूरिज्म के रूप में विकसित करके पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित किया है, इस दिशा में सरकार अभी भी प्रयत्नशील है। सड़क निर्माण के क्षेत्र में पिछले डेढ़ वर्ष में सरकार ने काफी प्रगति की है, सड़कों का निर्माण तेजी से हुआ है। स्वास्थ्य के मामले में भी विगत डेढ़ वर्ष में काफी प्रगति हुई है। चिकित्सकों की नियुक्तियां हुई हैं, दवाई वितरण का प्रबन्ध किया है, एनम सेंटर आदि में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। गरीबों के लिए कुटीर ज्योति के रूप में कनेक्शन देने की योजना भी सरकार की है। सरकार की बी0पी0एल0 कार्ड धारकों को भी सुविधा प्रदान करने की मंशा है। निश्चित रूप से जो चर्चा आज महामहिम के अभिभाषण पर हो रही है, उसके पक्ष में सत्तापक्ष की ओर से जो चर्चा हो रही है, उससे मैं सहमत हूँ।

मान्यवर, ढाई साल पहले का वह दिन याद है, जब अध्यापकों को छः से आठ महीने तक वेतन नहीं मिल रहा था। हमारी सरकार ने उनकी पीड़ा और दर्द को सुना और समझा। मान्यवर, वन विभाग के बारे में कहना चाहता हूँ, जैसा कि अभी माननीय कण्डारी जी ने भी कहा। मान्यवर, वन विभाग में कई ऐसे कर्मचारी थे, नियमित नहीं थे, उनको अब नियमित किया गया है। मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में 50–60 प्रतिशत खत्ता से कम में गुर्जर हैं। इस क्षेत्र में बिन्दुखत्ता, डोली, खमारी आदि खते हैं। मान्यवर, निश्चित रूप से हमारी सरकार इनमें विकास के कार्य कर रही है, इसमें गुर्जर भी हैं।

मान्यवर, मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि ऐसे खत्ते जो अलग–अलग बसे हैं, उनके एकीकरण की योजना करनी चाहिए, उस पर विचार होना चाहिए। जैसा मैंने कहा कि बिजली, पानी, सड़क सरकार की प्राथमिकताएं हैं और जिसका उल्लेख महामहिम राज्यपाल जी ने किया है। शिक्षा जगत में इस अवधि में कितने काम हुए हैं, अनेकों विद्यालयों में कक्ष बने हैं, कम्प्यूटर जगत में अभूतपूर्व काम हुआ है और उस काम में सब के सहयोग की आवश्यकता है, ताकि कम्प्यूटर जगत का संदेश जन–जन तक पहुंचे। उत्तरांचल में पर्वतीय, मैदानी और तराई क्षेत्र हैं, जहां हमें पगडंडी की आवश्यकता है, जहां चौड़ी सड़कों की आवश्यकता है तो निश्चित रूप से सरकार की काम करने की मंशा है, जहां जिस प्रकार की आवश्यकता है, उसे पूरा करके सरकार जन–जन तक विकास का संदेश देना चाहती है। मान्यवर, हम सब कह रहे हैं कि इस उत्तरांचल प्रदेश का नाम उत्तराखण्ड होना चाहिए, मेरे सभी मित्र कह रहे हैं कि यह देवभूमि है तो मैं सदन के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि उत्तराखण्ड शब्द भी देवताओं के नाम से जुड़ा है, उस उत्तराखण्ड के संकल्प के साथ ही हमारे सैकड़ों लोग शहीद हुए हैं, इसलिए उत्तराखण्ड के नाम पर सरकार की मंशा है। जनता ने आदेश दिया, जनादेश है कि इसका नाम उत्तराखण्ड होना चाहिए। श्री टम्टा जी ने इसके लिए कहा, मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ, मान्यवर।

पेयजल के लिए सरकार ने ट्यूबवेल, इण्डिया मार्का, हैण्डपम्प का जिक्र किया है, अधिक से अधिक जो मूलभूत समस्या पेयजल की है, उसका समाधान सरकार कर रही है। हमारे मित्र ने किसान की बात कही। मान्यवर, हिन्दुस्तान में 70–80 प्रतिशत लोग

देहात में रहते हैं, हमें याद है कि पहले धान-गेहूँ ट्रैक्टर-ट्राली में ले जाया जाता था और कई दिनों तक खड़े होने के कारण बरसात में भीग जाते थे, पर इस अवधि में गेहूँ खरीद में दिक्कतें नहीं आई, किसानों का गेहूँ-धान खरीदा गया और उसे चैक मिला, मैं इसके लिए सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कई ऐसी विकासोन्मुख, औद्योगिक फेज की योजनायें हैं, इसका उल्लेख महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में किया है। भूमि की व्यवस्था सिडकुल के माध्यम से की जा रही है जिससे कि विभिन्न उद्योगों की स्थापना उत्तरांचल में हो सके जिससे उत्तरांचल के बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल सके। इस तरह से अभिभाषण में रोजगार देने की बात कही गई है।

श्री अध्यक्ष-

श्री दुर्गापाल जी, कृपया समाप्त करें।

श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल-

मान्यवर, इसके साथ-साथ परिवहन और यातायात की बात कहना चाहता हूँ, अभिभाषण में नई बसें खरीदने का भी उल्लेख किया गया है। मैं पुनः बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपका आदेश है कि अपनी बात समाप्त करें। अन्त में महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के प्रस्ताव पर मुझे बोलने का जो अवसर आपने दिया, उसका मैं धन्यवाद देता हूँ और अभिभाषण का जोरदार स्वागत करता हूँ।

श्री हरबंस कपूर-

मान्यवर, मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर अपनी बात कहने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, नेता विरोधी दल और अन्य भाजपा के मित्रों ने भाषण द्वारा संशोधन के प्रस्ताव प्रस्तुत किये और अपने विचार व्यक्त किये, मैं अपने को उनसे सम्बद्ध करता हूँ। मान्यवर, उत्तरांचल राज्य बनने के पश्चात् और विशेषकर जब से यह सरकार सत्ता में आयी है, तब से इस प्रदेश की कानून-व्यवस्था ध्वस्त हो गई है और विशेषकर देहरादून जो अस्थायी राजधानी क्षेत्र भी है और सरकार का पूरा अमला यहां पर है, कोई ऐसा दिन नहीं जाता है, जिस दिन चोरी, डकैती और बलात्कार जैसी घटना घटित न होती हो और चिन्ता की बात यह है कि अपराधी पकड़ा नहीं जाता। अपराधी पकड़ा नहीं जायेगा तो निश्चित रूप से अपराधों पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता। मान्यवर, जो यहां पर सरकारी एवं निजी खाली भू-खण्ड हैं, उन पर असामाजिक तत्वों द्वारा कब्जा किये जा रहे हैं, वे लोग कौन हैं, इसका किसी को ज्ञान नहीं है। आज जो कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी है। मान्यवर, जो भूमि पर कब्जा कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहन सत्ता दल के लोगों द्वारा मिले, यह बहुत बड़ी चिन्ता की बात है।

मान्यवर, कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, भूमि पर कब्जा न हो, इसके लिए राज्यपाल जी के अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है। मान्यवर, जहां अनेक समस्याएं

हमारे सामने है, उसके साथ ही पेयजल की समस्या बहुत ही गंभीर है। इसकी तरफ किसी की चिन्ता नहीं गई। पेयजल की समस्या पूरे प्रदेश में बनी हुई है। इस समस्या का नलकूपों के माध्यम से समाधान किया जाता है परन्तु यहां पर यह चिन्ता नहीं की जाती, जो पानी जमीन से निकाला जा रहा है, उसका लेबल दिन-प्रतिदिन नीचे जा रहा है। इसमें किस तरह से सुधार हो, इसकी किसी को चिन्ता नहीं है। आज लाखों रुपये के लागत से नलकूप बनाये जा रहे हैं। सामान्य रूप से इन नलकूपों की आयु अगर आंकी जाय तो 10-15 साल होती है परन्तु यह 2-3 साल में ही सूख जाते हैं और पेयजल की गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है।

मान्यवर, मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि जो यहां अण्डर ग्राउण्ड वाटर लेबल की समस्या बढ़ती जा रही है, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। मान्यवर, देहरादून के पूरे क्षेत्र में कहीं भी सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट नहीं लगाया गया है। मान्यवर, जिन क्षेत्रों में सीवर की व्यवस्था है, अनेक क्षेत्रों में सीवर का संयोजन नालों में किया जा रहा है और नालों के दोनों ओर जो घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं, जिसमें लोग रहते हैं, उनका रहना दूभर हो रहा है। इसी प्रकार जो सीवर पोषित क्षेत्र हैं उनका सीवरेज खुली नदियों में खोला जा रहा है जिससे महामारी उत्पन्न हो सकती है। मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है कि सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट की व्यवस्था लगाना सम्भव हो सकता है, आने वाले समय में वह भूमि भी उपलब्ध नहीं हो सकेगी। कारगी इसका उदाहरण है, ऐसा हमारा मानना है। मान्यवर, उत्तरांचल के प्रत्येक क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की सुधार की बात हम करते हैं और इसके बारे में चिन्ता की जाती है परन्तु पिछली केन्द्र सरकार जिसने एम्स की शाखा को यहां खोला और वर्तमान केन्द्र सरकार ने उसमें कोई बजट नहीं दिया है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि प्रदेश की सरकार से कि वह केन्द्र सरकार से सिफारिश करें कि जो ऋषिकेश में एम्स खोला जा रहा है, उसमें बजट बढ़ाया जाय। मान्यवर, उद्योगों के बारे में पिछली सरकार ने 10 साल के टैक्स हॉली डे की घोषणा की थी और वर्तमान सरकार ने उसे घटाकर 4 साल कर दिया है। मान्यवर, हम सब लोग जानते हैं कि कोई भी उद्योग मात्र 4 साल में आत्म निर्भर नहीं हो सकता।

मान्यवर, मेरा यह भी अनुरोध है कि केन्द्र सरकार द्वारा जो 4 साल की अवधि निर्धारित की गयी है, उस पर पुनर्विचार किया जाय और प्रदेश सरकार को अपने स्तर से पहल करके केन्द्र सरकार को इस संबंध में वस्तुस्थिति से अवगत कराना चाहिए। मान्यवर, यहां के शिक्षा के क्षेत्र में कई बातें कही गयी हैं परन्तु आज जो यहां पर विश्वविद्यालय हैं, आज हम उनकी चिन्ता नहीं करते हैं कि किस प्रकार इनकी शिक्षा के स्तर में सुधार किया जाय जिससे विश्व स्तर पर जो संस्थान हैं, जो हमारे विश्वविद्यालय को मान्यता नहीं देते हैं। अगर विश्वविद्यालय में शिक्षा के स्तर की चिन्ता की जायेगी तो निश्चित रूप से यहां से शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को विश्व स्तर के संस्थानों में प्रवेश मिलेगा। यह हमारी चिन्ता का विषय होना चाहिए। मान्यवर, हम पारदर्शिता की बात करते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने की बात करते हैं और जब हम मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण की ओर देखते हैं, तो पाते हैं कि तानाशाही पूर्ण तरीके

से वहां कार्य हो रहे हैं। मान्यवर, मैं उदाहरण देना चाहता हूँ कि करोड़ों की लागत से आई0एस0बी0टी0 बना और जिस दिन उसका उद्घाटन होना था, उसके दो दिन पूर्व ही आंधी में उसकी छत उड़ गई और मान्यवर, यदि आई0एस0बी0टी0 उस दिन काम कर रहा होता, हजारों की संख्या में लोग वहां पर होते तो बहुत बड़ी दुर्घटना वहां पर हो सकती थी। तो मान्यवर, एम0डी0डी0ए0 इस प्रकार कार्य करती है। मान्यवर, मैं मांग करता हूँ कि इस घटना की विजिलेंस से जांच कराई जाये जो इसके लिए सीधे सम्बन्धित हैं.........।

श्री अध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें।

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, मैं अपनी बात समाप्त करने के पूर्व एक निवेदन करना चाहता हूँ कि केन्द्र सरकार द्वारा यहां की मलिन बस्तियों के सुधार के लिए जो धन आवंटित किया जाता है, एक निश्चित अवधि में उसका उपयोग नहीं हो पाता है तो निश्चित रूप से जो वहां का विकास है, वह अवरुद्ध हो जाता है। मान्यवर, आपकी पीठ के माध्यम से एक प्रश्न का उत्तर मिला जिसमें बताया गया कि 2002–03 की मलिन बस्तियों के सुधार के लिए जो पैसा आवंटित हुआ था, उसका उपयोग अभी तक नहीं हो सका है। मान्यवर, जहां विकास कार्यों की गुणवत्ता पर हमें ध्यान देना होगा, वहीं समय सीमा का भी हमें ध्यान रखना होगा। धन्यवाद।

श्री जोत सिंह–

मान्यवर, आपके द्वारा महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर धन्यवाद के लिए अपने विचार व्यक्त करने का आपने मुझे अवसर प्रदान किया। इस सम्बन्ध में अपनी बातों को रखते हुए सबसे पहले मैं उत्तराखण्ड की शहादतों को नमन करता हूँ जिनकी वजह से आज हम सब लोग इस उत्तरांचल की विधान सभा में उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनकी आशाओं और आकांक्षाओं की जिन विकास की बातों को वे सोच रहे थे, जिस विकास की वे बात कर रहे थे, उस परिकल्पना को हमारी सरकार ने कुछ हद तक नियोजन की एक उचित दिशा देकर उनका सम्मान किया है और सम्मान के साथ उत्तराखण्ड की शहादतों के लिए देहरादून की कचहरी में उनका एक स्मारक स्थापित करके उनकी याद को उनके मार्गदर्शन को, सदैव चिरस्थाई कर दिया है। उसी क्रम में हमारी सरकार ने मुजफ्फरनगर, खटीमा, मसूरी और अन्य कई स्थानों में उनकी याद को चिरस्थाई करने के लिए उन स्थानों का चयन किया है और उनकी याद को चिरस्थाई करने के अपने संकल्प को दोहराया है, साथ ही उन आन्दोलनकारी शक्तियों को जो किसी न किसी रूप में इस राज्य प्राप्ति के लिए प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से अपने को समर्पित कर दिये थे, उनको चिन्हित करके सम्मान दिया है। शहीदों के परिवार वालों को हमारी सरकार ने सम्मानजनक सरकारी सेवाओं में सेवा का अवसर प्रदान किया है।

ठीक उसी प्रकार उन आन्दोलनकारी साथियों, भाइयों और बहनों को चिन्हित कर के उनको राज्य सरकार की ओर से सम्मानित करने का और उनको भी सेवा का अवसर प्रदान करने का निर्णय भी सम्मिलित किया जाता तो एक अच्छी बात होती। तो उन आन्दोलनकारी साथियों के सपनों को कुछ हद तक पूरा कर पाते।

जहां एक ओर हमारी सरकार ने इस प्रदेश को ऊर्जा प्रदेश के रूप में पूर्ण रूप से विकसित करने का संकल्प लिया है, दूसरी ओर इस राज्य को पर्यटन प्रदेश बनाने के संकल्प को भी दोहराया है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में जार्ज एवरेस्ट एक ऐसा स्थान है जो फर्स्ट सर्वेयर जनरल के नाम से हमारी सरकार ने विकसित करने की बात की है। मसूरी में हुए टूरिज्म कॉनक्लेव में, जहां पर यह मैटर डिस्कस हुआ था, उसमें कई अप्रवासी भारतीयों ने पूंजी निवेश करने की इच्छा व्यक्त की थी। अब इसे किन स्तरों में जार्ज एवरेस्ट को विकसित किया जा रहा है ?

मान्यवर, मेरा मानना है कि जो भी कार्य योजना बने, उस पर तुरन्त कार्य होना चाहिए और जिन कार्य योजनाओं में शहीदों के सम्मान की बात आये, उनका पूरा सम्मान करते हुए कार्य योजना को पूरा करना चाहिए। मान्यवर, यदि किसी योजना को एक वर्ष मे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है तो उसे एक वर्ष में ही पूरा होना चाहिए। उसको एक दिन की भी मोहलत न दी जाए, तो हमारी योजनाएं सही मायने में फली भूत हो सकती हैं और उसका सही लाभ जनता को मिल सकता है। अगर एक वर्ष में पूरा न करके उसे 5 वर्ष में पूरा किया जाएगा तो उसकी कॉस्ट वैरी करते हुए ऐसी स्थिति में पहुंच जाएगी कि वह योजना आकार नहीं ले पाएगी। मान्यवर, चाहे सड़कों के विस्तार या सुदृढ़ीकरण की बात हो, चाहे कृषि क्षेत्र की बात हो और चाहे नौजवानों की बात हो, जिनके भविष्य के लिए आज सही मायने में देखा जाए तो आज नौजवानों को रोजगार देने की बात कह रहे हैं। सरकार का प्रत्यक्ष रूप से तो प्रयास है कि उद्योग लगाकर यहां के नौजवानों को रोजगार दिया जाए। यहां पर पूंजी निवेश के लिए जो आवेदन–पत्र आ रहे हैं, उन पर विचार किया जा रहा है। हमारे नौजवानों को उनकी क्षमता के अनुरूप इन उद्योगों में काम करने का अवसर प्राप्त होगा।

हमारी सरकार ने सोचा है कि नौजवानों के पलायन को रोका जाए। इसमें अतिशयोक्ति नहीं है और इसे अन्यथा भी नहीं लेना चाहिए कि हमारा प्रदेश पर्वतीय परिवेश का प्रदेश है। लेकिन इसे दो–तीन भागों में बांट कर नीति बनानी चाहिए। चाहे कृषि उपज की बात हो, चाहे विपणन की बात हो, मैदानी, पहाड़ी और तराई, इन तीन भागों के लिए नीति बने। यदि मैदानी क्षेत्र में एक किलोमीटर सड़क बनानी हो, तो लोक निर्माण विभाग ने 14 लाख रुपये प्रति किलोमीटर लागत आंकी है और यदि पर्वतीय क्षेत्र में एक किलोमीटर सड़क बनानी हो तो उसके लिए भी 14 लाख रुपया आंका गया है। जो कि विसंगति को इंगित करता है। हो सकता है कि मैदानी क्षेत्र में 14 लाख रुपये में 3 किलोमीटर सड़क बन जाए, लेकिन पर्वतीय क्षेत्र में एक किलोमीटर सड़क 14 लाख रुपये में नहीं बन सकती। क्योंकि उसके सुदृढ़ीकरण और कटान के कार्य में बहुत अधिक खर्च होता है। जितनी दूरी पर आप चले जायेंगे, यह खर्च बढ़ता जाएगा। सरकार को

इसको भी सम्मिलित करते हुए पुनरीक्षित कर लेना चाहिए। मान्यवर, मैदानी, तराई और पर्वतीय क्षेत्रों के लिए अलग-अलग मानक होने ही चाहिए।

मान्यवर, हमारे राज्य के निर्माण में महिलाओं की भागीदारी बहुत अधिक रही है। अभी महिला सशक्तिकरण वर्ष सम्पूर्ण मानव समाज द्वारा मनाया गया। चूंकि इस प्रदेश की आधारशिला यदि सही मायने में कोई है तो वह महिला है। मान्यवर, चाहे महिला डेरी विकास की बात हो, चाहे चारे की बात हो। मान्यवर, आज के युग में जिस तरह की व्यवस्था दी गयी है, उसके अनुसार वन एवं पर्यावरण को मद्देनजर रखते हुए देखें तो आज भी पर्वतीय क्षेत्र में एक महिला को 10-15 किमी0 पैदल जाकर एक घास का गट्ठर लाना पड़ता है। यही हाल जलाने वाली लकड़ी इकट्ठा करने का भी है। मान्यवर, पर्वतीय परिवेश में महिलाओं के श्रम को बचाते हुए सशक्तिकरण को इसमें शामिल करना होगा। तभी हमारा वन पर्यावरण संरक्षित रह सकेगा, सुरक्षित रह सकेगा।

श्री अध्यक्ष-

कृपया समाप्त करें।

श्री जोत सिंह-

मान्यवर, मैं चाहूंगा कि राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को गैस में सब्सिडी देने की बात कहनी चाहिए, जिससे ईंधन के रूप में जो लकड़ी का इस्तेमाल हो रहा है, वह रुकेगा और महिलाओं द्वारा जो श्रम किया जाता है, उसकी बचत होगी। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ।

श्री प्रकाश पंत-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा प्रस्ताव में रखे गये संशोधन के समर्थन में बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं इसके लिए आपका आभारी हूँ। श्रीमन्! महामहिम राज्यपाल जी का यह तीसरा अभिभाषण है। यह बात सारा सदन समझता है कि अभिभाषण इस राज्य का एक वर्ष की कार्य-सूची होती है। इस एक वर्ष में सरकार द्वारा क्या-क्या कार्य किये जायेंगे ? पिछले अभिभाषण में सरकार द्वारा किन-किन कार्यों का क्रियान्वयन किया गया है। मान्यवर, यह परम्परा भी है। मान्यवर, 19 जुलाई को यह अभिभाषण प्रस्तुत हुआ। मान्यवर, इस अभिभाषण में जैसा कि मुझसे पूर्व के प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने इस ओर ध्यान इंगित किया। यह अभिभाषण पूर्व के अभिभाषण का प्रतिबिम्ब मात्र है, केवल तिथि बदल दी गई है। मान्यवर, इस अभिभाषण को एक अच्छा भाषण तो कहा जा सकता है, बस शब्दों का हेर-फेर है। यह नहीं कहा जा सकता है कि यह अभिभाषण राज्य को कोई नई दिशा देगा। मान्यवर, सत्ता पक्ष के सदस्यों ने अपनी पीठ जरूर थपथपाई है और अभिभाषण में यह कहा गया है कि उत्तरांचल का नाम राज्य सरकार उत्तराखण्ड करने जा रही है।

मान्यवर, पहले के अभिभाषण में भी इस बात का उल्लेख है कि इस राज्य का नाम उत्तराखण्ड किये जाने का प्रस्ताव है। इसमें लिखा गया है कि पूर्व में कहा था राज्य का नाम उत्तराखण्ड किये जाने के विषय में प्रस्ताव केन्द्र को भेजा जा चुका है। केन्द्र सरकार के पास यह प्रस्ताव किसके माध्यम से भेजा गया, क्योंकि राज्य का नाम परिवर्तन करने का उल्लेख संविधान में अनुच्छेद 3 के परन्तुक के आधार पर है कि किसी राज्य की सीमा का विस्तार करना तथा किसी राज्य के नाम का परिवर्तन करना, यह संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसमें राज्य की ओर से प्रस्ताव मांगा जाता है, कोई चिट्ठी नहीं मांगी। प्रस्ताव श्रीमन् सम्मानित सदस्यों के माध्यम से विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली के नियम 103 और नियम 86 के अन्तर्गत आना चाहिए। प्रस्ताव सम्मानित सदस्य का होना चाहिए। सदन इसलिए बना है। यह निर्वाचित सदन है। मान्यवर, केवल महामहिम के अभिभाषण में इस बात को इंगित करने मात्र से ही उत्तरांचल का नाम उत्तराखण्ड नहीं बन सकता है। मैं इसकी पृष्ठभूमि में नहीं जाना चाहता हूँ, हो सकता है ऐसी कुछ सदस्यों की भावना होगी, लेकिन ये महामहिम के श्रीमुख से कहलवाये गये वाक्य हैं, इसलिए इन वाक्यों से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए।

मान्यवर, अभिभाषण के पृष्ठ संख्या 3 में महामहिम के श्रीमुख से कहलवाया गया है कि "चूंकि अनौपचारिक रूप से जानकारी हाल ही में प्राप्त हुई है। अतः इससे सम्बन्धित व्यवस्थाओं के विवरण अभी राज्य सरकार के वार्षिक बजट में समावेश करना सम्भव नहीं है।" मान्यवर, यह पढ़कर बड़ा ताज्जुब हुआ कि राज्य सरकार के पास अभी तक बजट के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है। आज सूचना प्रौद्योगिकी का जमाना है, इतनी अवधि व्यतीत होने पर भी सरकार को इसकी जानकारी नहीं है। मान्यवर, अपने ढाई वर्ष के कार्यकाल में यह सरकार लगातार कह रही है कि केन्द्र सरकार हमारी मदद नहीं कर रही है। मान्यवर, केन्द्र की श्री अटल बिहारी वाजपेई के नेतृत्व में गठित सरकार ने हमें विशेष राज्य का दर्जा दिया था और एक औद्योगिक पैकेज भी दिया था। लेकिन वर्तमान केन्द्र सरकार तो बिहार के लिए पैकेज दे सकती है, लेकिन उत्तरांचल के लिए नहीं। मान्यवर, जैसे कि यहां पर कई बार माननीय सदस्यों द्वारा शैशवावस्था का जिक्र आता है, इस सम्बन्ध में जैसा कि चौधरी यशवीर सिंह जी ने कहा है "शैशवावस्था किसे कहते हैं ? तीन साल में तो बच्चा स्कूल जाने लगता है।" मान्यवर, मुझे याद आती है श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी जी की, वह बात जब वे कहते थे। "अभी हमें सत्ता में आये 400 दिन ही हुए हैं।" मान्यवर, आज तो ढाई वर्ष व्यतीत हो गये हैं, अब तो उल्टी गिनती शुरु हो गयी है। मान्यवर, यह इस सरकार का तीसरा अभिभाषण है। इस अभिभाषण में परिसम्पत्तियों के बंटवारे के बारे में जिक्र है कि कई प्रकरण अपनी अन्तिम अवस्था में हैं, अभी संवर्गों का विभाजन नहीं हुआ है। मान्यवर, मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी की वह बात याद आती है कि "ग्रामोफोन की सुई फंसती थी तो वहां पर फंसती थी।"

मान्यवर, इस अभिभाषण में लिखा है कि "संस्थागत वित्त पोषण, ऋण जमा अनुपात में उल्लेखनीय वृद्धि किये जाने पर विशेष बल दिया गया है।" मान्यवर, ढाई वर्ष के बाद भी ऋण जमा अनुपात पर बल दे रहे हैं। मान्यवर, कुटीर ज्योति कनेक्शन की

बात भी इसमें कही गई है, इसमें कुटीर ज्योति कनेक्शन निःशुल्क दिये जाने की बात कही है, पर सच्चाई यह है कि उन निर्धन परिवारों के जो गरीबी की रेखा से नीचे होते–होते अन्त्योदय तक पहुंच गये हैं, उन निर्धन परिवारों से आज भी 10 से 14 हजार की वसूली की जा रही है।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, यह वसूली पूर्व में दिये कनेक्शनों की, की जा रही है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया, मैं व्यवस्था के प्रश्न पर व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाऊँगा, यह परम्परा के विरुद्ध है, मुझे यह नहीं मालूम कि यह व्यवस्था का प्रश्न कैसे हुआ। मान्यवर, परम्परा यह है कि माननीय मंत्रीगण व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाते हैं। श्रीमन्, हमारे माननीय सदस्य अभी उत्साहित होकर कह रहे थे कि यहां नई प्रशासनिक इकाई का गठन होगा। श्रीमन्, इस उत्तरांचल राज्य में एक सर्वेक्षण की आवश्यकता है कि कितने जिले, तहसील, विकास खण्ड बनने चाहिएं ताकि विकेन्द्रीकृत विकास हो सके। जिससे कि आम आदमी को आने की आवश्यकता ही न पड़े, क्योंकि विकेन्द्रीकरण के द्वारा उसकी प्रतिपूर्ति वहीं हो जाये। इस राज्य में ऐसी इकाई खोलने की आवश्यकता नहीं थी जिसमें बैठने के लिए कार्यालय तक नहीं है। अगर इसमें ऐसी कोई बात कही होती कि सरकार इस वक्त एक योजनाबद्ध तरीके से छोटी इकाई के गठन के लिए सुनिश्चित करेंगे तो हम भी आभार व्यक्त करते, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं कही गई। श्रीमन्, वित्तीय भार में यह राज्य दबा चला जा रहा है, मैं तो आंकड़े देखकर चौंक गया, जब मैंने सूची देखी तो 370 कार्यकर्ता, विभिन्न पदों पर नामित कर दिये। मान्यवर, 370 कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को विभिन्न पदों पर नामित कर दिया गया, यह तो वित्तीय मितव्ययता है। अगर मितव्ययता की बात अभिभाषण में कही गयी होती तो अच्छा होता।

कुमायूँ मण्डल विकास निगम और गढ़वाल मण्डल विकास निगम के कर्मचारी आन्दोलनरत हैं। मान्यवर, विशिष्ट बी0टी0सी0 के 2600 पदों पर नियुक्तियां की जायेंगी, यह घोषणा की गई थी। वे विभिन्न स्थानों पर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें यह पता नहीं कि हमें इस ट्रेनिंग के बाद नियुक्ति मिलेगी या परीक्षा देने के बाद नियुक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी। कभी मंत्री जी कहते हैं कि तीन माह की ट्रेनिंग होगी, कभी कहते हैं कि 6 महीने की ट्रेनिंग होगी, इसलिए मान्यवर, वे लोग परेशान हैं। इसी प्रकार सी0पी0एड0 और डी0पी0एड0 प्रशिक्षण प्राप्त युवा घरने पर बैठे हुए हैं, उनकी बात सुनने को कोई तैयार नहीं है। इस प्रकार विभिन्न कर्मचारी अपनी मांगों के समर्थन में आन्दोलनरत हैं, उनकी कोई सुनने को तैयार नहीं है। अभी 311 की नोटिस दी थी, उसके पीछे भी कारण यही था। आज सचिवालय प्रशासन ठप्प हो गया। इन कर्मचारियों की पीड़ा को समझने वाला कोई कार्य ऐसा नहीं किया जा रहा है। विधान सभा चल रही है और सचिवालय का कार्य ठप्प है।

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी घड़ी की ओर नजर है, मैं पांच मिनट और बोलूँगा। मेरे क्षेत्र जनपद पिथौरागढ़ में जो नैनीसैनी हवाई पट्टी है, उसका निर्माण 1994 में हुआ था, तब से लेकर वह हवाई पट्टी निष्प्रयोज्य पड़ी है, वहां से कोई वायु सेवा नहीं है। इसका भी जिक्र इस अभिभाषण में नहीं है। मान्यवर, रई झील प्रस्तावित थी और सरकार ने घोषणा भी की कि धन अवमुक्त कर देंगे मगर आज तक धन अवमुक्त नहीं किया गया, इसका भी उल्लेख अभिभाषण में नहीं है। मान्यवर, 13 जनपदों में बेस चिकित्सालय खोले जाने की बात कही गई थी। इस सम्बन्ध में मैंने पिछले सत्र में प्रश्न भी लगाया था, कह दिया गया कि बेस चिकित्सालय की आवश्यकता नहीं। इसमें विरोधाभास है, अधिकारियों ने जवाब दे दिया, वही मंत्रियों ने मान लिया।

मान्यवर, इन सभी संशोधनों को जो इसमें आये हैं, उन सबको प्रस्ताव में सम्मिलित कर लिया जाये। यदि सभी संशोधन प्रस्ताव में सम्मिलित हो जाते हैं तो मैं इसका प्रति पक्ष सहित पुरजोर समर्थन करूँगा। मैं संशोधन के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आपने मुझे इस पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

धन्यवाद के प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 51 के अन्तर्गत कुल 10 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। इनमें से मैं जनपद टिहरी गढ़वाल के गंगी गांव के निकट स्थान ताली पंवाली कांठा में वज्रपात होने से भेड़–बकरियों की अकाल मृत्यु से भेड़ पालकों को हुए नुकसान के सम्बन्ध में माननीय सदस्य श्री बलवीर सिंह नेगी की सूचना को नियम 51 के अन्तर्गत तथा धारी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पेयजल हेतु नलकूप तथा पेयजल लाईन का कार्य प्रारम्भ न होने के सम्बन्ध में माननीय सदस्य श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल की सूचना को केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार कर रहा हूँ।

अब हम उठते हैं, कल प्रातः 11.00 बजे तक के लिए।

(इसके बाद 6 बजकर 42 मिनट पर सदन की कार्यवाही गुरुवार, 22 जुलाई, 2004 के दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

महेश चन्द्र,

सचिव,

विधान सभा, उत्तरांचल।

देहरादून :

दिनांक : 21 जुलाई, 2004

नत्थी "क"

(देखिए अतारांकित प्र0 सं0 8 का उत्तर पीछे पृष्ठ सं0 12 पर)

सूची संख्या–1

नलकूप खण्ड देहरादून के नलकूपों के सामान्य अनुरक्षण पर अनुभागवार व्यय का विवरण निम्न प्रकार है :–

नलकूप खण्ड, देहरादून के अन्तर्गत जनपद देहरादून एवं पौड़ी में क्रमशः निम्नांकित 75 एवं 18 चलित राजकीय नलकूप हैं। इन नलकूपों का संचालन एवं अनुरक्षण कार्य नलकूप खण्ड, देहरादून के अन्तर्गत निम्नलिखित अनुभागों के माध्यम से किया जाता है। सामान्य अनुरक्षण के अन्तर्गत किया जाने वाला व्यय नलकूप वार लेखाबद्ध नहीं किया जाता है। नलकूप खण्ड, देहरादून के अन्तर्गत कार्यरत 75 नलकूपों को चार अनुभागों एवं जनपद पौड़ी के अन्तर्गत कार्यरत 18 नलकूपों का एक अनुभाग बनाकर नलकूपों का संचालन किया जाता है। इन अनुभागों में चलित नलकूप व सामान्य अनुरक्षण पर वर्ष 2003–04 में किया गया व्यय निम्न प्रकार है :–

क्र0 सं0	जनपद	अनुभाग का नाम	अनुभाग में नलकूपों की सं0	अनुभाग के नलकूपों पर वर्ष 2003–04 में सामान्य व्यय	अभ्युक्ति–निम्न नलकूपों पर पम्प सेट मरम्मत, स्टार्टर एवं अन्य छोटी–छोटी मरम्मतों का कार्य किया गया
1.	देहरादून	डोईवाला एवं रायपुर	24	13,03,635.00	1,2,3,4,5,6,7 टी0जी0 तथा 1,4, 5,8,12,22,26,29,35,37,39,49, 50,80,86,87,89 डी0डी0
		सहसपुर	16	11,05,497.00	3,7,20,24,25,39,44,51,52,56, 57,73,76,77,79,88 डी0डी0
		विकासनगर, सहसपुर	16	14,46,170.00	6,9,11,15,16,30,34,43,45,46, 48,54,71,78,81,82 डी0डी0
		विकासनगर कलस्टर	19	10,49,583.00	10,17,19,28,31,32,41,42,59, 61,63,64,65,66,67,68,72,75, 83 डी0डी0
		योग	75	49,04,885.00	
2.	पौड़ी	कोटद्वार	18	7,21,933.00	1,2,3,4,6,9,10,11,12,13,14, 15,16,18,19,20,21,22 के0जी0
		योग	18	7,21,933.00	
		कुल योग	93	56,26,818.00	

अतारांकित प्रश्न सं0 8 का संलग्न 01

सूची संख्या–2(अ)

नलकूप खण्ड देहरादून के नलकूपों की विशेष मरम्मत पर नलकूपवार व्यय का विवरण निम्न प्रकार है :–

जिला–देहरादून :

क्र0 सं0	नलकूप संख्या व समूह	कराये गये कार्यों का विवरण	धनराशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	राजकीय नलकूप संख्या 1 डी0डी0	290 मीटर टूटी गूलों का मरम्मत कार्य आदि	45,594.00	
2.	राजकीय नलकूप संख्या 4 डी0डी0	700 मीटर टूटी गूलों का पुनः निर्माण कार्य 800 मीटर पाईप लाईन का निर्माण कार्य आदि	7,96,875.00	
3.	राजकीय नलकूप संख्या 5 डी0डी0	830 मीटर टूटी गूलों का पुनः निर्माण कार्य आदि	4,39,321.00	
4.	राजकीय नलकूप संख्या 12 डी0डी0	560 मीटर टूटी गूलों का पुनः निर्माण कार्य आदि	3,39,899.00	
5.	राजकीय नलकूप संख्या 25 डी0डी0	500 मीटर टूटी गूलों का पुनः निर्माण कार्य आदि	2,39,806.00	
6.	राजकीय नलकूप संख्या 26 डी0डी0	360 मीटर टूटी गूलों का पुनः निर्माण कार्य आदि	2,27,666.00	
7.	राजकीय नलकूप संख्या 28 डी0डी0	438 मीटर टूटी गूलों का पुनः निर्माण कार्य आदि	2,41,790.00	
8.	राजकीय नलकूप संख्या 32 डी0डी0	415 मीटर टूटी गूलों का पुनः निर्माण कार्य आदि	2,41,909.00	
9.	राजकीय नलकूप संख्या 35 डी0डी0	340 मीटर टूटी गूलों का मरम्मत कार्य आदि	51,408.00	
10.	राजकीय नलकूप संख्या 37 डी0डी0	180 मीटर टूटी गूलों का मरम्मत कार्य आदि	18,972.00	
11.	राजकीय नलकूप संख्या 38 डी0डी0	450 मीटर टूटी गूलों का पुनः निर्माण कार्य आदि	2,69,795.00	
12.	राजकीय नलकूप संख्या 39 डी0डी0	550 मीटर टूटी गूलों का पुनः निर्माण कार्य आदि	2,10,461.00	
13.	राजकीय नलकूप संख्या 45 डी0डी0	440 मीटर टूटी गूलों का मरम्मत कार्य आदि	63,648.00	

1	2	3	4	5
14.	राजकीय नलकूप संख्या 48 डी0डी0	380 मीटर टूटी गूलों का पुनः निर्माण कार्य आदि	2,56,723.00	
15.	राजकीय नलकूप संख्या 49 डी0डी0	405 मीटर टूटी गूलों का मरम्मत कार्य आदि	59,364.00	
16.	राजकीय नलकूप संख्या 50 डी0डी0	420 मीटर टूटी गूलों का पुनः निर्माण कार्य आदि	2,10,056.00	
17.	राजकीय नलकूप संख्या 51 डी0डी0	450 मीटर टूटी गूलों का पुनः निर्माण कार्य आदि	2,01,471.00	
18.	राजकीय नलकूप संख्या 57 डी0डी0	550 मीटर टूटी गूलों का पुनः निर्माण कार्य आदि	2,48,152.00	
19.	राजकीय नलकूप संख्या 59 डी0डी0	1500 मीटर पी0वी0सी0 पाईप लाईन का मरम्मत कार्य आदि	52,153.00	
20.	राजकीय नलकूप संख्या 61 डी0डी0	1600 मीटर पी0वी0सी0 पाईप लाईन का मरम्मत कार्य	54,172.00	
21.	राजकीय नलकूप संख्या 76 डी0डी0	510 मीटर टूटी गूलों का पुनः निर्माण कार्य आदि	2,46,720.00	
22.	राजकीय नलकूप संख्या 77 डी0डी0	500 मीटर टूटी गूलों का पुनः निर्माण कार्य आदि	2,45,259.00	
23.	राजकीय नलकूप संख्या 81 डी0डी0	200 मीटर टूटी गूलों का पुनः निर्माण कार्य तथा 1300 मीटर पी0वी0सी0 पाईप लाईन का पुनः निर्माण आदि	3,30,878.00	
		योग	50,92,092.00	

अतारांकित प्रश्न सं0 8 का संलग्न 02

सूची संख्या–2(ब)

नलकूप खण्ड देहरादून के नलकूपों की विशेष मरम्मत पर नलकूपवार व्यय का विवरण निम्न प्रकार है :–

जिला–पौड़ी गढ़वाल :

क्र0 सं0	नलकूप संख्या व समूह	कराये गये कार्यों का विवरण	धनराशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	राजकीय नलकूप संख्या 1 के0जी0	स्टार्टर के स्थान पर कन्ट्रोल पैनल की स्थापना पम्प सैट की मरम्मत का कार्य आदि	1,49,344.00	
2.	राजकीय नलकूप संख्या 2 के0जी0	स्टार्टर के स्थान पर कन्ट्रोल पैनल की स्थापना तथा 220 मीटर टूटी गूलों का पुनः निर्माण कार्य आदि	4,62,487.00	
3.	राजकीय नलकूप संख्या 3 के0जी0	स्टार्टर के स्थान पर कन्ट्रोल पैनल की स्थापना आदि	1,68,333.00	
4.	राजकीय नलकूप संख्या 4 के0जी0	स्टार्टर के स्थान पर कन्ट्रोल पैनल की स्थापना तथा 550 मीटर टूटी गूलों का पुनः निर्माण कार्य आदि	5,03,660.00	
5.	राजकीय नलकूप संख्या 6 के0जी0	स्टार्टर के स्थान पर कन्ट्रोल पैनल की स्थापना तथा 450 मीटर टूटी गूलों का पुनः निर्माण कार्य आदि	4,34,344.00	

1	2	3	4	5
6.	राजकीय नलकूप संख्या 10 के0जी0	900 मीटर टूटी गूलों का पुनः निर्माण कार्य आदि	4,18,967.00	
7.	राजकीय नलकूप संख्या 11 के0जी0	450 मीटर टूटी गूलों का पुनः निर्माण कार्य आदि	2,48,179.00	
8.	राजकीय नलकूप संख्या 13 के0जी0	200 मीटर टूटी गूलों का पुनः निर्माण कार्य तथा पम्प सैट की मरम्मत का कार्य आदि	1,21,640.00	
		योग	25,06,954.00	

नत्थी ''ख''

(देखिए अतारांकित प्र0 सं0 9 का उत्तर पीछे पृष्ठ सं0 13 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र 2004 के प्रथम बुधवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं0 9 का संलग्नक

जनपद उत्तरकाशी को अनुरक्षण मद में वर्ष 2003–04 में 11.00 लाख रु0 की धनराशि प्राप्त हुई। विकास खण्डवार योजनाओं का विवरण निम्नवत् है :–

विकास खण्ड	क्र0सं0	योजना का नाम	व्यय धनराशि
नौगांव	1	सिंचाई योजना खावला नरयूका	57666.00
''	2	गैर कफनौल	62777.00
''	3	बजलाडी	96778.00
''	4	कुनसाडातोक कुवां	119662.00
''	5	दाडमिका सिगुणी	24937.00
''	6	तिया	99981.00
		योग	461801.00
चिन्यालीसौड़	1	धरासू सेरा	38653.00
''	2	क्यार्कातोक कामदा	48017.00
''	3	कयार्कातोक जोगट तल्ल	49663.00
''	4	जगडगांव	62241.00
		योग	198574.00
भटवाड़ी	1	मनेरी	100497.00
''	2	साडा	36947.00
''	3	नेताला	59148.00
''	4	कामर	46446.00
		योग	243038.00
डुण्डा	1	सिलक्यारा	38807.00
''	2	रनाडी	37016.00
''	3	डुगाल गांव	39672.00
''	4	भाटगांव नाकुरी	39222.00
''	5	ताडातोक नाकुरी	41109.00
		योग	195826.00
		महायोग	1099239.00

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 25 वि0 स0 / 675–6–02–2006–200 प्रतियां (कम्प्यूटर / रीजियो)।